खण्ड-145, अंक-7
गुरूवार, 18 अग्रहायण, शक संवत् 1876
(9 दिसम्बर, 1954 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 145 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५५

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे।

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वृहस्पतिवार, ९ दिसम्बर, १९५४

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३३९)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेश प्रताप सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसेन, श्री
इसरारुल हक, श्री
इस्तफा हुसेन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवपांडेय, श्री
खयाली राम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मंठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेंद्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गुरतार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री

चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेंद्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण दीन वाल्मीकि, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुहूनराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मित्तल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार

बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भीमसेन, श्री
भुंवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदन गोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नी लाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुन्नू लाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुराज सिंह, श्री
रणञ्जय सिंह, श्री
रतन लाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेंद्र दत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवधसिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री

रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेंद्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेंद्रपति यादव, श्री
वीरेंद्र वर्मा, श्री
वीरेंद्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र श्री,
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकर लाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द्र, श्री
श्यामममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण बाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सहदेव सिंह, श्री
सावित्री देवी, श्रीमती
सिधाराम गंगवार, श्री
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेंद्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य प्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां, हकीम श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पंत, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

४२७

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

मिर्जापुर जिले में पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कार्य

*१--श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मिर्जापुर जिले में पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत कौन-कौन कार्य प्रत्येक तहसील में अलग-अलग लिया जायेगा और उस पर कुल कितनी धनराशि व्यय होगी तथा कितना श्रमदान के द्वारा होगा ?

*२--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त पंचवर्षीय योजना में से अब क कितना काम हो चुका है और क्या शेष कार्य अवधि के भीतर पूरा हो जायेगा ?

नियोजन उपमंत्री (श्री फूलसिंह)--सूची माननीय सदस्य की मेज पर रखी हुई है। प्रयत्न इसी बात का किया जा रहा है कि शेष कार्य अवधि के ही भीतर पूरा हो जाय ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५०१ पर ।)

श्री व्रजभूषण मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मेरे प्रश्न के दूसरे अंग का जवाब इसमें क्यों नहीं दिया गया है ?

श्री फूलसिंह--क्योंकि इतनी बड़ी तफसील का यहां पर देना जरा कठिन हो जाता है। मैंने मेम्बरों की सुविधा के लिये यह हिदायत जारी कर दी है कि हर तीसरे महीने जिला प्लानिंग कमेटी में सारे काम और खर्चे की रिपोर्ट पेश हुआ करे। मैं समझता हूं कि मेम्बरों का इससे समाधान हो जाया करेगा ।

श्री व्रजभूषण मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रस्तुत तालिका में दूधी और राबर्ट्सगंज तहसील में पशुपालन, सहकारिता, कुटीर उद्योग तथा कृषि के कार्य और नरसरी वगैरह का विवरण क्यों नहीं दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष--आपका सवाल विवरण देने के लिये नहीं बल्कि यह था कि कौन-कौन सा कार्य प्रत्येक तहसील में अलग-अलग लिया जायगा। उसमें उन कार्यों का विवरण देने के लिये नहीं पूछा गया था बल्कि कार्यों के संबंध में आपने पूछा था कि कौन से कार्य होंगे।

श्री व्रजभूषण मिश्र--अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न पूछा था कि पंचवर्षीय योजना में कितना काम हुआ है और कितना बाकी है। जो तालिका में दूधी और राबर्ट्सगंज तहसील के कार्यों के संबंध में तफसील नहीं दी गई इसलिये मैंने पूछा है कि वह क्यों नहीं दी गई ?

श्री फूलसिंह--इसके लिये सूचना की आवश्यकता है। संभव है कि वहां के प्रोग्राम में ऐसा न हो और मुमकिन यह भी है कि रह गया हो ।

कुमायूं फारेस्ट कमेटी के निर्णय

*३--**श्री नारायण दत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कुमायूं फारेस्ट कमेटी ने अपनी पिछली मीटिंग में क्या-क्या निर्णय किये व सरकार ने इन पर क्या-क्या कार्यवाही की ?

वन उपमंत्री (श्री जगमोहन सिंह नेगी)--एक सूची मेज पर रक्खी है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ५०३-५०६ पर ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो इस सूची में लिखा हुआ है कि प्रस्ताव सरकार के पास नहीं भेजे गये तो वह क्यों नहीं भेजे गये ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---क्यों कि डिप्टी कमिश्नर इंचार्ज, कुमायूं इसके प्रेसीडेंट होते हैं और वह अपने अधीन अधिकारियों से जांच-पड़ताल करवाकर टिप्पणी भेजते हैं और वह अभी तक सरकार को उपलब्ध नहीं हुई है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि लिस्ट दो में जो बिना हकवाले ग्रामवासियों को वार्षिक कटान के कूपों में लकड़ी देने के महत्वपूर्ण विषय पर विचार किया गया उसके संबंध में कंजरवेटर आफ फारेस्ट्स ने दुबारा कमेटी के सामने रखने की क्यों सिफारिश की है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---उन्होंने केवल इस बात की सूचना दी है कि मैं इसको फिर से फारेस्ट कमेटी के सामने रखना चाहता हूं । अभी उन्होंने टिप्पणी गवर्नमेंट के पास नहीं भेजी है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या यह भी सही है कि कुमायूं फारेस्ट कमेटी की सिफारिश के अनुसार कुमायूं डिवीजन के फारेस्ट कमिश्नर ने सब-डिवीजन नयाबाद एक्सटेंशन के सारे कामों को बन्द कर दिया है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---इस प्रश्न से यह विशेष संबंधित तो नहीं है मगर पहले भी कमेटी ने इस तरह का प्रस्ताव पास किया था कि वहां गोचर जमीन की बहुत बड़ी कमी है और आबादी भी बहुत बढ़ गई है । इसलिये वहां पर फरदर एक्सटेंशन करके जमीन को काश्त में लेने के लिये बढ़ाई न जाय ऐसी कमेटी ने राय दी थी ।

श्री नारायण दत्त तिवारी---क्या यह सही है कि इस राय के ऊपर कमिश्नर कुमायूं डिवीजन ने कुमायूं के सब-डिवीजनों में नयाबाद एक्सटेंशन बन्द कर दिया है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---वैसे तो कुमायूं नयाबाद ऐक्ट जो कि असेम्बली ने पास किया था, शायद रूल्स के अन्दर ऐसा है कि अगर ७५ प्रतिशत काश्त में आ चुका हो तो उन गांवों में नया एक्सटेंशन न दिया जाय । इस तरह का नया सुझाव गवर्नमेंट को तो मिला नहीं है । लेकिन कुछ ऐसी बातचीत तो जरूर चल रही थी कि एक्सटेंशन बन्द कर देना चाहिये ।

टेहरी-गढ़वाल के जंगलों में चराई महसूल

*४---**श्री जयेन्द्र सिंह विष्ट** (जिला टेहरी गढ़वाल)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि टेहरी-गढ़वाल में जंगलात विभाग द्वारा पशुओं पर लगाई गई चराई महसूल (grazing dues) की शरह मर्जर से पहले क्या थी और अब क्या है ?

*५---क्या सरकार उक्त दोनों सूचियों को सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---टेहरी-गढ़वाल में वर्तमान चराई के महसूल वही हैं जो मर्जर से पहले थे । उनकी एक सूची मेज पर प्रस्तुत है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ५०७ पर ।)

श्री जयेन्द्र सिंह विष्ट---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि चराई महसूल किस कानून तथा नियमों पर आधारित है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---यह तो सारे प्रदेश के अन्दर अलग-अलग जंगलों में अलग-अलग तरीके पर चराई ली जाती है । कहीं कोई रेट है कहीं पर कोई रेट है । टेहरी में वही रेट है जो विलीन होने के पूर्व था ।

श्री जयेन्द्र सिंह बिष्ट---क्या यह सही है कि १९५३ से कंजरवेटर महोदय ने स्थानीय पशुओं पर चराई दर बढ़ा दी है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---यह बात नहीं है। यह बात जरूर है कि इन्टरिम मिनिस्ट्री जो कि इस सरकार के आने से पहले वहां की जनता की अपनी मिनिस्ट्री बनी थी उसने जरूर चराई का रेट बढ़ाया था इस सरकार ने उसमें कोई बढ़ोत्तरी नहीं की ।

श्री सत्यसिंह राणा (जिला टेहरी-गढ़वाल)---क्या सरकार इस बात का ख्याल करते हुये कि यह ड्रयुज कुमायूं डिवीजन के अन्य जिलों में नहीं है उसी स्तर पर लाने का विचार रखती है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं यह हर डिवीजन में अलग-अलग है। कुमायूं डिवीजन अलग है। इसलिये एक फ्लैट रेट सारे प्रदेश में तो है ही नहीं।

खीरी जिले में अशरफनगर ग्रांट प्राइवेट फारेस्ट को सुरक्षित वन में बदलना

*६---**श्री रामनारायण त्रिपाठी** (जिला फैजाबाद) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि खीरी साऊथ तहसील मोहम्मदी में अशरफनगर ग्रांट प्राइवेट फारेस्ट का जमींदारी उन्मूलन से पेश्तर कितना रकबा था और अब कितना रकबा रह गया है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---जमींदारी उन्मूलन के पहले प्राइवेट फारेस्ट का रकबा १,५०३ एकड़ था। अब यह ४५० एकड़ है।

*७---**श्री रामनारायण त्रिपाठी** (अनुपस्थित)---क्या सरकार इस प्राइवेट जंगल को सरकारी जंगल बना रही है जिसमें जमींदारी उन्मूलन से पेश्तर पट्टे हो चुके हैं और काश्त भी हो रही है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---उपरोक्त ४५० एकड़ का रकबा उस क्षेत्र में सम्मिलित है जिसको सुरक्षित वन बनाने के लिये सरकार ने इंडियन फारेस्ट ऐक्ट के अधीन एक प्रारम्भिक विज्ञप्ति जारी की है ।

*८---**श्री रामनारायण त्रिपाठी** (अनुपस्थित)---यदि हां, तो उन बसे हुये काश्तकारों को, जिन्होंने १० गुना भी दाखिल कर दिया है और अपने मकानों को छोड़ कर उस जंगल में आ बसे हैं, उनके विषय में सरकार क्या कार्यवाही करने की सोचती है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---अभी यह नहीं कहा जा सकता कि कौन सी भूमि, जिसमें व्यक्तियों के निजी अधिकार हैं सुरक्षित वन, जो बनाया जा रहा है उसमें सम्मिलत की जायगी। फारेस्ट सेटलमेंट आफिसर जांच कर रहे हैं और उसके समाप्त होने के बाद वह यह बतलायेंगे कि कौन सी निजी अधिकारयुक्त भूमि सुरक्षित वन में सम्मिलित की जाय। ऐसी भूमि का मुआवजा दिया जायगा।

राजा वीरेंद्र शाह (जिला जालौन)---क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि उसने यह चांज करायी है कि जो जंगलात में पहले पट्टे हो गये हैं और जो जमीन काश्तकार जोते हुये हैं, उन जमीनों से उनको अलग किया जा रहा है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---नोटीफिकेशन से पहले जिनमें काश्त हो गई थी, उनमें हम छेड़-छाड़ नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर इस नोटीफिकेशन के बाद किसी ने ऐसा किया है तो उसकी ज्यादती है।

नोट---तारांकित प्रश्न संख्या ६-८ श्री मदन मोहन उपाध्याय ने पूछे।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह रकबा किस कारण कम हो गया ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---मैंने अभी कहा कि रकबा तो बहुत था मगर लोगों ने उसको काट डाला और खेती कर ली इसलिये वह घटकर के कम रह गया । मगर जैसा अभी कहा गया उसमें हम छेड़-छाड़ नहीं कर रहे हैं ।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)---क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि कुछ ऐसे खेत भी हैं जिनमें खेती हो रही है लेकिन वह नोटीफिकेशन में आ रहे हैं और उनके ऊपर कब्जा कर लिया है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---असल में गैरकानूनी तौर पर उन काश्तकारों ने कब्जा कर लिया है । गवर्नमेंट ने कहां कब्जा किया ?

हरद्वार-मोहन्द वन मार्ग की मरम्मत की आवश्यकता

*९---**श्री दीनदयालु शास्त्री** (जिला सहारनपुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार को ज्ञात है कि युद्धकाल में हरद्वार से मोहन्द तक और रानीपुर से बाहदुराबाद तक के दो वन मार्गों को पक्का किया गया था ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---हरद्वार-मोहन्द वन मार्ग का १/३ भाग पक्का बनाया गया था । रानीपुर-बहादुराबाद मार्ग वन विभाग का नहीं है ।

*१०---**श्री दीनदयालु शास्त्री** (अनुपस्थित)---क्या यह सही है कि वे दोनों वन मार्ग मरम्मत के अभाव में अब खराब अवस्था में हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---वन विभाग की हरद्वार-मोहन्दसड़क को यातायात के योग्य काम के मौसम में रक्खा जाता है ।

*११---**श्री दीन दयालु शास्त्री**---क्या सरकार का विचार इन मार्गों के पुनर्निर्माण करने और इनके द्वारा जनता को यातायात की सुविधा देने का है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---वन विभाग के मार्ग को पक्का बनाने के लिये एक बहुत बड़ी धनराशि की आवश्यकता है और इसलिये निकट भविष्य में उसको पक्का करने का विचार नहीं है ।

श्री दाताराम (जिला सहारनपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस सड़क पर जाने के लिए यातायात की कब तक सुविधा दे दी जायगी ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---यह रोड जिसके विषय में कि आप कह रहे हैं, वह तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की रोड है । वह जंगल के अन्दर जाती नहीं है । मगर जो जंगलात के अन्दर है उसको हम हमेशा यातायात के योग्य रखते हैं ।

आजमगढ़ जिले में घोसी कम्युनिटी प्रोजेक्ट के अन्तर्गत कार्य

*१२---**श्री झारखंडेराय** (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आजमगढ़ जिले की घोसी कम्युनिटी प्रोजेक्ट में अब तक कौन-कौन काम, कहां-कहां हुये हैं और उनमें अलग-अलग कितना-कितना रुपया खर्च हुआ है ?

नोट---तारांकित प्रश्न ९-११ श्री दाताराम ने पूछे ।

श्री फूलसिंह--इस प्रोजेक्ट में ३१ अगस्त, १९५४ तक किये गए मुख्य कामों और उन पर व्यय किये गए रुपये की सूची सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ५०८-५०९ पर ।)

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि इस तरह का और कोई केन्द्र घोसी तहसील में खोलने का सरकार का विचार है?

श्री फूलसिंह--घोसी तो कम्युनिटी प्रोजेक्ट है और कम्युनिटी प्रोजेक्ट अब नहीं खोले जाते।

श्री झारखंडे राय--क्या सरकार बतायेगी कि इस कम्युनिटी प्रोजेक्ट से सरकार को कोई आमदनी भी होती है? अगर हां, तो कितनी?

श्री फूलसिंह--कम्युनिटी प्रोजेक्ट आमदनी के लिए नहीं बनाये जाते, वे देहात के विकास के लिये बनाये जाते हैं।

बहराइच जिले में प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्यों पर व्यय

*१३--**श्री बसन्त लाल शर्मा** (जिला बहराइच)--क्या सरकार कृपाकर बतायेगी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जिला बहराइच में कुल कितना धन अब तक निर्माण कार्यों पर व्यय किया गया और कितना अभी और व्यय करने का सरकार विचार रखती है?

श्री फूल सिंह--प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बहराइच जिले में अब तक निर्माण कार्यों पर १४,५०,६८६ रु० २ आ० व्यय किया जा चुका है तथा वर्ष १९५६ तक इस योजना के अन्तर्गत ११,५७,६३९ रुपया और व्यय करने का विचार है।

श्री बसन्त लाल शर्मा--क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जो धनराशि अब तक व्यय हो चुकी है उसमें सम्बन्धित अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और भत्ते भी सम्मिलित हैं?

श्री फूलसिंह--मैं तो फिलहाल यह नहीं कह सकता । मेरे ख्याल में नहीं होंगे।

श्री बसन्त लाल शर्मा--क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि अब तक जो व्यय हो चुका है उसमें किस प्रकार का काम कितना-कितना और कहां-कहां किया गया है?

श्री अध्यक्ष--आपने पूरी धनराशि खर्च की पूछी थी, अलग-अलग कार्य का खर्चा नहीं पूछा था। इसलिये मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा।

श्री बसन्त लाल शर्मा--क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि जो धन व्यय हो चुका है उसमें सब से बड़ी रकम किस मद में खर्च की गई है?

श्री फूलसिंह--जन-निर्माण विभाग में।

नैनीताल जिला प्लानिंग कमेटी को दिया गया धन

*१४--**श्री नारायणदत्त तिवारी**--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि नैनीताल जिला प्लानिंग कमेटी को १९५२-५३, १९५३-५४ और १९५४-५५ के मध्य तक कितना रुपया दिया गया और उनका उपयोग किस प्रकार किया गया?

श्री फूलसिंह--नैनीताल जिला प्लानिंग कमेटी को १९५२-५३ में ४८,५०० रु०, १९५३-५४ में ४,९२,५१२ रु०, और १९५४-५५ में ९७,४०० रु० दिया गया। आय और व्यय सम्बन्धी विस्तृत सूची माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ५१०-५१२ पर।)

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि सन् १९५४-५५ में स्थानीय विकास राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड, रुद्रपुर के लिये अनुदान क्यों नहीं दिया गया?

श्री फूलसिंह--यह रुपया यहां से तो प्लानिंग कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाता है। फिर प्लानिंग कमेटी उस रुपये को बांट देती है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि सन् १९५३-५४ में जो १३ वां आइटम मटेला जलकल प्रांगण बनाने के लिये है वह किस जिले में है? जिला नैनीताल में तो वह नहीं है?

श्री फूलसिंह-- मैं मेम्बर साहब की बात को तसदीक तो नहीं कर सकता, क्योंकि जो वहां के रहने वाले हैं उन्होंने जो सूची भेजी है उसमें यह है, लिहाजा यह वहीं का स्थान होगा।

श्री वीरेंद्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या माननीय मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि सन् १९५३-५४ में जो ४ लाख रुपया दिया गया वह मुख्यतया किन-किन कार्यों के लिये दिया गया?

श्री फूलसिंह--इसमें सबसे ज्यादा रुपया संचारन के लिये था।

श्री वीरेंद्र वर्मा--क्या माननीय मंत्री संचारन के मानी बतलायेंगे?

श्री फूलसिंह--यह सवाल था कि काहे-काहे के लिये रुपया दिया गया। वैसे तो १३ आइटम्स हैं लेकिन सबसे बड़ा आइटम सिंचाई का है।

प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट फैक्टरी, लखनऊ में बनाये गये सूक्ष्म यंत्र

*१५--श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट फैक्टरी, लखनऊ ने अपने कार्यकाल में अब तक प्रतिवर्ष कितने 'प्रिसीजन' (सूक्ष्म) यंत्र बनाये हैं?

उद्योग मंत्री के सभा सचिव (श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी)--गत तीन वर्ष के कार्यकाल में निम्नलिखित सूक्ष्म यंत्र बने हैं :

वर्ष	वाटर मीटर	माइक्रोस्कोप	रेडियो
१९५२-५३	४,०५१	५५	..
१९५३-५४	६,८०१	११२	४१२*
१९५४-५५	५,७८९	५१	..
३० नवम्बर, १९५४ तक			
योग ..	१६,६४१	२१८	४१२

*रेडियो बनाने का कार्य अप्रैल, १९५३ में बन्द कर दिया गया।

*१६---श्री नारायण दत्त तिवारी---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त फैक्टरी के कितने वाटर मीटर अब तक बिके हैं और किन-किन संस्थाओं ने उन्हें खरीदा है?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---३० नवम्बर, १९५४ तक कुल १०,०८३ वाटर मीटर बिके हैं जिसमें से २,६११ सरकारी विभागों ने खरीदे और शेष ७,४७२ मीटर जनता और स्थानीय निकायों ने।

*१७---श्री नारायण दत्त तिवारी---क्या सरकार के पास कुछ म्युनिसिपल बोर्डों की शिकायतें आई हैं कि उक्त फैक्टरी के वाटर मीटर असफल रहे हैं? अगर हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---जी नहीं, इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई है।

श्री नारायण दत्त तिवारी---क्या यह सही है कि मेरठ म्युनिसिपल बोर्ड ने सरकार को यह सूचना दी है कि जो वाटर मीटर उन्होंने यहां से खरीदे वह विदेशी वाटर मीटर के मुकाबले में नाकामयाब सिद्ध रहे हैं?

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)---यह सही नहीं है।

राजा वीरेंद्र शाह---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह इंस्ट्रूमेंट फैक्टरी जो लखनऊ में है यह लाभपर चल रही है या घाटे पर चल रही है?

श्री हुकुमसिंह---इस वक्त सूद देने के कारण उसमें घाटा होता है।

श्री नारायण दत्त तिवारी---क्या यह सही है कि पहले की अपेक्षा अब म्युनिसिपल बोर्ड स ने लखनऊ प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट फैक्टरी के बने वाटर मीटर खरीदना कम कर दिये हैं?

श्री हुकुमसिंह---जी नहीं, ऐसा नहीं है। खरीदारी बढ़ती जाती है।

श्री नारायण दत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि बेचने वाले वाटर मीटर की कीमत फी मीटर क्या रखी गयी है?

श्री हुकुमसिंह---उसको तो मैं इस वक्त नहीं बतला सकता। मेरे पास फिगर नहीं हैं। जबानी मैं बतला नहीं सकता क्योंकि मैं हाफिज नहीं हूं।

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट फैक्टरी के मैनेजर एक एग्रीकल्चर इंजीनियर हैं जिनको इन्स्ट्रूमेंट के बारे में कोई ज्ञान नहीं है?

श्री हुकुमसिंह---जी नहीं, उनको पूरा ज्ञान है।

श्री अब्दुल मुईज खां (जिला बस्ती)---क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस फैक्टी के बनाये रेडियोज कुल के कुल वहां बेकार पड़े हैं?

श्री हुकुम सिंह---इनफार्मेशन डिपार्टमेंट के आर्डर पर बने थे। उन्होंने खरीदे नहीं।

श्री नारायण दत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि रेडियो बनाने का कार्य अप्रैल, सन् १९५३ में बन्द क्यों कर दिया गया?

श्री हुकुमसिंह---केन्द्रीय सरकार ने सलाह दी लिहाजा बन्द कर दिया गया।

श्री नारायण दत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि ४१२ रेडियो में से अब तक कितने रेडियो बिके हैं?

श्री हुकुमसिंह—उसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी ।

श्री अब्दुल मुईज खां—क्या इस कारखाने के बने वाटर मीटरों की क्वालिटी और इंडियन मेड मीटरों के मुकाबले में कम है ?

श्री हुकुम सिंह—अब कीमत या क्वालिटी क्या है, मेरे पास इसकी इस समय सूचना नहीं है। तो मैं कैसे बता सकता हूं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—इनफार्मेशन डिपार्टमेंट के आर्डर देने पर भी वाटर-माटर न खरीदने का क्या कारण था ?

श्री हुकुम सिंह—उन्होंने अपनी स्कीम बन्द कर दी थी।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या पब्लिक एकाउंट्स कमेटी की एक उपसमिति ने इस कारखाने के वाटर मीटरों और उनके दामों के बारे में एक रिपोर्ट सरकार को दी थी ?

श्री हुकुम सिंह—इस वक्त तो रिपोर्ट मेरे पास नहीं है और न मुझे याद है। नोटिस दीजिये तो मैं पता लगाकर बतला दूं ।

श्री ब्रजभूषण मिश्र—जो रेडियो इनफार्मेशन डिपार्टमेंट ने नहीं लिये उन्हें बाजार में क्यों नहीं बेचा ?

श्री हुकुम सिंह—बेचने के लिये मैं तैयार । जिस वक्त ग्राहक आवेगा फौरन बेच दूंगा।

बांदा डिवीजन में अनुसूचित जातियों के फारेस्ट गार्ड्स और फारेस्टर्स

*१८—श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर) क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् १९५२ से अब तक बांदा डिवीजन में कुल कितने फारेस्ट गार्ड और फारेस्टरों की नियुक्तियां की गई हैं और उनमें अनुसूचित जातियों (scheduled castes) की क्या संख्या है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—सन् १९५२ से अब तक बांदा फारेस्ट डिवीजन में कुल ४१ फारेस्ट गार्ड्स की नियुक्तियां की गयी हैं। उक्त संख्या में से केवल २ अनुसूचित जाति के उम्मीदवार हैं। फारेस्टरों की नियुक्ति की संख्या ३ है और इसमें अनुसूचित जाति का उम्मीदवार कोई नहीं है ।

*१९—श्री जोरावर वर्मा—क्या सरकार यह बतायेगी कि ये नियुक्तियां किस प्रकार और किस योग्यता के व्यक्तियों की की गयी हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—नियुक्तियां इम्पलायमेंट एक्सचेंज (Employment Exchange) द्वारा भेजे गये व्यक्तियों तथा प्रतियोगिता के परिणाम-स्वरूप जिन्हें उपयुक्त समझा गया व पदोन्नति द्वारा व्यक्तियों की नीचे दी गयी योग्यता के अनुसार की गयी है —

फारेस्ट गार्ड—अनुसूचित जाति के उम्मीदवार की नियुक्ति में अपर प्राइमरी पास व्यक्ति लिये गये, जो देवनागरी लिपि के पढ़ने-लिखने का भली प्रकार ज्ञान रखते हैं। अन्य उम्मीदवार हिन्दी मिडिल परीक्षा या हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण है । फारेस्टर हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण उम्मीदवारों को लिया गया है ।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ४१ फारेस्ट गार्डों में से केवल २ ही हरिजन हैं, इसका क्या कारण है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--स्थानीय अधिकारियों की रिपोर्ट से पता चलता है कि १८ परसेंट का आर्डर पहुंचने से पहले ही ये नियुक्तियां हो चुकी थीं।

श्री वीरेंद्र वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि इन ४१ फारेस्ट गार्डों में से कोई बैकवर्ड क्लास का भी है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--इसमें क्लासेज का इतना प्रश्न नहीं है। मगर मुझे पता चला है कि इसमें कुछ अस्थायी लोग हैं। शेड्यूल कास्ट का जितना कोटा है उसे पूरा कर दिया जायगा और बैकवर्ड क्लासेज का ख्याल जी० ओ० के मुताबिक तो होगा ही।

पर्वतीय क्षेत्रों में कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स के केन्द्र

*२०--**श्री झारखंडेराय**--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में कम्युनिटी प्रोजेक्ट के जो केन्द्र खुले हैं :

(१) उनकी संख्या कितनी है, (२) प्रत्येक में कितने-कितने कर्मचारी हैं ? (३) प्रत्येक कम्युनिटी प्रोजेक्ट केन्द्र से कितने और किस प्रकार के काम अब तक हुये हैं ?

श्री फूल सिंह--प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में कुल ५ सामूहिक विकास केन्द्र खुले हैं। इन केन्द्रों में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी तथा होने वाले कामों की सूचियां माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गयी हैं।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ट ५१३-५१६ पर।)

*२१--**श्री झारखंडेराय**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रत्येक केन्द्र में प्रतिवर्ष किस मद में क्या व्यय हुआ है ?

श्री फूल सिंह--इसकी सूची भी सदस्य महोदय की मेज पर रखी है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ५१३-५१६ पर।)

श्री झारखंडेराय--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इन पांच विकास केन्द्रों के हेडक्वार्टर्स पर जो खर्च होता है उनमें आपस में इतना अंतर क्यों है ?

श्री फूल सिंह--उसका एक कारण यह है कि ये सब केन्द्र एक दफा नहीं खोले गये, जो बाद में खोले गये उनमें खर्चा कम हुआ।

श्री झारखंडेराय--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या किन्हीं अमेरिकनों की सेवा भी इन विकास केन्द्रों में ली जाती है ? अगर हां, तो कितने लोगों की, और उन पर क्या खर्च होता है ?

श्री फूल सिंह--जी नहीं ?

श्री ब्रजभूषण मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस पर्वतीय क्षेत्र में क्या हिमालय क्षेत्र ही शामिल है या बुन्देलखंड भी ?

श्री फूल सिंह--इसमें बुन्देलखंड शामिल नहीं किया गया है।

श्री झारखंडेराय--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार के पास ऐसी सूचना आयी है कि अमेरिकन टूरिस्ट यहां आते रहते हैं और फोटो लेते रहते हैं ?

श्री फूल सिंह--टूरिस्ट तो यहां बहुत आते हैं और अमेरिकन्स भी आते हैं।

श्री सत्यसिंह राणा---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो कर्मचारी इस योजना में लिये जाते हैं उनको सरकार मुकर्रर करती है या डी०पी०ओ० मुकर्रर करता है ?

श्री फूल सिंह---कुछ लोग स्थानीय तौर पर नियुक्त किये जाते हैं और कुछ लोगों को यहां से नियुक्त किया जाता है ।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मिर्जापुर जिले के पर्वतीय क्षेत्र को पर्वतीय क्षेत्र में शामिल करने का विचार सरकार कर रही है ?

(कोई जवाब नहीं दिया गया)

अलीगंज कम्युनिटी प्रोजेक्ट सेंटर एटा के कार्य

*२२---श्री चिरंजीलाल जाटव (जिला एटा)---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि अलीगंज कम्युनिटी प्रोजेक्ट सेंटर एटा में सन् ५३ व ५४ में क्या-क्या काम हुआ ?

श्री फूल सिंह---इस ब्लाक में किये गये कामों की सूची सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ५२०....पर)

*२३---श्री चिरंजी लाल जाटव---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त सेंटर में ट्यूबवेल आपरेटर की नियुक्तियां कब तक किस प्रकार होंगी ?

श्री फूल सिंह---इस सेंटर में ट्यूबवेल आपरेटरों की नियुक्तियां वहां के कुओं के चालू होने पर उम्मीदवारों की लिस्ट से की जायेंगी ।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ये ट्यूब वेल्स सरकार की तरफ से खोले गये हैं या कोआपरेटिव की तरफ से ?

श्री फूल सिंह---स्टेट ट्यूबवेल्स हैं।

बांदा जिले के जंगलों में फलदार वृक्षों का लगाना

*२४---श्री जगपति सिंह (जिला बांदा) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बांदा जिले के जंगलों में फलदार वृक्षों को लगाने को सोच रही है ?

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पंत)---बांदा जिले के जंगलों में फलदार वृक्ष वन विभाग द्वारा पहले ही से लगाये जा रहे हैं।

झांसी जिले में ग्राम भुजोन के मवेशियों को चराई का कष्ट

*२५---श्री गज्जू राम (जिला झांसी) (अनुपस्थित)---क्या सरकार को ज्ञात है कि ग्राम भुजोन, तहसील मोठ (झांसी) के मवेशियों के चरने के लिये कोई जंगल नहीं है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पंत---जी नहीं।

*२६---श्री गज्जूराम (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि ग्राम सभा के जो पास जंगल था वह सरकार ने लेकर फारेस्ट बना लिया है ?

श्री गोविंद वल्लभ पन्त---इस ग्राम में ग्राम सभा के पास कोई जंगल नहीं था ।

गाजी पुर जिले में कासिमाबाद सामुदायिक विकास केन्द्र के अन्तर्गत भवनों का निर्माण

*२७—श्री शिवपूजन राय (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले के अन्तर्गत कासिमाबाद सामुदायिक विकास केन्द्र पर कितने-कितने रुपये के लागत के कितने भवन बन रहे हैं ?

श्री फूल सिंह—इस ब्लाक में बनने वाले भवनों तथा उन पर किये जाने वाले व्यय की सूची सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गयी है ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ-५२१-५२४ पर ।)

*२८—श्री शिवपूजन राय—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि कासिमाबाद सामुदायिक विकास केन्द्र पर कितना रुपया लग चुका है और क्या-क्या काम हुआ है ?

श्री फूल सिंह—इस ब्लाक में अब तक किये जाने वाले कामों तथा उन पर किये गये व्यय की सूची भी सदस्य महोदय की मेज पर रखी है ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ-५२१-५२४ पर ।)

श्री शिवपूजन राय—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि ये जो भवन बनाये गये हैं वे किसी ठेकेदार के द्वारा बनवाये गये हैं या उनको विभाग ने बनवाये हैं ?

श्री फूल सिंह—ठेकेदारों द्वारा बनवाये जाते हैं ।

श्री शिवपूजन राय—तो यह ठेका पी० डब्ल्यू० डी० की मार्फत दिया गया था या किसी अन्य व्यक्ति को ?

श्री फूल सिंह—इस भवन के लिये तो मैं नहीं कह सकता लेकिन आमतौर से जितनी इमारतें बनती हैं वे इरिगेशन डिपार्टमेंट को दे दी जाती हैं ।

श्री गेंदा सिंह—इन केन्द्रों पर कुल कितनी रकम व्यय करने की योजना सरकार की है ?

श्री फूल सिंह—दो तरह के कम्युनिटी प्रोजेक्ट हैं । जो पहले खुले हैं तीन ब्लाक वाले उन पर ६५ लाख रुपये उसके बाद एक-एक ब्लाक वाले जो खुले हैं उन पर १५ लाख रुपया और एन० ई० एस० ब्लाक पर करीब ७ लाख रुपया खर्च होता है ?

श्री गेंदा सिंह—इन केन्द्रों पर इतना कम खर्च होने का क्या कारण है ?

श्री फूल सिंह—काम शुरू करने में थोड़ा वक्त लगता है । अब तो रफ्तार ठीक चल पड़ी है, आशा है कि सब रुपया खर्च हो जायगा ।

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बस्ती जिले की डुमरियागज तहसील में कार्य

*२९—श्री शिवमंगल सिंह कपूर (जिला बस्ती)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पंचवर्षीय योजना के अधीन जिला बस्ती, तहसील डुमरियागंज की उन्नति के लिये कौन-कौन से काम किये जा रहे हैं ?

श्री फूल सिंह—पंचवर्षीय योजना के अधीन जिला बस्ती, तहसील डुमरियागंज में जो काम किये जा रहे हैं उनके विवरण की एक प्रतिलिपि माननीय सदस्य की मेज पर रखी है ।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ-५२५-५२६-पर ।)

*३०--श्री शिवमंगलसिंह कपूर---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जिला बस्ती, तहसील डुमरियागंज के प्लानिंग विभाग ने १९५३-५४ में कौन-कौन से कार्य तहसील में किये गये और तहसील निर्माण कार्य के लिये कोई कार्यक्रम बनाया गया है ? अगर हां, तो वह क्या है ?

श्री फूलसिंह---इस तहसील में जो जो कार्य १९५३-५४ में प्लानिंग विभाग द्वारा किये गये हैं उनकी सूची सदस्य महोदय की मेज पर रखी गयी है ।

तहसील निर्माण कार्य के लिये जो कार्यक्रम बनाया गया है उसकी एक सूची सदस्य महोदय की मेज पर रखी है ।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ५२७--५२९ पर ।)

श्री शिवमंगलसिंह कपूर---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि राष्ट्रीय प्रसार सेवा संघ को सरकार ने कितना अनुदान दिया और कितना अभी तक खर्च किया गया है ?

श्री फूलसिंह---राष्ट्रीय प्रसार सेवा संघ पर ७ लाख रुपये में से एक लाख रुपया तो सबसिडी के रूप में दिया जाता है, तीन लाख के करीब तकावी दी जाती है और यह रकम तीन सालों में बांट दी जाती है ।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)---क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि जो सूची उन्होंने कार्य की दी है उसमें बूढ़ी राप्ती से लोनटाका तक जो नहर निकालने की योजना पर विचार हो रहा है उस पर कितना रुपया सरकार खर्च करना चाहती है ?

श्री फूलसिंह---नहर का रुपया राष्ट्रीय प्रसार सेवा केन्द्र के रुपये से अलग होगा ।

श्री शिवमंगल सिंह कपूर---क्या सरकार को ज्ञात है कि डुमरियागंज तहसील के पश्चिम और उत्तर नवाडीह, सिंगारपुर और देवरिया चमन में अभी प्रसार का कोई काम नहीं हुआ है ?

श्री फूलसिंह---माननीय मेम्बर तो वहां अवश्य गये होंगे और उनकी राय ठीक ही होगी ।

श्री शिवमंगलसिंह कपूर---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत डुमरियागंज में कहां-कहां किस-किस नदी पर पुल बने हैं ?

श्री फूलसिंह---इसकी सूचना चाहिये, लेकिन माननीय सदस्य तो उसी इलाके के रहने वाले हैं वह तो ज्यादा जानते होंगे ।

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत फर्रुखाबाद जिले के तिरवा परगने में कार्य

*३१---श्री चिरंजीलाल पालीवाल (जिला फर्रुखाबाद) (अनुपस्थित)---क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत फर्रुखाबाद जिले के परगना तिर्वा, सौरिख, सकराना, संकतपुर में कितना कार्य निर्धारित किया गया था और उसमें कितना काम हो चुका है तथा कितना करना शेष है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पंत---पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जिला फर्रुखाबाद के परगना तिर्वा, सौरिख सकराना, संकतपुर में निर्धारित कार्य तथा उसमें से जो कार्य सम्पन्न हो चुका है और जो किया जा रहा है उसके विवरण की एक सूची माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गयी है ।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ५३०--५३१ पर ।)

फर्रुखाबाद तहसील में पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कार्य

*३२--श्री अवधेशचन्द्र सिंह (जिला फर्रुखाबाद) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि जिला व तहसील फर्रुखाबाद के परगना खाखटमऊ, परमनगर व अमृतपुर में प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत क्या-क्या काम निर्धारित किया गया था तथा उसमें से कितना हो चुका है और कितना होना अभी शेष है ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त--पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जिला व तहसील फर्रुखाबाद के परगना खाखटमऊ, परमनगर व अमृतपुर के क्षेत्र के लिये जो कार्य निर्धारित किया गया था उसमें से जो हो चुका है तथा जो शेष है उसकी कार्य विवरण तालिका की एक प्रति माननीय सदस्य की मेज पर रखी है ।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ ५३२--५३३ पर।)

हमीरपुर प्लानिंग कमेटी में ग्राम सभापतियों के प्रतिनिधि

*३३--श्री जोरावर वर्मा--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जिला हमीरपुर प्लानिंग कमेटी में ग्राम सभापतियों के कौन-कौन प्रतिनिधि हैं ?

श्री फूल सिंह--हमीरपुर जिले की प्लानिंग कमेटी में ग्राम सभापतियों के निम्नलिखित प्रतिनिधि हैं --

१--श्री मन्तीलाल सक्सेना, प्रधान ग्रामसभा, जैपुर।
२--श्री लक्ष्मीचंद पालीवाल, प्रधान ग्राम सभा, इनगोहटा।
३--श्री जमुनादास, प्रधान ग्राम सभा, गोहैन्ड।
४--श्री त्रिबेनीसहाय दूबे, प्रधान ग्राम सभा, खंडेह।
५--श्री रामसिंह गौड़, प्रधान ग्राम सभा, बेरी।
६--श्री रामेश्वर प्रसाद, प्रधान ग्राम सभा, सिजहरी।
७--श्री रामचरन, प्रधान ग्राम सभा, अकोना।
८--श्री केदारनाथ गुरदेव, प्रधान ग्राम सभा, गहरौली।
९--श्री चिरंजीलाल, प्रधान ग्राम सभा, सूपा।

३४--श्री जोरावर वर्मा--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गवर्नमेंट द्वारा प्रधानों को मनोनीत करने के क्या नियम हैं ?

श्री फूलसिंह--हर पंचायत निरीक्षक के कार्य-क्षेत्र से एक प्रधान लिया जाता है। इनको मनोनीति करने में सरकार जिलाधीशों से परामर्श लेती है और ऐसे प्रधानों को रक्खा जाता है जिनमें ग्राम सुधार सम्बन्धी कार्य करने की रुचि पायी जाती है ।

श्री जोरावर वर्मा--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह मनोनीत करने की जो व्यवस्था हमीरपुर में है वही व्यवस्था दूसरे जिलों में भी है ?

श्री फूलसिंह--पूरे प्रांत में है ।

राजा वीरेंद्रशाह--क्या सरकार को यह मालूम है कि सभापतियों को चुनने का तरीका दूसरे जिलों में भी है या मनोनीत ही होते हैं ?

श्री फूलसिंह--आदेश तो चुन कर भेजने के ही हैं लेकिन अगर जिलाधीश सिफारिश करें तो उसको भी मान लेंगे।

मड़ियाहू तहसील, जौनपुर में श्रमदान पक्ष में निर्मित मार्गों का खसरे में इन्दराज

*३५--श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि मड़ियाहूं तहसील, जौनपुर में जो नयी सड़कें श्रमदान पक्ष में बनायी गयी हैं, जैसे मड़ियाहूं से नेवढ़िया, रामपुर से सुल्तानपुर, सपही से वाजितपुर उनको लेखपाल के कागजात में दर्ज कराया जा रहा है ?

श्री फूलसिंह---श्रमदान सप्ताहों में बनायी गयी सड़कों का उल्लेख खसरा तथा गांव के नक्शों में कर दिया गया है। खसरा में इन का उल्लेख सड़कों के रूप में है किन्तु खतौनी में इनका उल्लेख संबंधित खातों में ज्यों का त्यों है। कुछ सड़कों का उल्लेख खसरा में भी नहीं किया गया है जिसे अगली रबी की परताल में करा दिया जायगा।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा---क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि खतौनी में क्यों उल्लेख नहीं किया गया ?

श्री फूलसिंह---लेखपाल इधर नये नये नियुक्त हुये हैं और उनके पास ट्रेनिंग वगैरह का काफी काम रहा है और इसलिये वे इस आदेश को पूरा नहीं कर सकते हैं। इस साल पूरा हो जायगा।

श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)---क्या मंत्री महोदय यह बतलायेंगे कि जो सड़कें श्रमदान के पक्ष में बनाई गई हैं उनको पक्की कराने के लिये कोई व्यवस्था सरकार करेगी ?

श्री फूलसिंह---सरकार के पास जो रुपया इस काम के लिये होता है वह हर जिला प्लानिंग कमेटी को दे दिया जाता है और कमेटी जिस तरह से चाहे उस रुपये का इस्तेमाल कर सकती है।

श्री जोरावर वर्मा---लेखपालों द्वारा जो सुधार कराने की व्यवस्था है वह क्या सिर्फ जौनपुर जिले के लिये है या पूरे प्रान्त में है ?

श्री फूलसिंह---पूरे प्रान्त में है।

हमीरपुर जिले में लघु तथा कुटीर उद्योग-धंधों के सहायतार्थ प्रार्थना

*३६---श्री जोरावर वर्मा---क्या उद्योग मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९५२-५३, ५३-५४, और ५४-५५ ई० में हमीरपुर जिले के कितने लोगों को लघु तथा कुटीर उद्योग-धंधों को चालू करने के लिये राजकीय सहायता दी गई ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---सन्, १९५२-५३, ५३-५४ और ५४-५५ में हमीरपुर जिले में किसी व्यक्ति को ऋण अथवा अनुदान के रूप में लघु तथा कुटीर उद्योग-धंधों को चलाने के लिये कोई सहायता नहीं दी गई है ?

श्री जोरावर वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कोई सहायता न देने का क्या कारण है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---दरख्वास्तें भी कम आयीं। एक दरख्वास्त आयी थी जिसमें इतनी रक़म अव्वल तो मांगी गयी थी जो कि हमारा डिपार्टमेंट देता नहीं है और दूसरे यह कि डेयरी ऐसे उद्योग-धंधों के लिये भी थी जिसके लिये इस डिपार्टमेंट से रुपया नहीं दिया जाता। एक यह थी और एक और है जो कमेटी के सामने पेश नहीं हुई और उस पर विचार नहीं हुआ।

गांधी स्मारक कोष में मुजफ्फरनगर जिले से संचित धन

*३७--श्री वीरेंद्रवर्मा--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल कितना धन गांधी स्मारक कोष का सरकारी खजाने में सन् १९५० तक जमा हुआ और उसमें मुजफ्फ़रनगर जिले का कितना था ?

श्री फूलसिंह--दिसम्बर, १९५० तक सरकारी खजाने में ५७,९३,२१४ रु० १० आ० जमा हुआ था। उक्त रकम में से २,६०,६२० रु० ११ आ० ९ पा० मुजफ्फरनगर जिले में जमा हुआ था।

*३८--श्री वीरेंद्रवर्मा--क्या यह सही है कि मुजफ्फरनगर जिले के गांधी स्मारक कोष के १४,००० रुपये के दुरुपयोग की सरकार ने जांच करायी थी ? यदि हां, तो आडिटर महोदय ने क्या रिपोर्ट की थी ?

श्री फूलसिंह--इस बारे में आडिट कराने के बाद श्री विचित्रनारायण जी ने छानबीन की थी और इस नतीजे पर पहुंचे थे कि किसी व्यक्ति विशेष पर इस मामले में जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती है।

श्री वीरेंद्रवर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की एकत्रित धनराशि में से कितना रुपया अभी तक प्रदेश में किन-किन कार्यों पर लगाया जा चुका है ?

श्री अध्यक्ष--किन-किन कार्यों पर कितना रुपया लगाया गया इस प्रकार की तो इजाजत नहीं दूंगा लेकिन मुख्य-मुख्य बता दीजिये।

श्री फूलसिंह--इसकी तो सूचना चाहिये।

श्री वीरेंद्रवर्मा--क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि मुजफ्फरनगर से संचित धन में से कोई रुपया अभी तक मुजफ्फ़रनगर जिले में इस्तेमाल किया जा चुका है ?

श्री फूलसिंह--सूचना की आवश्यकता है।

श्री बलवन्तसिंह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह गांधी स्मारक कोष का जो रुपया है यह सरकार किस-किस काम में लगाने की सोच रही है ?

श्री फूलसिंह--इसकी सूचना की आवश्यकता है।

कानपुर में उद्योग विभाग से आर्थिक सहायता पाने वाले व्यक्ति

*३९--श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित (जिला कानपुर)--क्या उद्योग मंत्री कानपुर के उन सज्जनों के नाम व पते बताने की कृपा करेंगे जिन्हें उद्योग विभाग से आर्थिक सहायता गत दो वर्षों में मिली है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--मांगी गई सूचना संलग्न सूची में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ ५३४-५३५ पर।)

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ऋण तथा अनुदान पाने वाले महानुभाव इस धन का उपयोग उन्हीं कार्यों में कर रहे हैं जिसके लिये यह दिया गया है ?

श्री हुकुमसिंह--ज्यादातर लोगों ने ठीक इस्तेमाल किया है। कुछ ने गड़बड़ की है जिसके लिये एक्शन लिया जा रहा है।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित--क्या माननीय मंत्री यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि इस कुल धनराशि को वसूल किस तरह से किया जायगा ?

श्री हुकुमसिंह--किस्तवार ।

श्री गेंदासिंह--जो सहायता दी गई है उसकी धनराशि कितनी है ?

श्री हुकुमसिंह--इस तालिका में दिया हुआ है। टोटल लगाने में देर लगेगी।

श्री बलवन्तसिंह--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जो सहायता दी गई है उस पर सरकार कुछ वार्षिक सूद भी लेती है ?

श्री हुकुमसिंह--साढ़े चार फीसदी सूद लेती है।

श्री जोरावर वर्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कुल कितने व्यक्तियों को यह सहायता दी गई है ?

श्री हुकुमसिंह--करीब २७ व्यक्तियों को यह सहायता दी गई है।

श्री बलवन्तसिंह--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो सहायता दी गई है यह किस काम के लिये दी गई है ?

श्री हुकुमसिंह--उस तालिका में दर्ज है।

श्री बलवन्तसिंह--मेरे पास तो नहीं है।

श्री हुकुमसिंह--(श्री अध्यक्ष से) इजाजत हो तो पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष--आप खास-खास काम बता दें। हर एक को पढ़ने की जरूरत नहीं है।

श्री हुकुमसिंह---निटिंग, मन्युफ़ैक्चरिंग आफ़ इलेक्ट्रिकल गुड्स, मेडीसिन्स वगैरह बनाने के लिये, एग्रीकल्चरल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिये, ट्राइसिकिल बनाने के लिये, चप्पल बनाने के लिये, जूता बनाने के लिये, बुक-बाइंडिंग के लिये, चमड़े की इंडस्ट्री के लिये, लकड़ी के काम करने के लिये, पोल्ट्री के लिये, टेलरिंग का काम औरतों को सिखाने के लिये, साइकिल के पार्ट्स बनाने के लिये, ऐसी ही सब चीजें हैं।

श्री वीरेंद्र वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी ने जिन लोगों को सहायता दी है उनके कार्यों का निरीक्षण भी कर लिया है कि वह किस तरह कार्य कर रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह--निरीक्षण तो होता ही रहता है। जहां गड़बड़ होती है वहां रुपया वसूल कर लेते हैं ?

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित--इस तरह की सहायता प्राप्त करने के लिये क्या तरीका है जो सरकार ने रखा है।

श्री हुकुमसिंह--लोन्स ऐण्ड ग्रान्ट रूल्स की तरफ मैं, अपने माननीय सदस्य की तवज्जह दिलाना चाहता हूं।

नीम के तेल से गंध दूर करने के लिये अनुसंधान

*४०--श्री शिवकुमार शर्मा--क्या सरकार नीम के तेल को डि-आडराइज (गंधरहित) करने के सम्बन्ध में किसी योजना पर विचार कर रही है जिससे नीम के तेल की गंध दूर की जा सके और नीम के ग्राम उद्योग की उन्नति हो सके ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--जी हां, सरकार नीम के तेल से गंध दूर करने के उपायों पर अनुसंधान कर रही है। नीम के ग्रामोद्योग की उन्नति के लिये निबौली से अच्छे प्रकार की मींगीं तैयार करने की मशीनों को तैयार किया जा रहा है जिससे नीम की मींगीं व नीम का तेल तैयार करने के ग्रामोद्योगों की उन्नति होगी।

श्री शिवकुमार शर्मा--क्या सरकार बतायेगी कि अनुसंधान के पश्चात् डिओडोराइज़ का कोई फार्मूला जनता के हित में अब तक बतलाया गया है या नहीं?

श्री हुकुमसिंह--अभी तो अनुसंधान ही हो रहा है।

श्री शिवकुमार शर्मा--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अनुसन्धान कब से चल रहा है और कब तक चलने की सम्भावना है?

श्री हुकुमसिंह--कब से चल रहा है यह तो नहीं बतला सकता। इस वक्त चल रहा है यह बता सकता हूं।

श्री बलवन्तसिंह--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि नीम की कड़ुवाहट दूर करने के लिये भी कोई कार्यवाही हो रही है?

श्री हुकुमसिंह--जी हां, सुगन्ध अच्छी इसमें हम पैदा करना चाहते हैं।

श्री शिवकुमार शर्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अपने ही आदमी काम कर रहे हैं या इसके अलावा विदेशी या भारतीय विशेषज्ञों की भी सहायता ले रही है।

श्री हुकुमसिंह--जी नहीं। अभी अपने ही आदमी काम कर रहे हैं।

*४१-४३--श्री जयेंद्रसिंह बिष्ट--[६ जनवरी, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

*४४-४५--श्री सत्यसिंह राणा--[६ जनवरी, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

रवाई जौनपुर इलाके में एन० ई० एस० ब्लाक खोलना

*४६--श्री सत्यसिंह राणा--क्या सरकार एक एन० ई० एस० ब्लाक को रवाई जौनपुर इलाके में खोलने जा रही है? यदि हां, तो कब से?

श्री फूलसिंह--इस इलाके में २ अक्तूबर, १९५४ को एक ब्लाक खोला जा चुका है।

श्री सत्यसिंह राणा--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि यह राष्ट्रीय प्रसार योजना जो इस वक्त रवाई इलाके तक ही सीमित है उसको जौनपुर इलाके में कब एक्स्टेंड करने का विचार रखती है?

श्री फूलसिंह--हर जिला प्लानिंग कमेटी को यह आदेश गया है कि वह कुल जिले को ब्लाक्स में डिवाइड कर ले और जिला कमेटी की सिफ़ारिश के अनुसार और ब्लाक भी खोल दिये जायं।

*४७-४९--श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा) --[२३ दिसम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

*५०--श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)--[२३ दिसम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

गोरखपुर वन डिवीजन में चौराहा से महाराजगंज तक ट्राम्वेज ले जाने की मांग

*५१--श्री इस्तफा हुसैन (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि वह गोरखपुर वन डिवीजन में चौराहा से महाराजगंज तक ट्राम्वेज ले जाने का विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--जी नहीं।

श्री इस्तफा हुसैन--क्या यह सही है कि हल्द्वानी में ट्रामवे की गाड़ियों वगैरह का काम अब खत्म हो रहा है और अगर ऐसा है तो क्या वहां का रोलिंग स्टाक गोरखपुर वन डिवीजन में ले जाने की कोशिश की जायगी?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--जी हां, हल्द्वानी में बन्द हो गया है। मगर गोरखपुर ले जाने की आवश्यकता नहीं क्योंकि लाभ नहीं होगा क्योंकि वहां जंगल के नजदीक सब रेलवे स्टेशन हैं।

श्री इस्तफा हुसैन--क्या यह सही है कि जो ट्रामवे की लाइन चौराहा तक गई है उसको और बढ़ाने के वास्ते लोगों ने कोशिश की है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--वहां पर सिर्फ एक ही जंगल निचनौले का है जो स्टेशन से दूर है। मगर वहां पर एक सड़क है इसलिये इतना खर्च उठाने की आवश्यकता नहीं है।

*५२--श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी--[८ दिसम्बर, १९५४ को प्रश्न संख्या ४३ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

कुमायूं डिवीजन में फलोत्पादन कार्य उद्योग विभाग को देना

*५३--श्री रामनारायण त्रिपाठी (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कुमायूं डिवीजन में बागवानी तथा फलोत्पादन का काम कृषि विभाग से लेकर उद्योग विभाग को दे दिया गया? यदि हां, तो ऐसा करने का क्या कारण है?

श्री हुकुम सिंह--जी हां, उत्तर प्रदेश राज्य में और विशेषरूप से उसके पहाड़ी जिलों में अनेक प्रकार के फल अधिकता से पैदा होते हैं। इस प्रदेश के प्रचुर फल संपत्ति का अच्छे से अच्छा उपयोग करने के प्रयोजन से सरकार ने फूड एंण्ड एग्रिकल्चरल आर्गेनाइजेशन कम्युनिटी एक्सपर्ट की राय से १९५३-५४ ई० में उत्तर प्रदेश में फलोपयोग के एक स्वतंत्र संचालक विभाग (Director) की स्थापना की स्वीकृति दी। इस संचालक विभाग का मुख्य उद्देश्य पहाड़ों में फलोत्पादन (Fruit Culture) का विकास करना और उसे सामान्यतः सारे राज्य में फलो के औद्योगीकरण से संबद्ध करना है, जिसके लिये काफी गुंजाइश है।

इस कार्य की आवश्यकताओं की दृष्टि से यह वांछनीय समझा गया है कि इस विषय की कुमायूं में की जाने वाली कार्यवाहियों के संबंध में सरकारी कार्य को कृषि विभाग से उद्योग विभाग को संक्रामित कर दिया जाय।

*५४--श्री कमलासिंह (जिला गाजीपुर)--[२३ दिसम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

*५५-५६--श्री जगन्नाथ मल्ल--[२३ दिसम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

द्वितीय पंच वर्षीय योजना के संबंध में परिप्रश्न

*५७--श्री रामनारायण त्रिपाठी (अनुपस्थित)--क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार द्वितीय पंच वर्षीय योजना तैयार हो जाने पर उस पर उत्तर प्रदेश विधान सभा तथा विधान परिषद् की राय ले कर उसे लागू करने को सोच रही है ?

श्री गोविन्दवल्लभ पंत--इस सुझाव पर उचित समय आने पर विचार किया जायगा।

*५८--श्री शिवमंगलसिंह कपूर--[२३ दिसम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

*५९-६१--श्री गंगाधर शर्मा (जिला सीतापुर)--[६ जनवरी, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

मिर्जापुर जिले के परगना मुईली, मंगवल, हवेली तथा अहरौरा में बुनकरों की आर्थिक दशा

*६२--श्री राजकुमार शर्मा (जिला मिर्जापुर) (अनुपस्थित)--क्या उद्योग मंत्री को पता है कि जिला मिर्जापुर की चुनार तहसील के अन्तर्गत मुईली, मंगवल, हवेली और अहरौरा परगने में बुनकरों की संख्या अधिक है और यद्यपि इनके पर्याप्त संख्या में करघा चल रहे हैं तथापि उनकी आर्थिक दशा दयनीय है ?

श्री हुकुम सिंह--जिला मिर्जापुर में ६१८ करघे हैं। भिन्न परगनों में बुनकरों की संख्या ज्ञात नहीं है।

*६३--श्री राजकुमार शर्मा (अनुपस्थित)--क्या सरकार इनकी दशा सुधारने और रोजगार में उन्नति लाने के लिये आर्थिक सहायता देने पर विचार कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह--जिला मिर्जापुर के बुनकरों की कोई दरख्वास्त आर्थिक सहायता के लिये नहीं आयी है।

*६४--श्री राजकुमार शर्मा (अनुपस्थित)--क्या यह सही है कि यहां के बुनकरों ने सहकारी ढंग से सोसाइटी बना ली है परन्तु अभी तक नियमतः उसके अनुसार उनको सहायता सरकार की ओर से नहीं प्राप्त हो रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह--जिला मिर्जापुर के किसी परगने में बुनकरों की कोई सहकारी समिति नहीं है और न सहकारी समिति बनाने के लिये कोई दरख्वास्त आयी है। हैन्डलूम योजना के अन्तर्गत बुनकर समिति बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है।

*६५-६७--श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)--[१७ दिसम्बर, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ४८-५० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

भ्रष्टाचार विरोधी समितियों के सुझावों का महत्व

*६८--श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)--क्या मुख्य मंत्री भ्रष्टाचार विरोधी समिति के सुझावों पर दंड व्यवस्था करने का विचार करते हैं ? यदि हां, तो कितने मामलों में ऐसे सुझावों के अनुसार दंड दिया गया।

श्री गोविन्दवल्लभ पंत––सरकार ने सभी विभागों के अध्यक्षों तथा जिलाधीशों को आदेश जारी कर दिये हैं कि जो भी शिकायतें जिला भ्रष्टाचार विरोधी समितियों द्वारा उनके पास भेजी जायं उन पर वे उपयुक्त ध्यान दें तथा इस बात का भी ख्याल रखें कि जहां दण्ड की आवश्यकता हो वहां पर्याप्त दंड दिया जाय ।

भ्रष्टाचार के व्यक्तिगत मामलों में सरकार या उपयुक्त वैभागिक अधिकारियों के विवेकानुसार दंड दिया जाता है । ऐसे मामलों में कहां तक भ्रष्टाचार विरोधी समितियों के सुझावों के अनुसार दंड दिया गया यह नहीं कहा जा सकता क्योंकि इस सम्बन्ध में सरकार के पास साधारणतया सूचना नहीं आती ।

श्री जगन्नाथ मल्ल के पडरौना चीनी मिल विषयक प्रश्नों का स्थगन

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)––मुझे एक जानकारी हासिल करनी है । अक्तूबर, के महीने में मैंने कुछ प्रश्न दिये थे । वह नवम्बर के महीने में सरकार को भेज दिये गये। वह तीसरी तारीख के लिये रखे भी गये थे और उसके बाद पोस्टपोन करके आज के लिये रखे गये। इसके बाद आज से पोस्टपोन करके फिर २३ तारीख को रख दिये गये हैं जबकि दसवां गुरुवार भी बीच में ही पड़ेगा । ५५ और ५६ नम्बर के वह सवाल हैं जिनका सम्बन्ध पडरौना मिल में चीनी के बेचे जाने से था । उसमें बहुत गड़बड़ी की गयी है । तो हमें डर है कि अगर वह पहले नहीं लिया जायगा तो इसमें गड़बड़ी कर दी जायगी और ठीक-ठीक मामला सामने नहीं आयगा । इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि वह क्यों स्थगित किया गया है ?

श्री अध्यक्ष––यह तो आप मुझसे दफ्तर में पूछ सकते हैं । मेरे पास सरकार की ओर से उचित कारण आ जाता है तब कोई प्रश्न स्थगित किया जाता है । तो आप मुझ से दफ्तर में पूछ सकते हैं ।

विधान सभा सदस्य श्री टीकाराम की दोषमुक्ति की सूचना

श्री अध्यक्ष––श्री वंशीधर पांडेय, आनरेरी स्पेशल मैजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, हरदोई ने श्री टीकाराम, एम० एल० ए० को ५०० रुपये का आर्थिक दंड तथा जिसको अदा न करने की दशा में तीन मास का कठोर कारावास का दंड दिया था; यह सूचना सदन में २३ अगस्त, १९५४ को दी गयी थी और सदस्यों को पृथक् रूप से पत्र द्वारा भी सूचित किया गया था; अब श्री गंगाशंकर, आनरेरी स्पेशल मैजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, हरदोई से सूचना प्राप्त हुयी है कि वह १२ अक्तूबर, १९५४ को सत्र न्यायाधीश हरदोई द्वारा पुनर्वाद में दोषमुक्त कर दिये गये हैं ।

वह मुझे यह सूचना दे रहे हैं । यह इसमें नहीं दिया है कि किस धारा के अधीन उनको सजा हुयी थी । इसकी सूचना पहले दी जा चुकी है ।

आगरा यूनिवर्सिटी सिनेट के लिये विधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन का कार्य-क्रम

श्री अध्यक्ष––सदन के २ दिसम्बर, १९५४ के निश्चय के अनुसार आगरा यूनिवर्सिटी सिनेट के लिये ५ सदस्यों का निर्वाचन करना है । इसके लिये मैंने निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किया है :––

नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करने की तिथि तथा समय ।	१४ दिसम्बर, १९५४ को १ बजे मध्यान्ह तक ।

नाम–निर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा	१५ दिसम्बर, १९५४ को ३ बजे दिन।
नाम वापस लेने की अंतिम तिथि और समय	१७ दिसम्बर, १९५४ को ४ बजे सायंकाल तक।
निर्वाचन की तिथि, स्थान और समय (यदि आवश्यकता हो)।	२० दिसम्बर, १९५४ को सायंकाल ५ बजे विधान सभा मंडप में।

†हस्तिनापुर नगर विकास मंडल विधेयक, १९५४

*खंड ८ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष––अब हस्तिनापुर नगर विकास मंडल विधेयक, १९५४ पर विचार जारी रहेगा।

श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)––माननीय अध्यक्ष महोदय, कल श्री बसन्तलाल शर्मा द्वारा प्रस्तुत संशोधन पर मंत्री जी द्वारा स्वीकृत होने के बाद मैंने अपना विरोध प्रदर्शित किया था और इस सम्बन्ध में मैंने अपने विचार रखे थे। माननीय बसन्तलाल जी का संशोधन था कि खंड ८ के उपखंड (५) की पांचवीं पंक्ति में शब्द निर्माण के स्थान पर शब्द "निरीक्षण" तथा शब्द "के लिये" और "उपलब्ध" के बीच में शब्द "निःशुल्क" रख दिया जाय। मैं इससे विरोध रखता था और अब भी रखता हूं। जहां तक इस धारा का सम्बन्ध है जो हिन्दी में है, अगर श्रीमन्, इसके अंतिम वाक्य को पढ़ें तो यह बड़ा अजीब सा लगता है। कल एक धारा के सम्बन्ध में इसी तरह की चीज उपस्थित हुयी थी तो आपने ही अंग्रेजी का अनुवाद पढ़कर सुनाया था और इस तरह द्विविधा दूर करने की कोशिश आपने की थी, यह देख कर जब मैं घर गया तो फिर मैंने अंग्रेजी की किताब जो इसके लिये छपी है उसको पढ़ने की कोशिश की जो इस प्रकार है ––

"Minutes of the proceedings of each meeting (together with the names of the members present) shall be recorded in a book to be provided for the purpose, and shall be signed by the person presiding at the next ensuing meeting, and shall thereafter be circulated to each member and shall, at all reasonable times, be open to inspection by any member."

जब मैंने देखा तो यहां शब्द है "इंस्पेक्शन"। "इंस्पेक्शन" की जगह पर हमारे मंत्री जी के सलाहकार लोगों ने "निर्माण" रख दिया है। दोनों पुस्तकें हमारे सामने हैं। इसमें "निर्माण" है और मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि हमारे जानकार लोग जो कानून बनाते हैं वह "इंस्पेक्शन" की जगह पर "निर्माण" रखेंगे और "कांस्ट्रक्शन" की जगह पर "निरीक्षण" रखेंगे।

श्री अध्यक्ष––क्या आप वापस लेना चाहते हैं ?

श्री रामेश्वर लाल––जी नहीं।

उद्योग मंत्री (श्री हुकुमसिंह)––उनका कोई संशोधन नहीं है।

श्री रामेश्वरलाल––मैं संशोधन का विरोध कर रहा हूं। शायद आप भी हमारे इस सुझाव से सहमत होंगे कि "इंस्पेक्शन" की जगह पर "निरीक्षण" जो माननीय बसन्तलाल जी ने रखा है, वह तो मैं अंग्रेजी की किताब देखने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि "निरीक्षण" ठीक है। लेकिन जहां तक "निःशुल्क" रखने का सम्बन्ध है मैं सहमत नहीं हूं। "उपलब्ध" का मतलब "बी ओपेन" से है। अगर "बी ओपेन" से तात्पर्य है तो फिर "निःशुल्क" का कोई प्रश्न ही नहीं है। इसलिये जैसा कि माननीय बसन्तलाल जी के संशोधन में आया है "निःशुल्क" की कोई

---

*२६ अगस्त, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।

*खंड ८ (क्रमागत) ८ दिसम्बर, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री रामेश्वर लाल]

आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो अंग्रेजी में शब्द हैं, वे ये हैं---"at all reasonable times, be open to inspection by any member." और हिन्दी में इसका रूपान्तर यह है-- "और सभी उपयुक्त समय में सदस्यों द्वारा निर्माण के लिये उपलब्ध होगा।" तो यह "बी ओपेन" के लिये "उपलब्ध" शब्द है। इसलिये निःशुल्क की कोई आवश्यकता नहीं। इसलिये माननीय मंत्री जी इसको यहां से हटा दें। उसको गलत मान लें और "निरीक्षण" "इंस्पेक्शन" की जगह पर ठीक है। "निर्माण" नहीं होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष---माननीय उद्योग मंत्री, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो अभी आपने बताया कि "निःशुल्क" इसके पहले आयेगा, क्या इसका यह मतलब है कि निःशुल्क निरीक्षण होगा ?

श्री हुकुमसिंह---फीस नहीं देनी पड़ेगी, वैसे ही इंस्पेक्शन होगा।

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)---मान्यवर, इस शाब्दिक संशोधन के उपस्थित करने के बाद और माननीय मंत्री जी के द्वारा उसकी स्वीकृति हो जाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि इस पर कोई वादविवाद उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन जब मैं यह देखता हूं कि काशी के प्रकांड पंडितों की वेशभूषा में बैठे हुये हमारे मित्र रामेश्वरलाल जी ने इस छोटी सी बात को इतना वृहत् रूप दे दिया, तो मुझे आश्चर्य हुआ। मैं यह बता देना चाहता हूं कि यह जो "निरीक्षण', शब्द है इसका सम्बन्ध "विवरण" के साथ है। कार्यवाही का विवरण कागज पर लिख कर तैयार किया जायगा और वह बिना किसी फीस के जो सदस्य अगली मीटिंग में आयेंगे उनको दिया जायगा देखने के लिये। तो जो विवरण कागज पर लिखा जायगा उसका कोई निर्माण नहीं हो सकता, उसका इंस्पेक्शन ही हो सकता है। इसलिये विवरण शब्द के लिये निरीक्षण शब्द ही ठीक आता है और मैं समझता हूं कि "निरीक्षण" ही रखा जाना चाहिये।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---श्रीमन्, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। हम यह समझते हैं कि शायद कुछ गलतफहमी है। क्योंकि निःशुल्क तो नया शब्द जोड़ रहे हैं। ऐसी गुंजाइश हो सकती थी कि निरीक्षण पैसा दे कर भी किया जाय। अगर पहले ही यह कहा होता कि कोई भी मेम्बर बिना पैसे दिये हुये किसी भी समय निरीक्षण कर सकता है और निःशुल्क कर सकता है तो किसी को कोई आपत्ति न होती। इसी की सफाई बसन्तलाल जी को पहले ही कर देनी चाहिये थी।

श्री हुकुमसिंह---यह तो कर दी गयी थी।

श्री अध्यक्ष---अब श्री रामेश्वरलाल जी को कोई आपत्ति तो नहीं है ?

श्री रामेश्वरलाल---मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ८ के उपखंड (५) की पांचवीं पंक्ति में शब्द "निर्माण" के स्थान पर शब्द "निरीक्षण" तथा शब्द "के लिये" और "उपलब्ध" के बीच में शब्द "निःशुल्क" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

मंडल के अधिकारी तथा सेवक

खण्ड ९

९---इस अधिनियम तथा तदन्तर्गत बने नियमों के उपबन्धों के अधीन, मंडल ऐसे अधिकारियों अथवा सेवकों को सेवा के ऐसे प्रतिबन्धों और शर्तों पर, जिसे वह

उचित समझे नियुक्त कर सकता है, जो उसके कृत्यों के सुदक्ष संपादन के लिये उसके विचार में आवश्यक हों।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ९ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड १०

१०--(१) मंडल का एक प्रशासक होगा जिसे राज्य सरकार नियत मंडल का प्रतिबन्धों और शर्तों पर केन्द्रीय सरकार से परामर्श करने के पश्चात् प्रशासक। नियुक्त करेगी।

(२) प्रशासक मंडल का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी (principal executive officer) होगा तथा मंडल के सभी दूसरे अधिकारी और सेवक उसके अधीनस्थ होंगे।

(३) प्रशासक पदेन (ex-officio) मंडल का सचिव होगा और उसे मंडल की अथवा मंडल की समितियों की सभी बैठकों में बोलने अथवा अन्य प्रकार से भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु उसे वहां मत देने का अधिकार न होगा।

*श्री गजेन्द्रसिंह (जिला इटावा)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड १० के उपखंड (१) व (२) को निकाल दिया जाय और उनके स्थान पर निम्नलिखित उप खंड (१) व (२) रख दिये जायं--

"१०--(१) मंडल का एक कार्यकारी अधिकारी (Executive Officer) होगा जिसे मंडल नियत प्रतिबन्धों और शर्तों पर यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ के Chapter II में निर्धारित कार्यकारी अधिकारी (Executive Officer) की नियुक्ति के हेतु नियत पद्धति के अनुसार करेगा।

(२) कार्यकारी अधिकारी (Executive Officer) के अधीनस्थ मंडल के सभी दूसरे अधिकारी व सेवक होंगे।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, विधेयक में धारा १० इस प्रकार है "(१) मंडल का एक प्रशासक होगा जिसे राज्य सरकार नियुक्त प्रतिबधों और शर्तों पर केन्द्रीय सरकार से परामर्श करने के पश्चात् नियुक्त करेगी; (२) प्रशासक मंडल का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी होगा तथा मंडल के सभी दूसरे अधिकारी और सेवक इसके अधीनस्थ होंगे।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन रखने का मतलब केवल यही है कि यहां जो प्रशासक रखा गया है वह प्रान्तीय सरकार और केन्द्रीय सरकार के परामर्श के बाद में नियुक्त किया जायगा। मैं चाहता हूं जब मंडल गवर्नमेंट के द्वारा नामिनेट किया जा रहा है, जिसमें राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार दोनों के प्रतिनिधि होंगे, और साथ-साथ अध्यक्ष भी नामिनेट होगा तो फिर वहां पर प्रशासक के रखने की मुझे कोई आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है। इसलिये मैं यह उचित समझता हूं कि मंडल स्वयं अपना एक्जिक्यूटिव आफिसर रक्खे। म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ के चैप्टर २ के मुताबिक और उस एक्जिक्यूटिव आफिसर के अधीनस्थ मंडल के कर्मचारी और सेवक रहें। यह मैं इसलिये चाहता हूं कि अगर मंडल और प्रशासक दोनों सरकार द्वारा नामिनेट होते हैं तो दोनों की पोजीशन एक सी हो जाती है, तो इसमें खतरा यह पैदा हो जाता है कि दोनों अपने को बराबरी का दावेदार समझेंगे और इस तरह मंडल के कार्य में कुछ रुकावट पैदा हो सकती है।

प्रशासक यह समझेगा कि हमको गवर्नमेंट ने नियुक्त किया है। लिहाजा वह मंडल के अन्डर नहीं है। इसलिये इस किस्म की अड़चन काम करते वक्त पैदा होगी जिसका संभालना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गजेन्द्रसिंह]

मुश्किल हो जायगा । इसलिये वहां पर यह एक प्राबलम खड़ी हो जायगी जिसको कि मंडल फ़ेस करेगा । प्रशासन और मंडल के बीच में एक झगड़ा पैदा हो जायगा । इसलिये मैं समझता हूं कि प्रशासक की जगह पर एक कार्यकारी अधिकारी होना चाहिये और वह मंडल द्वारा ही नियुक्त होना चाहिये और वह भी म्युनिसिपल ऐक्ट के मुताबिक होना चाहिये । यह नहीं होना चाहिये कि जिस प्रकार से माननीय मंत्री जी ने इस विधेयक में रखा है एक प्रशासक होगा जो गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त किया जायगा । अगर कार्यकारी अधिकारी होगा तो वह मंडल के द्वारा नियुक्त किया जा सकता है और उसको हमेशा वही अधिकार रहेंगे जो म्युनिसिपल बोर्ड्स ऐक्ट के मुताबिक होते हैं । ऐसी सूरत में उनके बीच में कोई क्लैश पैदा नहीं होगा और वह ठीक तरह से कार्य करेगा । इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन को सदन के सामने रखता हूं और उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको मानने की कृपा करेंगे ।

श्री हुकुमसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव हमारे मित्र ने पेश किया है उसके जरिये से उन्होंने यह मांग की है कि धारा १० की उपधारा (१) और (२) निकाल दी जाय और उसके स्थान पर एक्जिक्यूटिव आफिसर का इन्तखाब म्युनिसिपल ऐक्ट के चैप्टर दो के अनुसार किया जाय। मेरी दिक्कत इस सम्बन्ध में पहली तो यह है कि उपधारा (१) व (२) निकाल देने से उपधारा (३) बाकी रह जायगी। इस कार्य से प्रशासक पदेन मंडल का सेक्रेटरी होगा । उधर एक्जिक्यूटिव आफिसर भी रहेगा और प्रशासक भी रहेगा । उपधारा (३) के रहने से इसमें यह अनामली पैदा हो जायगी । इस वजह से मैं इसकी मुखालिफत करता हूं ।

दूसरी बात यह है कि इस विधेयक के शुरू में हम एडमिनिस्ट्रेटर यानी प्रशासक की डेफिनिशन कर चुके हैं । अगर वह एडमिनिस्ट्रेशन नियुक्त नहीं किया जायगा तो यहां पर भी कठिनाई पैदा होगी क्योंकि हम उसको पहले पास कर चुके हैं । इसके अन्दर एक्जिक्यूटिव आफिसर की कहीं पर डेफिनिशन नहीं है । आप कहते हैं कि इस संशोधन के मुताबिक म्युनिसिपल ऐक्ट के चैप्टर २ के मुताबिक वह एक्जिक्यूटिव आफिसर मुकर्रर किया जाय । तो फिर यह कठिनाई भी पैदा होगी क्योंकि तब राज्य सरकार को मुकर्रर करने का अधिकार न होगा । एक्जिक्यूटिव आफिसर के बारे में म्युनिसिपल ऐक्ट में कुछ अधिकार भी दिये हुये हैं जो कि उसके मुताबिक ही काम करेगा । इससे हमारे काम में सहूलियत पैदा न होगी । ऐसी सूरत में मेरा यह विचार है कि प्रशासक का रखना जरूरी है और ऐक्जीक्यूटिव आफिसर की कोई जरूरत नहीं है । तो इन तीन कारणों से मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं । पहला तो यह कि (१) और (२) में संशोधन हो जाय और (३) में न हो, दूसरी बात यह एक्जीक्यूटिव आफीसर की डेफीनीशन नहीं है और तीसरे यह कि नयी परिस्थिति में एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत है ।

*श्री अवधेशप्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने मित्र के संशोधन का समर्थन करने को खड़ा हुआ हूं ।

श्री हुकुमसिंह—समझा भी है ?

श्री अवधेशप्रताप सिंह—अगर माननीय ठाकुर साहब समझ सकते हैं तो उतना दावा मैं भी रखता हूं समझने का और अगर हम दोनों ने नहीं समझा है तो दोनों की मजबूरियां हैं और विधाता ही इसका सहायक हो सकता है ।

मैं मानता हूं कि इसमें माननीय मंत्री जी को कठिनाइयां हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर डिफ़ाइन किया है, एक्जीक्यूटिव आफ़ीसर कहीं नहीं है । लेकिन जब आप एक डेवलपमेंट बोर्ड बना रहे हैं और उसका एक चेयरमैन होगा, तो मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि एक्जीक्यूटिव आफिसर रखने में कौन सी महान् आपत्ति होगी ? आज यू० पी० म्युनिसिपलिटीज ऐक्ट के अनुसार अगर ऐक्जीक्यूटिव आफ़ीसर नियुक्त होता है और उसकी नियुक्ति के सम्बन्ध में एक सिद्धांत .....

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष--मैं आपका ध्यान १० (२) की ओर दिलाना चाहता हूं। इसमें यह दिया हुआ है, मैं अंग्रेजी का खंड सुना दूं, वह स्पष्ट होगा, "The Administrator shall be the principal Executive Officer" यानी एडमिनिस्ट्रेटर एक्जीक्यूटिव आफ़ीसर ही है। यह बात मैं आपको बतलाना चाहता हूं।

श्री अवधेशप्रताप सिंह--ठीक है, इसके लिये मैं आप का कृतज्ञ हूं परन्तु उसे मैं पढ़ चुका था। उनके कहने के मुताबिक़ एग्जीक्यूटिव आफ़ीसर को डिफ़ाइन करने की जरूरत नहीं है। संशोधन का अभिप्राय केवल इतना ही है कि जिस रूप से उनके ड्राफ्ट्समैन ने बना कर यह हम लोगों के सामने रख दिया है यदि उसमें कोई समुन्नति हो सके तो वह की जावे। इस संशोधन के मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये क्योंकि जहां तक सिद्धांत की बात है उसमें कोई मतभेद नहीं है। प्रशासन के लिहाज से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक्जीक्यूटिव अफिसर भी वही काम करेगा और ऐडमिनिस्ट्रेटर भी। लेकिन जहां तक उसके अप्वायन्टमेंट का सवाल है, वह एक महत्वपूर्ण बात है जो कि वह चाहते हैं। श्रीमन्, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आपके अधीन रह चुकी है, इसलिये आपको समझाने में मुझे कोई कठिनाई नहीं होगी यद्यपि माननीय ठाकुर साहब को समझाने में ही हो सकती है। जो कठिनाइयां उन्होंने बताई हैं उनका अनुभव मैं भी कर रहा हूं। म्यूनिसिपल ऐक्ट में उनको नियुक्ति, सस्पेंशन और डिसमिसल इस प्रकार से वैधानिकतः स्वतंत्र रखा गया है कि कोई बोर्ड अकारण उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। एक्जीक्यूटिव आफीसर को कोई चेयरमैन डिसमिस नहीं कर सकता, सस्पेंड नहीं कर सकता, कोई प्रेसीडेंट अप्वाइंट नहीं कर सकता। यह तो महज बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में है। हमारे माननीय सदस्य ने यह समझ कर कि ठाकुर साहब अपनी सूक्ष्म बुद्धि से समझ लेंगे उसको साफ नहीं किया। लेकिन इसके बाद माननीय सदस्य को यह कटु अनुभव होगा कि उनको यह कहना चाहिये था कि एडमिनिस्ट्रेटर और एक्जीक्यूटिव आफिसर में इस प्रकार से कोई फर्क नहीं है। हां, अप्वाइंटमेंट में थोड़ा सा अन्तर होता है। हमको इन सब बातों पर विचार करना चाहिये और अगर माननीय मंत्री जी इसको चित से चाहें तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा और उनकी अनुकंपा होगी तो वे उसको मान भी लेंगे। अगर वे इसको मानना भी नहीं चाहते हैं तो वे ग़लतफ़हमी में न रहें कि वह अगर नहीं समझे तो मैं भी नहीं समझा। अगर वे ऐसा समझेंगे तो श्रीमन्, फिर आप ही के हस्तक्षेप से यह हो सकेगा फिर न कोई एक दूसरे को समझा सकेगा और न कोई बात ही हो पायगी। लिहाजा हमें इस दृष्टिकोण से विचार करना चाहिये और मैं आशा करता हूं कि वे इसको स्वीकार करेंगे।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से माननीय गजेन्द्र सिंह जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय मंत्री जी ने यहां यह प्रश्न उठाया था कि ऐडमिनिस्ट्रेटर की परिभाषा हम पहले खंड २ में स्वीकार कर चुके हैं इसलिये अब इस सवाल को लेना यहां उचित प्रतीत नहीं होता। मैं इसको समझ सकता अगर माननीय मंत्री जी वैधानिक रूप से प्वाइंट आफ आर्डर रेज़ करते लेकिन माननीय मंत्री जी उस मौके पर तो चूक गये और उन्होंने प्वाइंट आफ आर्डर नहीं उठाया।

अब माननीय मंत्री जी के सामने मैं एक इनकांसिस्टेंसी रखना चाहता हूं कि जो एक्जीक्यूटिव आफीसर की परिभाषा जैसी कि म्युनिसिपल ऐक्ट में की गयी है, अगर वैसी ही स्वीकार नहीं की गयी तो इस विधेयक को कार्यान्वित करने में बड़ी रुकावट होगी। क्योंकि आखिर एक्जीक्यूटिव आफ़ीसर तो आर्डर्स को ऐक्जीक्यूट करने वाला ही होता है और वर्तमान् विधेयक में यह परिभाषा की गयी है कि एडमिनिस्ट्रेटर एक चीफ एक्जीक्यूटिव आफ़ीसर ही होगा। मेरी समझ में नहीं आता कि यह द्वैध संज्ञा क्यों रखी गयी, इसकी क्या आवश्यकता थी। आप उसको सीधा एक्जीक्यूटिव आफिसर क्यों नहीं कहते हैं? 'ऐडमिनिस्ट्रेटर'

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

की संज्ञा देने से आप का क्या अर्थ है ? अगर कोई आफिसर 'एक्जेक्यूटिव आफीसर' नाम देने से नाखुश होता और 'एडमिनिस्ट्रेटर' के नाम से खुश हो जायगा तो मैं समझता हूं कि यह कोई ऐसी बात नहीं है जो समझ में आ सके। अगर आपको कानून की मर्यादा रखनी है तो मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आगे चल कर खंड १५ की तरफ दिलाऊंगा। उसमें लिखा हुआ है--

"The provisions of Chapters VII, VIII, IX (except section 297) and X of the U.P. Municipalities Act, 1916, in so far as such provisions are not inconsistent with the provisions of this Act shall, as far as may be, apply to the area of operation and all references in the said provisions to the board or to the President or any officer of the Board shall be construed as references to the Hastinapur Town Development Board or the Chairman or officers thereof, as the case may be."

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इस खंड १५ के द्वारा यू० पी० म्युनिसिपैलिटी ऐक्ट के अध्याय ७, ८, ९, १० इस हस्तिनापुर टाउन के डेवलपमेंट के लिये लागू कर दिये गये हैं। जो अधिकार चेयरमैन को होंगे, वह वही होंगे जो प्रेसीडेंट को थे। म्युनिसिपैलिटी के मेम्बरों के अधिकार बोर्ड के मेम्बरों को होंगे तथा एक्जीक्यूटिव आफिसर के वही अधिकार मान लिये गये हैं जो कि म्युनिसिपैलिटी के एक्जीक्यूटिव आफीसर के होंगे, लेकिन उद्योग मंत्री जी यह चाहते हैं कि 'एक्जीक्यूटिव आफीसर' की एक निश्चित संज्ञा जो म्युनिसिपैलिटी ऐक्ट में दी हुई है, अगर हम उसी म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट की संज्ञा 'एक्जीक्यूटिव आफिसर' का नहीं इस्तेमाल करेंगे तो बाद को एक बड़ी कानूनी अड़चन उठ सकती है क्योंकि उसमें यह भी नहीं लिखा है कि "चीफ एक्जीक्यूटिव आफिसर एकार्डिंग टू दि यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट"। तो इस खंड १५ को अप्लाई करके एक बड़ी कानूनी और व्यावहारिक कठिनाई माननीय मंत्री जी के सामने खड़ी हो जायगी। माननीय गजेन्द्र सिंह जी का जो संशोधन है वह इस कमी को पूरा करता है। इन चारों परिच्छेदों को लागू करने के बाद ही एक्जीक्यूटिव आफिसर को मौका मिलेगा। इसलिये मैं भी समझता हूं कि श्री गजेन्द्र सिंह जी का संशोधन माना जाना अत्यन्त आवश्यक है।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)--अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन श्री गजेन्द्र सिंह जी ने उपस्थित किया है, मैं उसका विरोध करना चाहता हूं। मैं इसको व्यावहारिक दृष्टिकोण से देखना चाहता हूं। यह जो अधिनियम बन रहा है, यह केवल ५ वर्ष के लिये बन रहा है। अब ५ वर्ष के लिये अगर कोई एक्जीक्यूटिव अफसर ढूंढा जाय तो अच्छा अनुभवी नहीं मिल सकता है, किसी नये आदमी को रखना पड़ेगा। जितने अनुभवी है वे कहीं काम में लगे हुए हैं। सरकार तो यह कर सकती है कि जो कहीं सरकारी मुलाजिमत करता है, सरकार के यहां कहीं अधिकारी है उसको वहां पर भेज दे। इस तरह एक अनुभवी आदमी एक्जीक्यूटिव अफसर की जगह के लिये मिल जायगा। उसी को वह ऐडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं। अगर उनकी बात मान ली जायगी, या मान लीजिये कि वह मंडल अपना एक प्रशासक या ऐडमिनिस्ट्रेटर या एक्जीक्यूटिव अफसर को चुने तो उनको एक बिलकुल रा हैंड, नया आदमी मिलेगा। नये आदमी होने से वह ऐसी जिम्मेदारी के काम जो इस मंडल द्वारा, जिसके लिये यह अधिनियम आया है और जो जिस काम के लिये बनाया जा रहा है, उस काम को अच्छी तरह से नहीं कर सकेगा। इसलिये यह आवश्यक है कि इस प्रशासक की नियुक्ति सरकार करे। इसके अलावा एक बात और भी है कि जिस तरह से इस अधिनियम का ढांचा है उसमें चुनाव बहुत ठीक भी नहीं बैठता है। जिस तरह से कानून बनाया जा रहा है उसी दृष्टि से यह उपयुक्त बैठता है कि सरकार ही एक प्रशासक जो उक्त काम के लिये उचित हो, अनुभवी हो उसको नियुक्त करे। इस व्यावहारिक दृष्टि से मैं यह उचित समझता हूं कि सरकार का ही प्रशासक बनना ठीक है और मंडल का

बनाना ठीक नहीं है। दूसरी बात जो तिवारी जी ने कही कि यह ऐडमिनिस्ट्रेटर की जो डेफिनिशन इसमें रखी गयी है, अगर वह नियुक्त नहीं होता है तो यह अधिनियम बिलकुल अधूरा और बेढंगा हो जाता है। उस आपत्ति को दूर करने के लिये भी इस प्रशासक की नियुक्ति करना उचित बैठता है। इन कारणों से मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

*श्री राजनारायण--श्रीमन्, मैं तो यह जानना चाहता था आपकी आज्ञा से और आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से कि क्या वे इसके ऊपर और कुछ प्रकाश डालेंगे ? मैं सदन का समय न लेने के लिये ही बोलना नहीं चाहता हूं। मैं समझता हूं कि इस संशोधन में काफी तथ्य है। अगर माननीय मंत्री जी सोच रहे हों कि इसके ऊपर कुछ प्रकाश डाल सकेंगे तो ठीक है। नहीं तो मैं भी दो चार मिनट निवेदन कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष--मैं तो नियमों के अनुसार ही जाऊंगा। वे एक बार बोल चुके हैं, अब अन्त में ही कुछ प्रकाश डाल सकेंगे, पहले नहीं। या तो आप बोलने का अधिकार.....

श्री राजनारायण--रिजर्व रख लूं बाद के लिये।

श्री अध्यक्ष--रिजर्व नहीं हो सकता। आप बोलना चाहें तो बोल लें।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मैंने जो कुछ माननीय मंत्री जी को समझाने की कोशिश की उससे मैं समझता था कि इस संशोधन को मानने में माननीय मंत्री जी को ज्यादा आसानी होनी चाहिये। मैं भी सोचता था कि यह विस्थापितों के लिए एक छोटा सा विधेयक है और यह जल्दी ही पास हो जाय। यह विस्थापितों का प्रश्न है।

सवाल यह है कि ऐडमिनिस्ट्रेटर कहां होते हैं और क्यों होते हैं। अभी ५ ऐडमिनिस्ट्रेटर सारे सूबे में मुकर्रर किये गये और म्युनिसिपैलिटीज के जो चेयरमैन व सदस्य लोग थे उन सब को हटा दिया गया और एक ऐडमिनिस्ट्रेटर को वहां रख दिया गया और वही वहां की सुप्रीम अथारिटी है, वही सब से काम लेता है, लेकिन उसके अलावा वहां भी सेक्रेटरी और एक्जीक्यूटिव अफसर हैं लेकिन यहां पर ऐडमिनिस्ट्रेटर ही एक्जीक्यूटिव अफसर भी है, ५ आदमियों का बोर्ड अलग है, चेयरमैन भी है और मंडल ही फैसले करेगा और उसको सेक्रेटरी के रूप में एक ऐक्जीक्यूटिव अफसर दिया जा रहा है। पर यहां पर तो मंत्री जी एक नया तरीका निकाल रहे हैं जो न तो म्युनिसिपल ऐक्ट में न डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट में और न टाउन एरिया ऐक्ट में लागू है। अगर यह कोई नई बात है तो इसमें कोई तर्क होता, कोई लाजिक होती, कोई कारण होता, कोई बुद्धि होती तो मुनासिब भी था। क्या मंत्री जी केवल ऐडमिनिस्ट्रेटर शब्द ही रख कर ही काम निकालना चाहते हैं ? क्या उनका मतलब एग्जिक्यूटिव अफसर से हल नहीं हो सकता ? वह एक तरफ तो कहते हैं कि मंडल का एक प्रशासक होगा, तो क्या प्रशासक नाम होने से ही वह सुपीरियर अथारिटी मालूम होगा ? मैं नहीं समझता कि मंत्री जी को प्रशासक शब्द रखने से ही क्या मोह है। उन्होंने हमारे सामने कोई तर्क ऐसा नहीं रखा कि जिससे यहां प्रशासक ही होना अनिवार्य हो। उसके काम में कोई फर्क नहीं पड़ता।

मैं अपने वृद्ध सज्जन श्री रतन लाल जी से कहूंगा कि वह बार-बार व्यावहारिकता की दोहाई देते हैं उससे मैं नहीं समझता कि इस संशोधन को मान लेने से कहां व्यावहारिकता में कमी पड़ती है। मैं समझता हूं कि अगर माननीय मंत्री जी श्री गजेन्द्र सिंह जी के संशोधन को मान लें तो उनको कहीं दिक्कत नहीं होगी बल्कि इसके विपरीत शब्द "प्रशासक" को हटा देते हैं तो आगे और आसानी होगी। इसके अलावा जैसा कि माननीय नारायणदत्त जी ने कहा, इसके रखने से मंत्री जी को बहुत दिक्कत होगी। इस समय मैं ज्यादा डिटेल में जाना उचित नहीं समझता, मंत्री जी स्वयं समझते होंगे, क्योंकि वह इतने दिन से सरकार के अंग

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजनारायण]

हैं, कि म्युनिसिपल ऐक्ट के जो ७, ८, ९, १० चैप्टर हैं और जो उनके नियम उपनियम लागू होंगे, उसमें भी दिक्कत होगी । तो इन तमाम बातों को सोच कर ही यह संशोधन लाया गया है । हम आशा करते थे कि मंत्री जी इस संशोधन को मान लेंगे लेकिन हम देख रहे हैं कि फिर उसी हठवादिता का परिचय दिया जाता है तब तो बात ही दूसरी है और उसमें हमें परेशानी होती है और हम तो सोचते हैं कि कुछ कहा जाय या न कहा जाय, मैंने तो अब अपना मत परिवर्तन कर लिया है, कि अब कुछ कहना व्यर्थ है लेकिन मैं मन्त्री जी से अन्तिम निवेदन करूंगा कि वह इसको समझ लें और उनको अगर कोई दिक्कत मालूम होती हो तो इस समय इसको छोड़ दें और बाद में ले लें और इतने में वह अपने कानूनी सलाहकार से भी इसको समझ लें और हम भी जान लें कि अनावश्यक ढंग से संशोधन रखने की जरूरत नहीं है ।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)--अध्यक्ष महोदय, कोरम नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--(गिनती कराने के बाद) कोरम है, दूर-दूर तथा अलग-अलग लोग बैठे हैं, इससे मालूम नहीं होता ।

***श्री गजेन्द्र सिंह**--माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे संशोधन को न मानने के सम्बन्ध में माननीय मंत्री ने जो दलीलें दीं उनमें उन्होंने कहा कि मैंने धारा १० की २ उपधाराओं को हटाने की बात कही है तो अगर उनको हटाया जाता है या मेरा संशोधन मान लिया जाता है तो तीसरी धारा अपनी जगह पर रह जाती है जो इस प्रकार है :--

> "प्रशासक पदेन (ex-officio) मंडल का सचिव होगा और उसे मंडल को अथवा मंडल की समितियों की सभी बैठकों में बोलने अथवा अन्य प्रकार से भाग लेने का अधिकार होगा, किन्तु उसे वहां मत देने का अधिकार न होगा ।"

तो जब हम उपरोक्त दो धाराओं को हटा देते हैं तो वहां पर एक्जीक्यूटिव आफिसर आता है और यहां तीसरी उपधारा में प्रशासक बना रहता है तो कानूनी अड़चन बन जाती है । तो उसके लिये तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अगर वे हमारे संशोधन को सिद्धान्ततः मान लें और इसको मंजूर कर लें तो इस तीसरी उपधारा में भी उचित संशोधन करने के लिये हम तैयार हैं । उसका भी प्राविजन किया जा सकता है ।

दूसरी बात माननीय मंत्री महोदय ने यह कही कि वे धारा २ में प्रशासक को डिफाइन कर चुके हैं । "प्रशासक का तात्पर्य धारा १० के अधीन नियुक्त बोर्ड के प्रशासक से है" । यानी प्रशासक को वह डिफाइन कर चुके हैं और वह पास हो चुका है । तो इसके लिये मैं केवल यही कह सकता हूं कि इसमें भी चेंजेज किये जा सकते हैं । हम बहुत से अधिनियम बना देते हैं और उसके बाद उसमें संशोधन आते हैं और पास होते हैं । अगर यह कोई अड़चन है तो भी अगर वह मेरे संशोधन को मानते हैं कि एक्जीक्यूटिव आफिसर रखना चाहिये तो यहां पर भी संशोधन किया जा सकता है ।

तीसरी चीज उन्होंने कहा कि वे प्रशासक को ज्यादा पावर देना चाहते हैं और म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट में एक्जीक्यूटिव आफिसर को कम राइट्स दिये हुये हैं । यह भी एक अड़चन हमारे संशोधन को मानने में उनको होती है । माननीय अध्यक्ष महोदय इस सम्बन्ध में मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि मैंने अपना संशोधन महज माननीय मंत्री जी के भार को हलका करने के लिये रखा है । जब ऐडमिनिस्ट्रेटर और मंडल में रस्साकशी होगी, कशमकश पैदा होगी और दोनों अपने को ईक्वल और सरकार का नियुक्त किया हुआ समझेंगे तो वहां पर बहुत बड़ी अड़चन पैदा हो सकती है और बजाय निर्माण के अनिर्माण के कार्य होने लग जायेंगे ऐसा मुझे दिखाई देता है । तो इसलिए मंडल के काम को और मंत्री जी के भार को हलका करने के लिये ही मैं चाहता हूं कि वहां निर्माण का कार्य हो और उसमें किसी किस्म की अड़चन

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

न पड़े इसलिये यह संशोधन रखा है कि प्रशासक की जगह पर ऐक्जीक्यूटिव आफिसर रख दिया जाय जिसे मंडल नियुक्त करे और वह मंडल के अधीन हो । इस संशोधन के सिलसिले में बोलते हुए माननीय रतनलाल जी जैन ने भी कुछ दलीलें पेश की हैं कि मंडल जिसको चुनेगा वह नया आदमी होगा और उसे विशेष अनुभव नहीं होगा । मंडल ठीक आदमी नहीं चुन सकेगी और सरकार का आदमी जो होगा वह ठीक होगा । इस सम्बन्ध में मैं इतना कहना चाहता हूं कि उन्हें मंडल पर इतना विश्वास करना चाहिये कि वह ठीक आदमी चुनेगी । एक तो मंडल भी सरकार का ही चुना होगा तो वह मंडल भी ऐसा होगा जिसमें सरकार के बहुत हाई पे ड्रा करने वाले गजेटेड आफिसर्स होंगे वही रखें जायेंगे । तो उनकी बुद्धि पर हमें विश्वास करना चाहिये । इसके अतिरिक्त गवर्नमेंट जिनको नियुक्त करेगी वे भी तो इन्हीं लोगों के सजेशन्स पर चुने जायेंगे । तो इस उनके तर्क में कोई तथ्य मालूम नहीं पड़ता । मंडल भी योग्य आदमी चुन सकता है और सरकार भी योग्य आदमी चुन सकती है और अगर मंडल अयोग्य आदमी चुन सकता है तो सरकार भी अयोग्य आदमी चुन सकती है । यह तो सम्भावना ग़लत और ठीक आदमी के चुने जाने की सभी जगह पर हो सकती है तो यह तो कोई ऐसी दलील नहीं है कि मंडल अनुभवी आदमी नहीं रख पायेगा और सरकार अच्छे आदमी रख सकती है । यह जैन साहब की दलील समझ में नहीं आयी । तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से फिर यह निवेदन करना चाहूंगा और जैसा माननीय राजनारायण जी ने कहा कि अगर यह हठवादिता ही है तो बात दूसरी है, मंत्री महोदय मानें या न मानें लेकिन अगर वह उसको मान लेते हैं तो उनका काम हल्का हो जायगा और वहां के प्रशासक और मंडल के बीच में वहां जो रस्साकशी की संभावना है वह दूर हो जायगी । ऐक्जीक्यूटिव आफिसर मंडल के अधीन होगा अगर वह नियुक्त किया जायगा और वह मंडल के आदेश फालो करेगा और इस तरह से वहां किसी किस्म की अड़चन पैदा नहीं होगी और मंडल के कार्य में सुविधा होगी । इसीलिये मैंने इसको रखा है और अगर वह इसको नहीं मानते हैं तो यह उनकी खुशी है ।

श्री हुकुमसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई हठ की बात नहीं है और न यही बात है कि जो संशोधन उधर से आये उचित भी हो तो मंजूर न किया जाय और न इसमें कोई ऐसी कानूनी पेचीदगी ही है कि जिस के लिये वह संशोधन आगे के लिये मुल्तवी कर दिया जाय और फिर से परामर्श किया जाय । यह मामला बिल्कुल सीधा सादा है । धारा ४ की रू से बोर्ड में एक अध्यक्ष होगा जिसको गवर्नमेंट एप्वाइंट करेगी, दो सेंट्रल गवर्नमेंट के नुमाइन्दे होंगे, उन्हें भी सेंट्रल गवर्नमेंट की सलाह से राज्य सरकार एप्वाइंट करेगी, दो राज्य सरकार के नुमाइन्दे होंगे, उनको भी राज्य सरकार एप्वाइंट करेगी और इस तरह से उसमें एलेक्शन रखा नहीं गया बल्कि नामिनेशन के जरिये से बोर्ड बनाया गया । वैसे ही काम को चलाने के लिये और उसकी प्रगति में बाधा न आये इस बात को ध्यान में रखते हुए दफा १० में यह रखा गया कि एडमिनिस्ट्रेटर भी सरकार एप्वाइंट करेगी । मुझे एडमिनिस्ट्रेटर में या एक्जीक्यूटिव आफिसर में किसी के साथ ज्यादा मोहब्बत नहीं है, मुझे तो काम से मतलब है । सिर्फ मुझे एतराज है उसके एप्वाइंटमेंट के तरीके में । जो अमेंडमेंट रखा गया है उसके जरिये से म्युनिसिपल ऐक्ट में जो तरीका दिया हुआ है एक्जीक्यूटिव आफिसर को एप्वाइंट करने का उसी तरीके से एप्वाइंटमेंट चाहा जाता है लेकिन म्युनिसिपल ऐक्ट में जहां पर कि यह समझा गया है कि उसके प्राविजन्स इसमें लागू करने से कोई रुकावट न होगी वह लागू कर दिया गया है लेकिन जहां यह देखा गया है कि कुछ दिक्कत आ सकती है वहां इसमें उसको (म्युनिसिपल ऐक्ट को) लागू नहीं किया गया और इसीलिये सरकार ने इस एप्वाइंटमेंट को अपने हाथ में करने को रखा था । जिस सूरत से मैंने एलेक्शन के मामले को बोर्ड के कांस्टीट्यूशन में एवायड किया था उसी सूरत से मैं इसको भी यहां लाना नहीं चाहता और इसीलिये मैं इसका विरोध करता हूं वरना कोई हठवादिता की बात नहीं है, जिद नहीं है । मैं यह मुनासिब समझता हूं कि जिस शक्ल में यह दफा है उसी शक्ल में रखी जाय और अगर यह तरमीम मान ली जाती है तो उसमें दिक्कत पैदा होने की गुंजाइश है ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १० के उपखंड (१) व (२) को निकाल दिया जाय और उनके स्थान पर निम्नलिखित उपखंड (१) व (२) रख दिये जायं --

"१०--(१) मंडल का एक कार्यकारी अधिकारी '(Executive officer) होगा जिसे मंडल नियत प्रतिबन्धों और शर्तों पर यू०पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ के Chapter II में निर्धारित कार्यकारी अधिकारी (Executive officer) की नियुक्ति के हेतु नियत पद्धति के अनुसार करेगा ।

(२) कार्यकारी अधिकारी (Executive officer) के अधीनस्थ मंडल के सभी दूसरे अधिकारी व सेवक होंगे।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री जोरावर वर्मा--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड १० के उपखंड (१) की पंक्ति २ में से शब्द "केन्द्रीय सरकार से परामर्श करने के पश्चात्" निकाल दिये जायं। अध्यक्ष महोदय, यह १० का उपखंड (१) इस प्रकार है:--

"मंडल का एक प्रशासक होगा जिसे राज्य सरकार नियत प्रतिबन्धों और शर्तों पर केन्द्रीय सरकार से परामर्श करने के पश्चात् नियुक्त करेगी"। अध्यक्ष महोदय, अगर यह बीच के शब्द निकाल दिये जायं तो अर्थ यह होगा कि जो प्रशासक है उसकी नियुक्ति राज्य सरकार करेगी। अभी जो पिछला संशोधन था उसमें माननीय मंत्री जी ने बताया कि प्रशासक की नियुक्ति का पूर्ण अधिकार सरकार अपने हाथ में रखना चाहती है। कल भी मंत्री जी ने इसी प्रकार की बात कही थी। तो इसलिये मैंने यह संशोधन रखना उचित समझा ताकि जैसा वह चाहते हैं पूर्ण अधिकार उनको ही रहें। इसीलिये मैंने यह संशोधन रखा है। चूंकि पांच वर्ष के लिये है, कार्य हो रहा है इसलिये केन्द्रीय सरकार से परामर्श का जो प्रतिबन्ध लगा हुआ है वह इससे निकाल दिया जाय ताकि माननीय मंत्री विस्थापितों के लिये जो बहुत ही शीघ्र कार्य करना चाहते हैं, वह अच्छी तरह और शीघ्रता से हो सके। चूंकि यह हो सकता है कि केन्द्रीय सरकार से परामर्श करने में समय लग जाय, इससे विस्थापितों का अनहित हो सकता है और यह भी हो सकता है परामर्श करने में जिसे प्रशासक नियुक्त करना चाहें वह भी शीघ्र न हो सके। तो उन्हें पूर्ण स्वतंत्र करने के लिये मैंने यह संशोधन रखा है और अभी जो भाषण हुए मैं यह नहीं समझ सका कि वहां यह अद्वैतवाद का सिद्धांत इसमें क्यों रखा गया क्योंकि प्रशासक भी मैं समझता हूं कि दोनों सरकार के कन्सल्टेशन के बाद रखा जायगा, तो हो सकता है कि कुछ अड़चन हो क्योंकि केन्द्रीय सरकार की भी जिम्मेदारी रहेगी और माननीय मंत्री जी की भी। इसलिये मैंने यह संशोधन रखा है कि इस सरकार को ही उसकी नियुक्ति का पूर्ण अधिकार होना चाहिये। इसलिये मुझे आशा है कि वह मेरे इस संशोधन को स्वीकार करेंगे।

श्री हुकुमसिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, कल हमारे मित्र ने जब धारा ५ पेश की थी तो हमारे मित्र की हमदर्दी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ थी। उसमें यह था कि बोर्ड का कार्य काल राज्य सरकार की इच्छा पर निर्भर है। तब जहां तक मेरी याददाश्त काम करती है हमारे मित्र ने यह कहा था कि नहीं बिना केन्द्रीय सरकार के मश्विरे के राज्य को यह अधिकार नहीं होना चाहिये कि किसी बोर्ड के कार्यकाल को समाप्त कर दे जब चाहे। तो कल तक तो मुहब्बत थी केन्द्रीय सरकार से। आज मुझे खुशी है कि हमारे मित्र की मोहब्बत राज्य सरकार के साथ आ गयी और यह फर्माया कि नहीं इसमें केन्द्रीय सरकार के कन्सल्टेशन की कोई जरूरत नहीं एडमिनिस्ट्रेटर की तकर्रुरी करने में। मैं यह समझता हूं कि जब केन्द्रीय सरकार तमाम पैसा लगाने जा रही है और फाइनेन्शियल बर्डेन इस डेवलपमेंट के कार्य का बर्दाश्त करने जा रही है और उसका प्रतिनिधित्व भी इस बोर्ड में रखा गया, और वह चाहती भी है, और स्वाभाविक भी है ऐसा चाहना तो ऐडमिनिस्टेटर जो एक ऐक्जीक्यूटिव आफिसर होगा उनकी सलाह

लें, उनके नुमाइन्दे को एप्वाइंट करने में सलाह लें और जो प्रशासक होगा, जो ऐक्जीक्यूटिव आफिसर होगा उसकी तकर्रुरी में सलाह न लें, यह अनुचित सी बात मालूम पड़ती है और अगर उनकी सलाह ले लें तो दिक्कत कौन सी होगी। उसमें ज्यादा परेशानी नहीं होगी। तो मैं चाहता हूं कि जो शक्ल रखी गयी है कि केन्द्रीय सरकार से हम मश्विरा करके तकर्रुरी करें, वही बात होनी चाहिये और अगर संशोधन मान लिया जाता है तो इससे एक अनुचित सी बात होगी। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

*श्री अवधेशप्रताप सिंह––मान्यवर, मैं इस संशोधन के विरोध में खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, मुझे आश्चर्य हुआ जब श्री जोरावर वर्मा जी अपने संशोधन के सम्बन्ध में भाषण दे रहे थे। यह ठीक था कि कुछ व्यंग तो अवश्य वह कर रहे थे जो माननीय मंत्री महोदय से संबंधित था। परन्तु यह मेरी समझ में न आया कि इसमें कहां पर उनको आपत्ति दिखायी देती है। जहां तक माननीय जोरावर वर्मा जी का प्रश्न है यह मालूम होता है कि उनके मन में या हम लोग के साथ जो हैं उनके मन में कुछ न कुछ शंका सदैव बनी रहा करती है कि ये मंत्री महोदय या यह प्रादेशिक सरकार जो है, वह उन भावों का उस तरह से निर्वाह नहीं कर रही है जिस तरह से कि करना चाहिये। लेकिन यह उनकी कौन सी नीति है और कौन सा कारण है कि जिससे सहसा वह यह कहना शुरू कर दें कि सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछना या मश्विरा लेना, या उनका इस मामले में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। जैसा कि इस बोर्ड का कांस्टीट्यूशन आप देखेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो नुमाइन्दे हैं वह तो हैं ही उसके अलावा भी जबकि चेयरमैन नियुक्त किये जाते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के नुमाइन्दे और उनसे मशविरा किया जाता है। तो एक एग्जीक्यूटिव आफिसर या ऐडमिनिस्ट्रेटर वह तो केवल एक अधिकारी ही है। ऐसी परिस्थिति में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से मशविरा करके नियुक्त करते हैं तो उसमें कौन सी आफत आ गयी। मैं समझता हूं कि अगर इस तरह से संशोधन आते रहे और इस तरह से सदन का समय नष्ट होता रहा तो यह बिल आज भी पास नहीं हो पायेगा। श्रीमन्, विरोधी दल में होने की वजह से हर वक्त या हर सम्मानित सदस्य को यह आवश्यक है कि कम से कम उनकी एक नीति हो जिसका वह अनुसरण कर सके जिसके अनुकूल वह चल सके। परन्तु अभी क्षण भर में एक ही बात की निन्दा करना और दूसरे ही क्षण उसका प्रतिपादन करना यह कोई ऐसी नीति नहीं है जिससे कि हम लोगों के लिये कोई अच्छी रेपुटेशन या कोई ऐसी बात इस सदन में पैदा हो सके जिससे कि यह समझा जाय कि इनकी कोई एक नीति है जिसका कि वह समर्थन करते हैं या कोई एक उसूल या सिद्धांत इनका है जिसके पीछे ये चलते हैं। यही नहीं कि यह संशोधन ऐसा है जिसका मैं विरोध करना आवश्यक समझता हूं बल्कि इस तरह के संशोधन से एक बहुत ही वैसिलेटिंग पोजीशन अपोजीशन की हो जाती है जिसका कि मजाक हमारे ठाकुर साहब ने उड़ा ही लिया। तो इन सब बातों के कारण मैं समझता हूं कि अगर वह अपना संशोधन वापस ले लें तो ज्यादा अच्छा होगा।

*श्री राजनारायण––श्रीमन्, मुझको माननीय मंत्री जी कुछ इशारा कर रहे हैं कि मैं कुछ बोलूं यह क्यों यह मैं न समझ सका।

श्री हुकुमसिंह––नहीं नहीं, मैंने तो यह कहा कि जल्दी खत्म कीजिये इसे।

श्री राजनारायण––मैं इतना ही आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने कल कहा था कि कुछ कांफीडेंशियल लेटर्स हैं बिटवीन दी सेंट्रल गवर्नमेंट ऐंड दी प्रांविंशियल गवर्नमेंट, तो अगर उन कांफीडेंशियल लेटर्स के मातहत केंद्रीय सरकार की सलाह लेनी आवश्यक हो तब तो मुझे कुछ नहीं कहना है। लाचारी है सरकार की। मगर यदि उसके मातहत नहीं है तो हमारे माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी ने भावना व्यक्त की, मैं उसका घोर विरोधी हूं और मैं सरकार को और उनको भी यह बता देना चाहता हूं कि किसी विरोधी पार्टी की वैसिलेटिंग नीति नहीं है और जहां तक माननीय जोरावर वर्मा जी का संबंध है यह सभी लोग जानते हैं वह हमारी विरोधी पार्टी में नहीं हैं, वह एक स्वतंत्र हैसियत से यहां अपने विचार रखते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अवधेशप्रताप सिंह--आन ए प्वाइन्ट आफ परसनल एक्सप्लेनेशन। माननीय राजनारायण जी गलतफहमी के शिकार हमेशा हुआ करते हैं। मेरा उनकी पार्टी या किसी पार्टी विशेष से अभिप्राय नहीं था। मैंने तो केवल एक जनरल प्रिंसिपल में यह बात कही थी जिसका उनके जरिये पालन किया जाना चाहिये और . . . .

श्री राजनारायण--ठीक है। मैं समझ गया। मैं उनके भावों का विरोधी हूं श्रीमन् जब जब इस सदन में चर्चा हुई बराबर सरकार की ओर से यह दलील दी जाती रही है कि प्राविंसल आटोनामी चाहिये, प्रांत को ज्यादा अधिकार देना होना चाहिये। बराबर माननीय मंत्री ने शिकायत की है कि केंद्रीय सरकार हमारे अधिकार पर हस्तक्षेप करती रहती है। बराबर केंद्रीय सरकार छापा मारती रहती है। आज माननीय मंत्री जी को क्या प्रेरणा उत्पन्न हो गई कि वह केंद्रीय सरकार की हर मामले में सलाह लेते हैं। अध्यक्ष महोदय, हमें पूरी जानकारी है और मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं आज से ३/४ महीने पहले यदि आप पायोनियर की न्यूज को ध्यान में रखेंगे तो मालूम होगा कि हस्तिनापुर में जो भी योजना चली है वह पूर्ण रूप से असफल हुई है। वह क्यों हुई है ? इसकी चर्चा हो चुकी है कि हमारी सरकार के पास कोई आंकड़े नहीं है कि वहां कितने आदमी काम करते हैं और क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है। वहां से कोई रिपोर्ट तक हमारी सरकार के पास नहीं आती थी। जो केन्द्रीय सरकार द्वारा वहां मंडल की स्थापना हुई थी उसकी भी कोई रिपोर्ट सरकार के पास नहीं है। केंद्रीय सरकार ने जितने कार्य वहां किये उसकी जानकारी यह है कि वह टोटल फेल्योर रही। फिर आप केंद्रीय सरकार से क्यों परामर्श लेना चाहते हैं जब कि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

आज जिस तरह से जोरावर जी ने कहा। कल ही हमारे मंत्री जी ने सफाई दी थी कि मैं केंद्रीय सरकार से क्यों बंधता चला जाऊं। हम तो बराबर अपनी जगह पर डिसेंट्रेलाइजेशन के लिये कहते हैं इसीलिये कि आप तीनों दल, संयुक्त दल वाले, स्वतंत्र दल वाले और सरकारी दल वाले हमारी बात सुनें। हम विकेंद्रीयकरण चाहते हैं। सरकार बराबर कहती है और मंत्री महोदय ने भी कहा कि वह बराबर केंद्रीय सरकार से बंधना नहीं चाहते हैं वह अपने अंकुश में हमें रखना चाहती है। केंद्रीय सरकार पावर लेना चाहती है। यह तो सरकार की मनोवृत्ति है और लेना चाहिये। अगर नहीं लेती है तो ठीक नहीं है। जो हमेशा विकेन्द्रीयकरण में विश्वास करने वाला है वह एक ही व्यक्ति में सारी ताकत को पूल कर देना कैसे पसन्द करेगा। इसी कारण से इस सदन में हम आपके कोप के भी कभी-कभी भाजन हो जाते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी कहा है कि हम तो बराबर राजनारायण जी के स्कूल में शिक्षा लेते रहते हैं। मैं इस सदन में हमेशा डिसेंट्रेलाइजेशन की बात पर ज्यादा जोर देता रहा हूं जिससे हमारे दिमागों में सफाई हो। बिना सफाई के जो चाहे कह दिया, दो हाथ इधर मार दिये दो हाथ उधर मार दिये, इस नीति पर चलना तो किसी के लिये शोभनीय नहीं है। मैं इतना ही चाहता हूं कि मंत्री जी हमें बतला दें कि केंद्रीय सरकार की सलाह की क्यों आवश्यकता है। इससे सारी बातें साफ हो जायेंगी।

एक बात मैं उनको बतला दूं कि हम इस नारे के पक्षपाती नहीं हैं कि सरकार मजबूत हो। यदि सरकार मजबूत होती और जनता कमजोर होती है तो जनतंत्र नहीं चल सकता है और वहां पर डिक्टेटरशिप होगी। हमारा तो कहना यह है कि जनता मजबूत हो और साथ ही सरकार भी मजबूत हो। इस उसूल के अधीन मंत्री जी देखेंगे तो हमारे हर संशोधन को वह सोने की कसौटी पर खरा पायेंगे। माननीय मंत्री जी केंद्रीय सरकार से परामर्श लेने के लिये लालायित न हों और अपने को केंद्रीय सरकार से न बंधायें। केंद्रीय सरकार का जितना हस्तक्षेप होगा उतना ही वह अविकसित रहेगा और वह विकसित नहीं हो सकता है। इसी के साथ मैं निवेदन करूंगा कि वह यह न देखें कि यह संशोधन जोरावर जी का है या किस का है बल्कि यह देखें कि यहां भाव क्या व्यक्त हुये हैं।

श्री जोरावर वर्मा--माननीय अध्यक्षमहोदय, मैं आपके द्वारा माननीय राजनारायण जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरा एक बहुत बड़ा भार हल्का कर दिया। उतना अवधेश प्रताप सिंह जी को मेरी बात से दुख नहीं हुआ होगा जितना मुझे उनकी बातें सुनकर हुआ है। मेरा संशोधन विद रिफ्रेंस टु दि कांटेक्स्ट था। जो मंत्री जी ने कल कहा था उसी के अनुसार था और वह कल यहां नहीं थे। उन्होंने इतने में पार्टी पालिटिक्स और आपोजीशन की क्या नीति होनी चाहिये, यह रख दिया। मैं तो स्वतंत्र हूं और इसलिये मेरी कोई खास पार्टी बेसिस पर पालिसी है भी नहीं। मैं जो बात इधर की उचित समझता हूं उसका समर्थन करता हूं और जो बात उधर की उचित समझता हूं उसका भी समर्थन करता हूं। लेकिन जिन्होंने मुझे क्रिटिसाइज किया मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि उनकी पालिसी क्या है? मैं समझता हूं कि उनकी भी कोई पालिसी नजर नहीं आई। छींटाकशी करना तो बहुत ही आसान है।

उन्होंने माननीय मंत्री जी की मजाक उड़ाने की बात कही। मैं उनसे यह निवेदन कर दूं कि वह सदन में रहते नहीं हैं। मैं तो यह कहूंगा कि माननीय मंत्री जी मजाक के अलावा इस सदन में और करते ही क्या हैं। इस संशोधन में ही नहीं बल्कि जो प्रश्न भी एसेम्बली में पूंछे जाते हैं उनका उत्तर भी वह (सदन में हंसी होने लगी) मजाक ही में देते हैं। यह बात नहीं है कि मेरे संशोधन में ही उन्होंने मजाक किया हो। मैं देखता हूं कि यह उनका स्वभाव है और मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा भी है। माननीय राजनारायण जी ने जो बताया सचमुच उसकी भावना यही है। मैं समझता हूं कि सरकार जितने कार्य करती है वह भले ही किसी विधेयक में न हों अथवा विधान में न हों लेकिन संभवतः वह केंद्रीय सरकार से कंसल्ट करती ही रहती होगी लेकिन चूंकि इस धारा में यह रख दिया गया है कि यह उसके परामर्श से ही करेगी इसलिये मैंने समझा कि ऐसा जरूरी नहीं है और जैसा कि माननीय राजनारायण जी ने बताया कि यह काफीडेंशल लेटर्स (गुप्त पत्र) जिनको डिस्कलोज करना राज्य और विस्थापितों के हित में नहीं समझा गया इसलिये उन पर जो बंधन लगा रहे हैं मैं उनको बिल्कुल बंधन मुक्त कर देना चाहता था। मुझे बड़ा दुख है कि माननीय मंत्री जी मेरा संशोधन स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मैं चाहता था कि वह इसको अवश्य स्वीकार कर लेते।

श्री हुकुम सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है हमारे मित्र पर यह असर पड़ा कि मैं सिवाय मजाक के कुछ करता नहीं। जब कोई ऐसी चीज लायी जाती है जो कि मजाक के काबिल होती है तो उसमें मेरा कोई बस नहीं, सभी उसको मजाक समझते हैं। कल जो तरीका हमारे मित्र का था वह मैंने पहले कहा और वह उसको फिर मजाक समझेंगे। कल हमारी सारी हमदर्दी सेंटर के साथ थी, रात में कुछ परिवर्तन हुआ और रात के परिवर्तन के फलस्वरूप आज हमदर्दी हमारे साथ आई। जिसके लिये मैं मशकूर हूं। लेकिन जिस शख्स की हमदर्दी रोज क्षण २ में बदलती रहे उसकी हमदर्दी काबिले कदर नहीं होती। जिसमें स्थिरता न हो उस पर एतबार नहीं करना चाहिये। ऐसा करने में हर वक्त खतरा रहता है।

जहां तक हमारे मित्र राजनारायण जी का ताल्लुक है मैंने साफ साफ शुरू में कह दिया था कि मैं क्यों उनकी सलाह नहीं चाहता हूं। शायद उन्होंने मेरी बात सुनी नहीं या फिर मैं उन्हें ठीक तौर से समझा नहीं सका। सारा भार डेवलपमेंट का केंद्रीय सरकार बरदाश्त करती आई है। यह कह देना कि बिलकुल विफल हुई पायोनियर, नेशनल हैराल्ड या स्वतंत्र भारत में छपा, यह कह देना दूसरी बात है। किसी की जबान में मैं लगाम नहीं लगा सकता लेकिन कितना मुश्किल काम था जिसको केन्द्रीय सरकार ने बड़ी खूबी के साथ चलाया और काम इतना बड़ा था कि जो तीन चार वर्ष के अन्दर मुकम्मिल हो नहीं सकता था। अभी वह नामुकम्मिल रहा है। केंद्रीय सरकार उसका कोई इंतजाम हमारे इस स्टेट में अपने यहां के अफसरों से कहां तक कराये। लिहाजा यह मुनासिब समझा कि हमारी देखरेख में उसका बकिया इंतजाम पूरा किया जाय। तो यह कह देना कि बिलकुल विफल रहा यह सत्य से बिल्कुल परे है। उसमें बड़ी कामयाबी हुई।

श्री राजनारायण--रिपोर्ट तो आपके पास एक भी नहीं है।

श्री हुकुम सिंह--रिपोर्ट हो या न हो मेरे पास जानकारी तो है। जब वह पूरा खर्च बरदाश्त कर रहे हैं और उनका परामर्श भी न हो यह कहां तक उचित बात है। फिर जब हम बोर्ड बना रहे हैं उनके परामर्श से और नुमाइन्दे रख रहे हैं उनके परामर्श से तो एडमिनिस्ट्रेटर की तकर्रुरी में हम उनका परामर्श न लें यह बात मेरी समझ में नहीं आती। ऐसी सूरत में हमारे लिये दिक्कत है कि हम जोरावर वर्मा जी का संशोधन मान लें। मैं इस काबिल नहीं, जिस काबिलियत और जिन शब्दों के साथ अवधेश प्रताप जी ने उनके संशोधन का विरोध किया है वे शब्द और वह जबान में कहां से लाऊं। उन्होंने बड़ी खूबी के साथ इस संशोधन की पोल खोल दी है। ऐसी सूरत में उनकी तकरीर के बाद मैं जोरावर वर्मा जी का संशोधन मंजूर नहीं कर सकता। इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १० के उपखंड (१) की पंक्ति २ में से शब्द "केंद्रीय सरकार से परामर्श करने के पश्चात्" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री रामेश्वरलाल--माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड १० के उपखंड (२) के अन्त में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय--

"किन्तु किसी भी सेवक अथवा अधीनस्थ कर्मचारी को मंडल की अनुमति बिना प्रशासक, अपदस्थ नहीं करेगा।"

यदि मेरा संशोधन मान लिया जाता है तो उपखंड (२) इस प्रकार हो जाता है--

"प्रशासक मंडल का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी (principal exceutive officer) होगा तथा मंडल के सभी दूसरे अधिकारी और सेवक उसके अधीनस्थ होंगे किन्तु किसी भी सेवक अथवा अधीनस्थ कर्मचारी को मंडल की अनुमति बिना प्रशासक, अपदस्थ नहीं करेगा।"

अध्यक्ष महोदय, इसमें भी कोई भी ऐसी भावना नहीं है जिससे माननीय मंत्री को कोई विशेष दुख पहुंचे। मेरा सिर्फ इतना मतलब है कि प्रशासक जो है उसके हाथ में अपने कर्मचारियों को सताने का निरंकुश हथियार न रहे और वह किसी भी कर्मचारी को अपदस्थ न कर सके क्योंकि इसी विधेयक में धारा ६ के अनुसार यह अधिकार मंडल को दिया गया है कि वह अपने कर्मचारियों की नियुक्ति करे। जब हमने मंडल को यह अधिकार दिया है तो मंडल को ही यह अधिकार देना चाहिये कि वह ही अपने कर्मचारियों को अपदस्थ कर सके। खंड १० के उपखंड (२) के मुताबिक जो कर्मचारी होंगे वे अधीनस्थ होंगे प्रशासक के और हमें डर है कि यदि वे उसके अधीनस्थ होंगे तो उन्हें वह अपदस्थ भी कर सकेगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि यहां खुलासा कर दिया जाय कि कर्मचारियों को अपदस्थ करने का अधिकार प्रशासक को न रहे। थोड़े में मेरे संशोधन का यह मतलब है और माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे।

श्री हुकुम सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह संशोधन बेकार सा है। दफा ६ की रू से जिसका हमारे मित्र ने हवाला दिया है बोर्ड को अधिकार दिया गया है कि वह कर्मचारियों की नियुक्ति करे। प्रशासक को नियुक्त करने का अधिकार नहीं है। यह आम कायदा है कि जो अथारिटी नियुक्त करती है वही उसको डिसमिस भी कर सकती है। हमने उसको डिसमिस करने की पावर नहीं दी है। सिर्फ यह है कि वह आफिसर उनके मातहत रहेगा। लिहाजा मैं इस तरमीम को मंजूर नहीं करता और उम्मीद करता हूं कि मेरे दोस्त इस तरमीम को वापस लेने की कृपा करेंगे।

श्री अध्यक्ष--मैं खुद भी इस बात को देख रहा था कि यहां पर यह संशोधन जरा असंगत सा हो जाता है। जितने अधिकार बोर्ड को हैं उनके द्वारा वह कर्मचारियों को पनिश भी कर सकता है। यह चीज दफा ६ में आ चुकी है और इसको आप पास कर चुके हैं। उसके बाद इस चीज को यहां लाना कुछ असंगत मालूम होता है।

श्री रामेश्वरलाल––माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं इसको वापस लेने के लिये तैयार हूं लेकिन आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। इस संबंध में जो विचार उन्होंने सदन के सामने रखे हैं कि जो नियुक्त करने वाला अधिकारी होता है वही डिसमिस करने का अधिकार रखता है। अभी श्री जोरावर वर्मा ने एक संशोधन उपस्थित किया था जिसके अनुसार यह था कि केंद्रीय सरकार के परामर्श के बाद उसका प्रशासक नियुक्त होगा और इसी विधेयक में धारा ३७ के अनुसार सरकार को अधिकार है कि वह किसी व्यक्ति को चार्ज पर डिसमिस कर सकती है। उसकी appointing अथारिटी केंद्रीय सरकार है लेकिन राज्य सरकार को उसके हटाने का अधिकार है। तो यह उनकी दलील कट जाती है। इसलिये मैं आपकी आज्ञा से इस संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

(इस समय १ बजकर १७ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पंत की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री रामेश्वरलाल––उपाध्यक्ष महोदय मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड १०(३) के बाद नया उपखंड (३–क) निम्नलिखित रूप में रख दिया जाय।

"(३–क) प्रशासक के आचरण भ्रष्ट होने के प्रमाणिक पुष्टीकरण पर मंडल राज्य सरकार से उसे शीघ्र अपदस्थ करने की मांग करेगा।"

इससे यदि कोई प्रशासक भ्रष्ट है तो उसकी निरंकुशता समाप्त हो जायेगी। यदि मंडल में और प्रशासक में ऐसा प्रश्न उपस्थित होता है जिससे मंडल के कार्य में या नगर के उत्थान में किसी प्रकार की त्रुटि उपस्थित हो या प्रशासक भ्रष्टाचारी निकल जाता है तो उस हालत में मंडल उसके अपदस्थ करने की सरकार से मांग कर सके, यह मैं चाहता हूं। आशा है मंत्री जी इसे स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

श्री हुकुम सिंह––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस तरमीम की भी जरूरत नहीं है। इस विधेयक की धारा ३७ से जो इस बोर्ड के पदाधिकारी होंगे वे पबलिक सर्वेंट हों। गवर्नमेंट सर्वेंट कन्डक्ट रूल्स पहले से बने हैं और उनके मातहत अगर कोई कर्मचारी गड़बड़ करेगा तो वह बरखास्त हो जायगा। इस प्रस्ताव जैसा प्रोवीजन मैंने किसी कानून में नहीं देखा है। गवर्नमेंट सर्वेंट कानडक्ट रूल्स से पूरा काम चल जाता है। मैं अपने माननीय मित्र से कहूंगा कि इसे वापस ले लें।

श्री रामेश्वरलाल––माननीय उपाध्यक्ष महोदय धारा ३७ इस प्रकार है जिसका जिक्र माननीय मंत्री जी ने किया है मंडल के सभी सदस्य, अधिकारी तथा सेवक, वे मंडल द्वारा नियुक्त हों अथवा राज्य सरकार द्वारा जब से वे इस अधिनियम के प्रयोजनों के अनुसार कार्य कर रहे हों या कार्य करते हुये समझे जाते हों, तो वे इंडियन पैनल कोड की धारा २१ के प्रयोजनों के निमित्त पबलिक सर्वेंट (जनसेवक) समझें जावेंगे। तो इसमें और आचरण के भ्रष्ट होने के प्रमाणिक पुष्टीकरण में अन्तर है। मैं मंडल को अधिकार देना चाहता हूं कि राज्य सरकार से मांग करे। यदि उसके आचरण में किसी तरह की कमी आ जाती है तो हो सकता है कि उसका प्रभाव नगर के उत्थान पर बहुत बुरा पड़ा। इसलिये मैंने उचित समझा है कि मंडल को भ्रष्टाचारी आदमी को पदच्युत करने का अधिकार होना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, मैंने यह नहीं कहा कि वहां का जो प्रशासक होगा वह आचरण भ्रष्ट होगा, ऐसा भी मालूम नहीं होता कि आचरण भ्रष्टता का नया अध्याय ही वहां पर आरम्भ होगा। हां, यह मैं अवश्य मानता हूं कि वहां का जो भी प्रशासक होगा वह देवता नहीं होगा, वह मानव होगा और मानव की कमजोरियों के कारण उससे कुछ गड़बड़ हो सकती है जैसा कि कई स्थानों में देखने में आया है। उस हालत में मंडल को यह अधिकार होना चाहिये कि वह राज्य सरकार को उसके पदच्युत करने के लिये लिखे। इस प्रकार से मेरा जो संशोधन है वह धारा ३७ से भिन्न है और माननीय मंत्री जी भी इस बात को मानते होंगे। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि माननीय मंत्री जी यहां केवल अस्वीकार करने के लिये ही बैठे हों, वे इसी बात पर तुले हुये हों कि वे हमारे

[श्री रामेश्वरलाल]

संशोधनों की इस प्रकार से अवहेलना करते रहेंगे तो वे ऐसा कर सकते हैं क्योंकि उनके साथ मेजोरिटी है, उनके पास शक्ति है। लेकिन मैं समझता हूं कि मनुष्य की कमजोरियों के कारण ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं और उस समय के लिये मंडल को यह अधिकार होना चाहिये कि वह प्रशासक के भ्रष्टाचार के बारे में राज्य सरकार को लिख सके। जहां तक उसको अलग करने के अधिकार का सवाल है उसका अधिकार तो मंत्री जी को ही रहेगा। मेरे संशोधन और धारा ३७ में जमीन आसमान का अंतर है।

श्री हुकुमसिंह--उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि मैं अपने मित्र को ठीक तरह से समझा नहीं पाया। वह जो तरमीम चाहते हैं वह गवर्नमेंट सर्वेंट्स कंडक्ट रूल्स में पहले से ही मौजूद है। आफिसर के खिलाफ कोई भ्रष्टाचार साबित होता है, उन रूल्स के मातहत ही वह निकाल दिया जा सकता है क्योंकि वह एक पब्लिक सरवेंट होगा इसलिये पब्लिक सर्वेंट रूल्स के मातहत उसके खिलाफ ऐक्शन लिया जा सकता है। इसलिये इसको मंजूर करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे मैं यहां हठधर्मी करने के लिये नहीं आया हूं।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १० के उपखंड (३) के बाद नया उपखंड (३-क) निम्नलिखित रूप में रख दिया जाय--

"(३-क) प्रशासक के आचरण भ्रष्ट होने के प्रमाणिक पुष्टीकरण पर मंडल राज्य सरकार से उसे शीघ्र अपदस्थ करने की मांग करेगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १० इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड ११

अन्य व्यक्तियों का मंडल से अस्थायी संबंध।

११--मंडल किसी व्यक्ति को, जिसकी सहायता अथवा परामर्श वह इस अधिनियम के किसी उपबन्ध को कार्यान्वित करने के लिये चाहे नियत की जाने वाली रीति से और नियत किये जाने वाले प्रयोजनों के निमित्त अपने से सम्बद्ध (associate) कर सकता है, ऐसे ऐसे व्यक्तियों को प्रयोजन से संगत मामलों में मंडल के वार्तालाप में भाग लेने का अधिकार होगा, किन्तु मत देने का अधिकार न होगा।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ११ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १२

मंडल के कार्य क्षेत्र की आयति।

१२--(१) राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके नगर की क्षेत्रीय सीमाएं निर्दिष्ट कर सकती है और ऐसी ही विज्ञप्ति द्वारा ऐसी सीमाओं की वृद्धि कर सकती है अथवा उनमें परिवर्तन कर सकती है तथा इस प्रकार समय विशेष पर निर्दिष्ट क्षेत्र, कार्य क्षेत्र (area of operation) कहलायेगा।

(२) मंडल अपने सभी अथवा किसी कृत्य को तथा सभी अथवा किसी अधिकार को कार्य-क्षेत्र में सम्पादित अथवा प्रयुक्त करेगा।

श्री बसन्तलाल शर्मा---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं :--

खंड १२ के उपखंड (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :---

"मंडल अपने कृत्यों अथवा अधिकारों में से सभी अथवा किसी को कार्यक्षेत्र में सम्पादित अथवा प्रयुक्त करेगा ।"

मैं समझता हूं कि जो संशोधन मैंने दिया है इससे भावार्थ वही रहेगा और भाषा उपयुक्त होगी। इसलिये मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार कर लेंगे ।

श्री हुकुम सिंह--मुझे स्वीकार है ।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १२ के उपखंड (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय---

"मंडल अपने कृत्यों अथवा अधिकारों में से सभी अथवा किसी को कार्यक्षेत्र में सम्पादित अथवा प्रयुक्त करेगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १२ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १३

मंडल के सामान्य कृत्य

१३---इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन मंडल को निम्नलिखित अधिकार होंगे :---

(क) वह ऐसी चल अथवा अचल सम्पत्ति उपार्जित कर सकता है और अपने अधिकार में रख सकता है जिसे वह इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के सुदक्ष (efficient) सम्पादन के लिये आवश्यक समझे तथा वह किसी ऐसी सम्पत्ति को बेच सकता है, पट्टे पर दे सकता है अथवा अन्य किसी रीति से हस्तान्तरित कर सकता है।

(ख) किसी भी व्यापार, व्यवसाय अथवा उद्योग (trade business or industry) को उन्नत कर सकता है अथवा परिचालित सकता है;

(ग) आवासिक अथवा अन्य इमारत निर्मित कर सकता है अथवा करवा सकता है;

(घ) नियत किये जाने वाले प्रतिबन्ध और शर्तों पर विस्थापित व्यक्तियों (displaced persons) को मंडल के अधिकार की कोई भी इमारत बेच सकता है, पट्टे पर उठा सकता है अथवा किराये पर दे सकता है;

(ङ) नालियों, पटी हुई नालियों (sewers) जल वितरण, अथवा सड़कों पर प्रकाश की व्यवस्था कर सकता है;

(च) सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा, समाज कल्याण के उत्थान के निमित्त उपाय कर सकता है;

(छ) जल के वितरण (water supply) और निस्काशन (drainage) एवं सिंचन की योजनाओं को उन्नत तथा कार्यान्वित कर सकता है;

(ज) समय विशेष पर प्रचलित विद्युत शक्ति के वितरण एवं प्रयोग से सम्बद्ध किसी भी विधि के उपबन्धों के अधीन, विद्युत शक्ति के संक्रमण (transmission) एवं वितरण की योजनाओं को उन्नत एवं कार्यान्वित कर सकता है;

(झ) इस सम्बन्ध में विधि के अनुसार वनरोपण की उन्नति एवं जल के कटाव (soil erosion) का नियंत्रण कर सकता है;

(ञ) अपने क्षेत्राधिकार में व्यक्तियों की आर्थिक एवं सामाजिक अवस्थाओं को सुधारने के निमित्त ऐसी कार्यवाहियां कर सकता है जिन्हें वह आवश्यक समझे ; और

(ट) अन्य ऐसे कृत्य कर सकता है जो नियत किये जायं।

श्री बसन्तलाल शर्मा--मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करता हूं:--

खंड १३ के उपखंड (ख) की द्वितीय पंक्ति के शब्द "परिचालित" के आगे शब्द "कर" बढ़ा दिया जाय।

श्री हुकुम सिंह--मुझे स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १३ के उपखंड (ख) की द्वितीय पंक्ति के शब्द "परिचालित" के आगे शब्द "कर" जोड़ दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामेश्वरलाल--उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी संशोधन इसी प्रकार का था और मुझे खुशी है कि माननीय मंत्री जी ने उसे स्वीकार कर लिया है।

श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से वर्तमान खंड १३(घ) के स्थान पर निम्नलिखित रख देने का संशोधन प्रस्तुत करता हूं :

"१३ (घ)--नियत किये जाने वाले प्रतिबन्ध और शर्तों पर विस्थापित व्यक्तियों (displaced persons) को मंडल के अधिकार की कोई भी इमारत अथवा स्थल बेच सकता है, पट्टे पर उठा सकता है अथवा किराये पर दे सकता है।"

उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत विधेयक जो था उसमें "स्थल" का कोई जिक्र नहीं था। इससे ऐसा लगता है कि जो इमारत बेची जाय, या पट्टे पर लगायी जाय तो "स्थल" के बारे बिक्री के समय या पट्टे पर उठाने पर अव्यवस्था हो सकती थी। इसलिये मैंने यह संशोधन रखा है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

श्री हुकुम सिंह--मुझे स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि वर्तमान खंड १३ (घ) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"१३ (घ)--नियत किये जाने वाले प्रतिबन्ध और शर्तों पर विस्थापित व्यक्तियों (displaced persons) को मंडल के अधिकर की कोई भी इमारत अथवा स्थल बेच सकता है, पट्टे पर उठा सकता है अथवा किराये पर दे सकता है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामेश्वरलाल---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड १३ के उपखंड (ङ), (च) तथा (छ) के अन्तिम शब्द "कर सकता है" निकाल दिये जायं और हर एक के अन्त में शब्द "करेगा" रख दिया जाय।

और यदि यह मान लिया जाय तो (ङ), (च) और (छ) इस प्रकार से हो जायगा :--

(ङ) नालियों, पटी हुयी नालियों (sewers) जल वितरण, अथवा सड़कों पर प्रकाश की व्यवस्था करेगा।

(च) सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा, समाज कल्याण के उत्थान के निमित्त उपाय करेगा,

(छ) जल के वितरण (water supply) और निष्काशन (drainage) एवं सिंचन की योजनाओं को उन्नत तथा कार्यान्वित करेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा बहुत ही सूक्ष्म और सीधा सा संशोधन है। मंत्री जी ने जो यह बिल उपस्थित किया है और इस बिल का जो यह उपखंड है उसके द्वारा "कर सकता है" रखने से पूरी जिम्मेदारी मंडल की नहीं होती वह एक निर्दिष्ट समय के भीतर उसकी पूर्ति करे। मैं चाहता हूं कि अगर 'करेगा' रख दिया जायगा तो यह जिम्मेदारी मंडल की हो जाती है और उसके लिये आवश्यक हो जाता है कि वह नालियों, पटरियों और तमाम तरह के सार्वजनिक निर्माण के काम को वह जिम्मेदारी से निभाये। इसलिये मैं चाहता हूं कि "कर सकता है" के स्थान पर "करेगा" रखा जाय। इसलिये मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे।

श्री हुकुम सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि ऐसा करने से बहुत अन्तर हो जायगा और जो और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनिसिपल बोर्ड, या इम्प्रूवमेंट बोर्ड के कानून हैं उनमें भी ऐसा ही रखा गया है कि "कर सकता है" इसके मानी हैं कि उनको अथारिटी दी गई है कि वह मौजू समझें तो करें और "करेगा" के माने हैं कि मौजू हो या न हो उसके लिये करना लाजिमी है। "कर सकता है" में यह है कि उचित समझेगा तो करेगा और उचित नहीं समझेगा तो नहीं करेगा। इसलिये "करेगा" रखने से बात ठीक नहीं बैठती है, यही इसमें बारीकी है। इसलिए इसको प्रेस न किया जाय तो ठीक है। मैंने इस मामले में अपने लीगल एडवाइजर से भी मशवरा कर लिया है, उनकी भी यही सलाह है जो मेरी राय है। इसलिये मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री रामेश्वरलाल--उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो संशोधन उपस्थित किया है उसे अपने असंगत तर्कों द्वारा उन्होंने एक तरह से स्वीकार ही कर लिया है। मेरे संशोधन का मतलब तो स्पष्ट है। मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा है कि "करेगा" के माने यह हो जायेंगे कि मौजू काम न होगा तब भी वह करेगा और "कर सकता है" रखने से यह होगा कि मौजू काम न होगा तो वह नहीं करेगा। लेकिन मैं नहीं समझता कि नगर के जो विकास के काम होंगे और उनके अन्तर्गत जो टूटी हुई नालियों के सम्बन्ध में या पटरियों के सम्बन्ध में, प्रकाश के सम्बन्ध में या जल वितरण के सम्बन्ध में या सार्वजनिक स्वास्थ्य के सम्बन्ध में कौन सी अड़चनें आवेंगी कि जिससे वह नामौजू काम "करेगा" रखने से कर डालेगा। मैं नहीं समझता कि अगर उसको हस्तिनापुर नगर के विकास का काम सौंपा गया है तो उसकी जिम्मेदारी है कि वह जन-स्वास्थ्य आदि तमाम कामों को सुधारे, तो इसमें मौजू और न मौजू का सवाल कहां आता है, यह तो उसकी अनिवार्य जिम्मेदारी होगी और इसलिये 'करेगा' होना आवश्यक है। इसके लिये अनिवार्य है कि वह वहां के प्रबन्ध के सारे काम देखे। इसलिए "कर सकता है" से उसकी पूरी जिम्मेदारी नहीं होती और "करेगा" से उसकी पूरी जिम्मेदारी हो जाती है। इसलिए "कर सकता है" जो है वह अनिश्चित और अनियमित सा है।

श्री जोरावर वर्मा--अध्यक्ष महोदय, कोरम नहीं है।

श्री रामेश्वरलाल--तो मैं यह कह रहा था कि जरूरत समझेगा तो करेगा.....

श्री उपाध्यक्ष--माननीय सदस्य कोरम के लिये ठहर जायं तो अच्छा है।

(घंटी बजाई गयी और कोरम पूरा होने पर कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री रामेश्वर लाल---उपाध्यक्ष महोदय, तो मैंने निवेदन किया कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार कर लेंगे तो अच्छा ही होगा और न करेंगे तो अनिश्चितता बनी रहेगी।

श्री हुकुम सिंह---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये से मैं फिर अपने मित्र से प्रार्थना करूंगा कि इसमें कानूनी दिक्कत और बारीकी है जिसकी वजह से मैं परेशान हूं नहीं तो मैं स्वीकार कर लेता। मैं भूल गया कि जो बसन्तलाल जी शर्मा का संशोधन था वह न मूव करते और मेरे मित्र रामेश्वरलाल जी मूव करते और मैं मान ही लेता तो कहने ही की बात हो जाती कि कोई हठधर्मी की बात नहीं है लेकिन कानूनी दिक्कत है।

श्री उपाध्यक्ष--- प्रश्न यह है कि खंड १३ के उपखंड (ङ), (च) तथा (छ) के अन्तिम शब्द "करसकता है "निकाल दिये जायं और हर एक के अन्त में शब्द "करेगा" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री बसन्तलाल शर्मा---मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करता हूं :;-

खंड १३ के उपखंड (च) की प्रथम पंक्ति में शब्द "समज" के स्थान पर शब्द "समाज" तथा उपखंड (छ) की प्रथम पंक्ति में शब्द "निस्काशन" के बजाय शब्द "निष्कासन" और द्वितीय पंक्ति में शब्द "योजनाओं" के पश्चात् "की" के स्थान पर "को"" रख दिया जाय।

श्री हुकुम सिंह---स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १३ के उपखंड (च) की प्रथम पंक्ति में शब्द "समज" के स्थान पर शब्द "समाज" तथा उपखंड (छ) की प्रथम पंक्ति में शब्द 'निस्काशन' के बजाय शब्द 'निष्कासन' और द्वितीय पंक्ति में शब्द 'योजनाओं' के पश्चात् 'की' के स्थान पर 'को' रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--- प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १४

मंडल को कर लगाने के अधिकार।

१४---(१) मंडल राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से कार्यक्षेत्र के भीतर वे सभी कर लगा सकता है जिन्हें यू० पी० म्युनिसिपैलिटी ऐक्ट, १६१६, (यू० पी० ऐक्ट २, १६१६) के चेप्टर V के अधीन कोई भी म्युनिसिपल बोर्ड लगाने के लिये अधिकृत है और उस प्रक्रिया (procedure) के अनुसार और उन निरोधों और शर्तों के अधीन जो उसमें वर्णित हैं।

(२) उपधारा (१) के अधीन लगाया गया कोई भी कर सरकारी गजट में विज्ञप्ति के प्रकाशन के दिनांक से सप्रभाव होगा और जहां तक संभव हो उसी रीति से वसूल किया जायगा जिसकी व्यवस्था उक्त ऐक्ट के चैप्टर VI में की गयी है।

*श्री तेजप्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करता हूं कि खंड १४ के उपखंड (१) की पहली पंक्ति के शब्द 'मंडल' तथा शब्द "राज्य" के बीच में निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायं :---

"नियत विधि के अनुसार प्राप्त हस्तिनापुर नगर निवासियों तथा" इससे खंड १४ इस प्रकार हो जायगा :--

"मंडल नियत विधि के अनुसार प्राप्त हस्तिनापुर नगर निवासियों तथा राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से कार्यक्षेत्र के भीतर वे सभी कर लगा सकता है"...आदि आदि।

इसका अर्थ यही है कि जहां मंडल कोई टैक्स लगाने की सोचे तो राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति तो ले ही ले; साथ ही साथ वहां के निवासियों की भी स्वीकृति ले ले। पहले तो मुझे इस पर आश्चर्य हुआ कि जब एक नगर का विकास होने जा रहा है तो उसमें टैक्स की व्यवस्था क्यों की जाय। आखिर पहले से यह क्यों सोच लिया जाय। वहां तो खर्च ही करना है। केन्द्रीय सरकार का रुपया खर्च होगा, और राज्य सरकार का भी रुपया उस नगर को विकसित करने में खर्च होगा, विस्थापित वहां बसाये जायंगे। लेकिन अगर कोई व्यवस्था टैक्स वाली आती है तो उनकी वहां के रहने वाले विस्थापितों की अनुमति ले ही लेनी चाहिये। कोई टैक्स लगाया जाय तो वहां के रहने वालों से पूछना जरूर चाहिये। यह एक सैद्धान्तिक बात है। वैसे तो टैक्स लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिये थी क्योंकि योजना के अनुसार चार पांच साल में उस नगर के विकसित हो जाने के बाद वहां म्युनिसिपल ऐक्ट तो लागू हो ही जायगा लेकिन जब तक विकास होने जा रहा है तब तक अगर टैक्स की बात आती है और वहां के रहने वालों पर टैक्स लगना है तो उसके लिये उनकी स्वीकृति अवश्य ली जानी चाहिये। इसके पहले भी एक संशोधन आया था कि मंडल में उनके प्रतिनिधि भी हों, तब यह चीज नहीं आ सकती थी लेकिन जब टैक्स की व्यवस्था है तो उनकी राय जरूर लेनी चाहिये। यह एक सीधा-सादा संशोधन है।

अब एक प्रश्न यह उठ सकता है कि किस प्रकार से उनकी स्वीकृति ली जायगी। तो इसमें "नियत विधि" रख दिया गया है। उसके रूल्स में आप रख लेंगे कि इस प्रकार से वहां के लोगों की राय ली जाय।

श्री हुकुम सिंह---उन रूल्स की जरा आप रूपरेखा बता दीजिये।

श्री तेजप्रताप सिंह---वह तो आप स्वयं बना सकेंगे और यदि उपयुक्त समय पर मुझसे परामर्श करेंगे तो बताने में मैं पीछे नहीं रहूंगा। उनकी राय लेना कोई कठिन बात नहीं है। अभी तो बहुत थोड़े से लोग वहां हैं और उनकी सलाह लेने के लिये रूल्स में कोई बहुत बड़ी बात या बड़ी पेचीदा बात या पेचीदा रूपरेखा होगी, ऐसी बात नहीं है। हम आसानी से उनकी राय ले सकते हैं और फिर यह एक सिद्धान्त की बात है। यह समझ में नहीं आता कि आप टैक्स लगा दें और उनसे पूछें नहीं। अगर थोड़ी बहुत परेशानी होगी भी तो उसे हमको भोगना चाहिये। आखिर जिन लोगों पर टैक्स लगेगा उनसे कोई परामर्श उसके लिये न किया जाय यह बहुत अनुचित होगा। माननीय केशभान राय जी मौजूद हैं। मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि यह टैक्स वाले मसले को उसी तरह से चिपकाये हुए हैं कि जैसे बन्दर का बच्चा मर जाता है। यह कोई धर्मशाला नहीं बनने जा रही है, वहां विस्थापित बसेंगे हमेशा रहने के लिये और आप उन पर टैक्स लगायेंगे। यह ठीक है कि तरक्की के लिये टैक्स लगना चाहिये लेकिन जब उनका पूर्ण विकास ही नहीं हुआ है और उसी बीच में यह टैक्स की योजना रख दी जाय तो उसके लिये यह आवश्यक है कि उनकी स्वीकृति ले ली जाय। यह खामखाह चिपकने वाली बात नहीं है। टैक्स जब लगे तो

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री तेजप्रताप सिंह]

उनकी सलाह, उनकी राय ली जाय और उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये। उनकी आसानी से सलाह ली जा सकती है। कोई नियत दिन निश्चित कर दिया जायगा और वहां उनकी राय ली जा सकेगी। तो इस तरह से यह एक सिद्धान्त की बात है और फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यह आशा है कि यह जो संशोधन है उसे आप स्वीकार करेंगे।

श्री हुकुम सिंह---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन से मैं यह मतलब समझा कि वहां के जितने निवासी हैं एक ऐसा तरीका, ऐसा नियम बना लिया जाय कि उसके अनुसार वहां के निवासियों की स्वीकृति ले ली जाय तब टैक्स लगा सकें। और हम समझते हैं कि जो मैं समझा हूं ठीक समझा हूं। तो इसके माने यह हुए कि अगर ५ आदमी वहां पर हैं तो पांचों की स्वीकृति होनी चाहिये। अगर ४ स्वीकृति दें और एक न दें तो निवासियों की स्वीकृति नहीं हुई, चार की स्वीकृति हुई। यह भी एक दिक्कत है। एक आदमी को राइट आफ वीटो हो जायगा वह अकेला चाहे सारे फैसले को रद्द कर दे, अपनी स्वीकृति न दे। अगर रिप्रजेन्टेशन की बात होती, वह चार प्रतिनिधि उसमें चुन करके और भेज देते और ५ पहले से और रहेंगे तो बहुमत नौमीनेटेड का रहेगा। तो उसमें ४ अगर विरोध करते तो उनकी बात तो नहीं मानी जाती। इस संशोधन में यह बात आ गई कि अगर एक भी न माने तो नहीं हो सकता। अब मान लीजिये कि वाटर का इन्तजाम है, तो पानी के प्रबन्ध में हमको कुछ खर्चा करना पड़ेगा तो क्या यह उचित नहीं होगा कि जो पानी ले वह उसके कुछ दाम दे? नहीं तो टैप खोल देंगे और शाम तक चलता रहेगा क्योंकि मुफ्त ही तो पानी लेना है। और भी बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जिनका करना लाजिमी है और उसके लिये सब कर अदा करते हैं तो वह भी अदा करें। ऐसे कुछ अनिवार्य टैक्सेज हैं जो करने पड़ेंगे। हर जगह जब टाउन डेवलपमेंट का काम शुरू करेंगे तो इसकी भी जरूरत पड़ेगी। ऐसा कोई टैक्स हम नहीं लगाने जा रहे हैं कि उन पर कोई बोझ लाद दें। जो म्युनिसिपल ऐक्ट में नियम दिये हुए हैं उन्हीं के मुताबिक कुछ टैक्स जरूरी हैं। कन्जर्वेन्सी टैक्स, यह तो जरूरी और लाजिमी है। तो इस टैक्स की जरूरत पड़ेगी या नहीं? अब उनकी स्वीकृति के बिना नहीं हो सकता। तो हम कोई इन्तजाम भी न करें, सफाई का इन्तजाम न करें, तो क्या दशा होगी? ऐसी दिक्कत इसमें है। मैं तो चाहता था कि कोई न कोई तरमीम जो उधर से आवे मान लूं, लेकिन जब दिक्कत सामने पेश हो जाती है तो मजबूरी हो जाती है। अब इसकी तो कोई दवा नहीं। कैसे मैं समझाऊं! मेरे दिल में कोई चोर भी नहीं है, दिल कैसे दिखाऊं, उसमें भी खतरा है!! अतः में मैं कहना चाहता हूं कि इसमें परेशानी है अगर इसको मान लूं। तो जो लाजिमी और जरूरी टैक्स लगेंगे वह भी नहीं लगा सकेंगे। यह मजबूरी है। इस वजह से मैं इसका विरोध करता हूं।

*श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, वर्तमान खंड वही खंड है, जिसके बारे में मैंने मूल विवाद होते समय भी अपने कुछ विचार प्रकट किये थे। प्रश्न यह है कि हस्तिनापुर बोर्ड वही टैक्स हस्तिनापुर नगर के निवासियों पर लगाये जिनका कि अधिकार यू० पी० म्युनिसिपल बोर्ड ऐक्ट के अध्याय ५ में वर्णन किया हुआ है। श्रीमन्, अगर आप अध्याय ५ की धारा १२८ देखें जिसमें टैक्स लगाये जाने के संबंध में है, तो इसमें कोई १५ टैक्सों की सूची दी हुई है जिनको म्युनिसिपल बोर्ड लगा सकता है। तो हमें यह मानना पड़ेगा कि इन्हीं टैक्सों को हस्तिनापुर बोर्ड भी लगा सकता है। अब माननीय मंत्री जी ने इस खंड में लिखा है कि "राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति इन टैक्सों को लगाने के लिये आवश्यक होगी" अगर धारा १२८

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को देखें तो उसमें तो राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति इस प्रकार से निहित है। माननीय मंत्री जी के पास कोई इस बात के आंकड़े नहीं हैं कि हस्तिनापुर शहर में कितनी इस समय आबादी है, कितने मकान वहां पर हैं, कितनी दुकानें हैं, कोई व्यवसाय होता है या नहीं होता है, कोई ट्रेड या कोई व्यापार किसी सुनिश्चित प्रणाली के अनुसार होता है या नहीं होता है, यह माननीय मंत्री जी को सूचना नहीं है। अगर होती तो वह हमको नियम के अनुसार जरूर वह सूचना प्रदान करते। मैं तो एक बात जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि जो इस समय मंडल वहां बना हुआ है जिसे कि भारत सरकार ने बनाया है, उस मंडल ने अभी वहां पर कोई टैक्स लगाया है या नहीं लगाया है। अगर माननीय मंत्री जी इस बात को साबित कर दें या हमको यह सूचना दे दें कि जो वर्तमान मंडल वहां पर काम कर रहा है उसने वहां पर कोई टैक्स लगाया है, भले ही वह ऐक्सकैवेंजिग टैक्स हो या कोई दूसरा टैक्स हो, तब तो हम समझ सकते हैं कि किसी विधान की आवश्यकता इस संबंध में हो सकती है। लेकिन अगर यह बात सही है कि हस्तिनापुर शहर अभी एक मेला के समान है जहां लोग आते हैं और चले जाते हैं, दस दिन रहते हैं हस्तिनापुर में, दस दिन रहते हैं दिल्ली में और दस दिन रहते हैं मेरठ में और जैसा कि कल से कहा जा रहा है कि हस्तिनापुर तो शहर है ही नहीं वह तो अभी बनाना ही है, वहां तो आबादी कोई सौ दो सौ या तीन सौ आदमियों से ज्यादा की नहीं है, वहां पर तो कोई रहने को ही तैयार नहीं है, तो एक ऐसे स्थान में जहां पर कि लोग रहने को ही तैयार नहीं हैं जहां कोई आबादी ही नहीं बन पायी है, कोई व्यापार ही नहीं होता है, ऐसी जगह के लिये—यह मैं कल जो दलीलें दी गई उन दलीलों के आधार पर जिक्र कर रहा हूं—इस खंड को रखना मुझे आवश्यक नहीं प्रतीत होता और अगर होता भी है तो इसमें जैसा कि माननीय मंत्री जी ने एक ही टैक्स का नाम लिया, एक्सकैवेंजिग टैक्स का नाम उन्होंने लिया, उनकी हिम्मत नहीं हुई आगे नाम लेने की, तो माननीय मंत्री जी कह सकते थे कि एक्सकैवेंजिग टैक्स या और कोई टैक्स इसी तरह का रख देते। लेकिन ये सारे टैक्स लगाने की क्या आवश्यकता थी? एक तरफ तो यह कहा जाना कि अभी शहर का विकास ही नहीं हुआ; अभी तो इसका निर्माण और इसका विकास होना बाकी है, और दूसरी तरफ दूसरे सारे म्युनिसिपल बोर्ड के जितने टैक्स हैं, वे सब उस बोर्ड के मातहत कर देना, यह मैं समझता हूं कि कोई उचित बात नहीं है। इसलिये कल दिन भर जो तर्क यहां पर दिये गये, अगर उन तर्कों को सही माना जाय तो इस खंड १४ पर हमें पुनर्विचार करना पड़ेगा। इस पर एक दूसरे दृष्टिकोण से विचार करना पड़ेगा। जनहित के दृष्टिकोण से विचार करना पड़ेगा। हस्तिनापुर के विकास में अगर बाधा नहीं डालने का विचार है तो इस खंड १४ को भी बदलना पड़ेगा। माननीय तेज प्रताप सिंह जी का यहां पर जो संशोधन है, उन्होंने यह कहा है कि हस्तिनापुर नगर के निवासियों की राय भी टैक्स के संबंध में ले ली जाय। मैं इस बात को मानता हूं। मगर नगर निवासियों की राय प्राप्त कैसे होगी, किसी पब्लिक मीटिंग के जरिये उनकी राय ली जायेगी या कैसे ली जायगी, यह साफ नहीं मालूम हो रहा है। इसीलिये हमने यह सुझाव रखा था कि उनके कुछ नुमाइन्दों को उसमें रखा जाना चाहिये, मगर वह सुझाव नहीं माना सरकार ने। लेकिन अब कोई न कोई नीति तो निर्धारित की जानी चाहिये जिसके अनुसार कि जो लोग टैक्स देने वाले हैं उनकी सहमति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हो सके। मैं तो यह कहूंगा कि जब तक म्युनिसिपल बोर्ड वहां बन नहीं जाता तब तक वहां पर कोई टैक्स नहीं लगना चाहिये। एक्सकैवेंजिग टैक्स की बात माननीय मंत्री जी कहते हैं। अगर एक्सकैवेंजिग टैक्स केवल लेना चाहते हैं तो वहां पर स्पष्ट यह लिखा जाय कि एक्सकैवेंजिग टैक्स ही सिर्फ लिया जाय। मैं इस बात को मान लेता हूं कि दो तीन साल बाद जब शहर ऐसा विकसित हो जाय तो शायद वहां एक्सकैवेंजिग टैक्स की जरूरत पड़े। बाकी सारे टैक्सों का वर्णन करना अनावश्यक है।

श्री जोरावर वर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय तेजप्रताप सिंह जी ने जो संशोधन रखा है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। उपाध्यक्ष महोदय यह संशोधन जनतांत्रिक सिद्धांतों के अनुकूल है। लेकिन यह जो व्यवस्था है टैक्सेशन की यह हमको बिलकुल ही पुराने जमाने की ओर खींचकर ले जाती है। जो राजा नवाब लोग थे उनको जरूरत नहीं पड़ती थी कि

[श्री जोरावर वर्मा]

किसी से पूंछा जाय, राय ली जाय। उनके मुख से जो निकल गया वह कानून बन गया और टैक्स लग गया। मंत्री जी ने एक दिक्कत बतलाई कि सम्मति कैसे प्राप्त करें। इसमें नियत विधि है उसमें सर्व सम्मति कहीं नहीं है। अगर ५० प्रतिशत भी लोग राय दे देंगे तो हम टैक्स लगा देंगे। यहां मैं आपका ध्यान खंड ६ के (१) की तरफ दिलाना चाहता हूं। वह इस प्रकार है कि--

"इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये मंडल समय समय पर एक या एक से अधिक समितियां, जिनमें वे व्यक्ति होंगे, जिन्हें वह उपयुक्त समझे, नियुक्त कर सकता है" जब आप कोई कार्य करेंगे तो आपको समिति बनानी पड़ेगी अगर आप कोई सिस्टम कायम करना चाहते हैं तो एक समिति बनानी होगी। इसमें वहां के नगर निवासियों को रखें और इस कमेटी की सम्मति टैक्सेशन में प्राप्त होना आवश्यक है।

आपने यह कहा कि हमें कोई दलील नहीं मिलती है जिससे हम आपकी राय मान लें। मैं समझता हूं कि आप मानें या न मानें यह तो आपके ऊपर है। लेकिन यहां जो बात कही जाती है वह सुझाव के रूप में ही होती है। आप चाहें तो उनको मान सकते हैं। लेकिन चूंकि आपको मानना नहीं है इसलिये कुछ न कुछ बहाना तो बनाना ही पड़ेगा। प्रजा पर टैक्स लगाना क्या प्रजातंत्र सिद्धांत के अनुकूल है, क्या लोकतंत्र के सिद्धांत के विरुद्ध नहीं है जहां आपको टैक्स लगाना है यानी कमेटी आवश्यक समझे वहां मंडल की तरफ से कर दें? जिन पर आपको टैक्स लगाना है वहां कंडीशनल कर दें कि हम पाइप सिस्टम जब करेंगे जब आप टैक्स देंगे। जब आप टैक्स देना शुरू कर देंगे तो हम आपको फलां-फलां सुविधा देंगे। इसलिये राय लेने की अनेकों विधियां हैं। लेकिन मंत्री जी की बात से यह मालूम पड़ता है कि जो कंस्ट्रक्टिव संशोधन है उनको वह मानना नहीं चाहते हैं। क्योंकि ५ साल का जो शासन है वह हिटलरशाही शासन है उसमें पब्लिक की आवाज की गुंजाइश नहीं है। चाहे मंडल अच्छा करे या बुरा, इसकी कोई बात नहीं है। मंडल अपने मन की करता रहे।

मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो सिद्धांत टैक्सेशन का है कि "नो टैक्सेशन विदआउट रिप्रेजेंटेशन" इसको आपने नहीं माना तो कम से कम यह जो संशोधन है यह उसी का एक छोटा सा रूप है। सम्मति लेने के लिये आप नियम बना सकते हैं। आपने जो अभी एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति की है उसमें कुछ खोला नहीं है कि किन शर्तों पर आप रखेंगे। इसके विषय में भी आप नियम बना सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस संशोधन को स्वीकार करेंगे।

*श्री तेजप्रताप सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन मैंने पेश किया उसकी मंशा केवल यही थी कि यह जो टैक्स लगाये जायं वहां के विस्थापितों और वहां के निवासियों के ऊपर तो उस वक्त उन की राय जरूर ली जाय। और सिद्धांततः यह बात ठीक भी है और कोई मेरी मंशा नहीं थी कि मेरा संशोधन स्वीकार किया जाय या न किया जाय। न मेरी कोई मंशा ऐसी रहती है। लेकिन जो हमारा कर्त्तव्य है, और जो विधेयक हमारे सामने आता है तो उसको देख कर जो रूप हम उचित समझते हैं उसको रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरी कोई यह मंशा नहीं रहती कि कोई संशोधन मान लिया जाय या न मान लिया जाय। यह कतई कोई मंशा रहती नहीं है। और माननीय मंत्री जी का यह खयाल कि कोई हठधर्मी है या कोई जिद है ऐसा भी नहीं है। वह तो सिद्धांतों के अनुकूल रूप देने के लिये यहां संशोधन लाते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

टैक्स लगाते वक्त कोई राय ली जाय या न ली जाय इस पर कोई प्रकाश माननीय मंत्री जी ने डाला नहीं। उस सिद्धांत के बारे में जरूर कुछ कहना चाहिये था। यह तो ठीक है कि टैक्स लगाया जाय। लेकिन वहां के निवासियों की राय भी ली जाय यह भी उतनी ही जरूरी चीज है और इसी ओर ध्यान दिलाने के लिये मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया था। मैं जानता हूं कि जरूर जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा उसमें कुछ वेगनैस है क्योंकि अगर एक भी आदमी इंकार कर देता तो दिक्कत पड़ सकती है। मैं उसे स्वीकार करता हूं। लेकिन जो मेरी मंशा थी इस संशोधन के पेश करने से वह केवल यही थी कि जहां हम टैक्स लगाने जा रहे हैं वहां के निवासियों की राय ली जानी चाहिये पहले तो यह समझ लेनी चाहिये या नहीं और अगर लेनी चाहिये तो उसका क्या रूप हो। केवल यही मकसद था और मैं समझता हूं कि मैं सही था। टैक्स लगाते वक्त उनका विचार जरूर होना चाहिये। लेकिन उसकी कोई रूपरेखा मंत्री जी ने स्वयं कही रक्खी नहीं। मैं तैयार हूं कि वहां के लोगों की राय के बारे में मंत्री जी जैसा भी रूप उचित समझें उसको संशोधित रूप में वह खुद रख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं अपना संशोधन वापस ले लूं। केवल सजेशन था वह भी सिद्धांततः कि वहां के निवासियों की राय लेना आवश्यक है टैक्स लगाते वक्त और मैं समझता हूं कि जो रूप वह उचित समझते हों वह रख सकते हैं।

श्री हुकुम सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपने मित्र तेजप्रतापसिंह की बात सुनी और जो उनकी मंशा थी संशोधन को लाकर वह यह थी कि सरकार का ध्यान दिलाया जाय कि किसी तरह से वहां के निवासियों पर कोई अनुचित टैक्स न रखा जाय.....

श्री तेजप्रताप सिंह--टैक्स लगाते वक्त उनसे कोई राय लेने की व्यवस्था रख दी जाय।

श्री हुकुम सिंह--संशोधन के मंजूर कर लेने से जो दिक्कत थी और जो मैंने व्यक्त की इस सदन के सामने, मुझे खुशी है कि प्रस्तावक महोदय ने मेरी दिक्कत को समझा, उनके सपोर्टर्स ने तो कतई उस तरफ ध्यान दिया नहीं। सिद्धांत की बात कह कर और बहुत कुछ कहने की कोशिश की। लेकिन तेजप्रताप सिंह जी का मैं बड़ा आभारी हूं जिन्होंने मेरी दिक्कत को समझा और वाकयी वह दिक्कत ऐसी है कि अगर एक आदमी भी अपनी स्वीकृति न दे तो इस संशोधन के होते हुये कुछ काम आगे बढ़ नहीं सकता। लेकिन मैं इतना ही यहां यकीन दिलाना चाहता हूं कि वह टैक्स लगाये जायेंगे जो उनके हित में, डेवलपमेंट के हित में जरूरी और लाजमी होंगे। उनके अतिरिक्त कोई टैक्स लगाने का सरकार इरादा नहीं रखती है और वह खुद ही बेचारे परेशान हैं। हम उनकी परेशानी दूर करना चाहते हैं, न कि उनकी परेशानी बढ़ाना चाहते हैं। सरकार तो कभी ऐसा नहीं सोचती कि उनके रास्ते में परेशानियां पैदा हों। इसी नियत से मैं यह समझता हूं कि यह कोई जरूरी प्रस्ताव नहीं है बल्कि इससे कठिनाई पैदा होने का अंदेशा है और तेज प्रताप सिंह जी ने अपनी इच्छा को इस प्रस्ताव द्वारा इस सदन में प्रकट ही कर दिया। लिहाजा अब वह इसको प्रेस न करें क्योंकि उनकी मंशा तो पूरी हो ही गई और इसको वह वापस लेलें।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १४ के उपखंड (१) की पहिली पंक्ति के शब्द "मंडल" तथा शब्द "राज्य" के बीच में निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायं--

"नियत विधि के अनुसार प्राप्त हस्तिनापुर नगर निवासियों तथा"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री बसन्तलाल शर्मा--मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड १४ के उपखंड (१) की पंक्ति २ में शब्द "लगा सकता है" निकाल दिये जायं, शब्द "म्युनिसिपैलिटी" के स्थान पर शब्द "म्युनिसिपैलिटीज" रख दिया जाय, पंक्ति ४ में शब्द "अधिकृत है" और शब्द "उस" के बीच शब्द "और" निकाल दिया जाय। पंक्ति ५ में विराम के चिन्ह के स्थान पर अल्प विराम का चिन्ह रख दिया जाय और उसके पश्चात् "लगा सकता है" जोड़ दिये जायं।

श्री हुकुम सिंह--यह शाब्दिक संशोधन है और उससे भाषा ठीक हो जाती है। मैं इसे स्वीकार करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १४ के उपखंड (१) की पंक्ति २ में शब्द "लगा सकता है" निकाल दिये जायं, शब्द "म्युनिसिपैलिटी" के स्थान पर शब्द "म्युनिसिपैलिटीज" रख दिया जाय, पंक्ति ४ में शब्द "अधिकृत" और शब्द "उस" के बीच शब्द "और" निकाल दिया जाय। पंक्ति ५ में विराम के चिन्ह के स्थान पर अल्प विराम का चिन्ह रख दिया जाय और उसके पश्चात् शब्द "लगा सकता है" जोड़ दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

श्री गजेन्द्र सिंह--मेरा एक संशोधन रह गया है।

श्री उपाध्यक्ष--आप विरोध में बोलना चाहें तो बोल सकते हैं।

श्री गजेन्द्र सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि खंड १४ को निकाल दिया जाय। खंड १४ इस प्रकार है :--

"मंडल राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से कार्य क्षेत्र के भीतर वे सभी कर लगा सकता है जिन्हें यू० पी० म्युनिसिपैलिटी ऐक्ट, १९१६ (यू० पी० ऐक्ट २, १९१६) के चैप्टर V के अधीन कोई भी म्युनिसिपल बोर्ड लगाने के लिये अधिकृत है और उस प्रक्रिया (Procedure) के अनुसार और उन निरोधों और शर्तों के अधीन जो उसमें वर्णित हैं।

(२) उपधारा (१) के अधीन लगाया गया कोई भी कर सरकारी गजट में विज्ञप्ति के प्रकाशन के दिनांक से सप्रभाव होगा और जहां तक संभव हो उसी रीति से वसूल किया जायगा जिसकी व्यवस्था उक्त ऐक्ट के चैप्टर VI में की गई है।"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो मंडल को कर लगाने का अधिकार दिया गया है मैं उसका विरोध करना चाहता हूं। इसलिये विरोध करता हूं कि मंडल जो है वह राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित किया गया है और उसमें जनता की कोई वायस नहीं है। लिहाजा ऐसी हालत में राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित मंडल को कर लगाने का कोई अधिकार न होना चाहिये। कल के संशोधनों में मैंने जब इलेक्शन के लिये कहा था तो उन्होंने अपनी दलीलों में यह कहा था कि अगर चुनाव कराया जायगा तो मंडल में एक दलबन्दी पैदा हो जायगी और विकास का कार्य बन्द हो जायगा और बड़ी भारी परेशानी हो जायगी। जहां माननीय मंत्री जी चुनाव की बात नहीं मानते वहां मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक कर का प्रश्न है यह भी एक ऐसा प्रश्न है जो वहां के लोगों में असंतोष की भावना पैदा करेगा जिससे विकास के कार्य में उससे भी ज्यादा रुकावट होगी जितनी कि माननीय मंत्री जी ने चुनाव में संभावना प्रकट की थी। इसलिये वहां के विकास के दृष्टिकोण से कर लगाना उचित नहीं है। कर लगाने से वहां पर असंतोष पैदा होगा। इसके साथ साथ माननीय मंत्री जी ने यह कहा था कि चूंकि वह लोग विस्थापित हैं, दुखी हैं और परेशान हाल हैं और परेशानी की हालत में वह पाकिस्तान से आये हैं और उनके पास कोई जीविका का साधन नहीं है। उनको वहां पर बैठा रहे हैं तो फिर ऐसे व्यक्तियों के लिये जिनके पास जीविका का साधन नहीं है, उनके ऊपर टैक्स लगाना किसी प्रकार से उचित नहीं कहा जा सकता। उन लोगों के सामने एक प्राबलम पैदा हो जायगी और इससे उनकी परेशानी होगी। इसके साथ साथ माननीय मंत्री जी ने कहा था कि कोई ऐसी विशेष बात नहीं है और हम मामूली टैक्स पानी वगैरा के लिये लगाना चाहते हैं और हाउस टैक्स जैसा कोई टैक्स नहीं लगाना चाहते हैं लेकिन अगर माननीय मंत्री जी ऐसा करना चाहते थे तो वह यहां पर ऐसा कर देते कि पानी का ही टैक्स उनसे लिया जायगा।

लेकिन वह तो मंडल को सब टैक्स लगाने का अधिकार दे रहे हैं जिससे उन लोगों के ऊपर बहुत बोझ हो जायगा। हमारी सरकार का जहां तक ताल्लुक है वह उसकी ठेकेदार बन गयी है और टैक्स लगाने में वह प्रवीण है ही तो टैक्स लगाकर इस प्रकार से गलत तरीका अख्तियार करके रुपया खर्च कर देती है। यह सरकार ने अपना रवइया बना रखा है। इस प्रकार से विस्थापितों के ऊपर टैक्स लगाना उनके लिये रुपये को बरबाद करना है। सरकार यह चाहती है कि उसी के ऊपर टैक्स लगाया जाय। इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं करना चाहती है जिससे उन लोगों का लाभ हो। अगर आप म्युनिसिपैलिटी की तरह से वहां पर टैक्स लगाना चाहते थे तो वहां पर चुनाव करना चाहिये था। मगर सरकार ऐसा करना नहीं चाहती है और इस प्रकार के सब अधिकार मंडल को देना चाहती है। मंडल वहां पर टैक्स लगा देगा चाहे जनता उसको पसन्द करे या न करे। यह बड़े अन्याय की बात है कि आप उनको चुनाव का राइट न दें और उनके ऊपर टैक्स लगाते जायं। इससे उनके सामने एक समस्या पैदा हो जायगी। यह बड़ा भारी अन्याय है और इस प्रकार से उनकी परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ जायगी। इसलिये इन शब्दों के साथ मैं इस धारा का विरोध करता हूं और मैं यह समझता हूं कि इससे मंडल के कार्य में रुकावट पैदा होगी और वहां पर मंडल उन्नति नहीं कर पायेगा। टैक्स लगाने से उन लोगों को राहत नहीं मिलेगी और डैवलपमेंट के कार्य में रुकावट पैदा होगी।

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गजेन्द्र सिंह जी ने जो प्रस्ताव रक्खा है मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। यहां पर कल जो प्रस्ताव मंडल की रचना के बारे में रहा उसमें हमारी तरफ से श्री गजेन्द्र सिंह जी ने यह संशोधन रक्खा था कि मंडल में वहां के लोगों का प्रतिनिधित्व दिया जाय। अगर वह संशोधन मान लिये होते तो आज माननीय मंत्री जी को इस कर लगाने के मामले में उनको बड़ी मदद मिली होती। हमारे पूर्व वक्ता ने इस बात को बतलाया कि अगर वहां की जनता से राय लेकर कर लगाया जाता तो इससे सरकार को बहुत आसानी होगी। अगर वहां के लोगों की राय लेकर कर लगेगा तो उसकी वसूलयाबी में बड़ी भारी आसानी होती और वहां पर डैवलपमेंट का काम भी होगा क्योंकि वह यह समझते कि हमारे ही डैवलपमेंट के लिये यह चीज की जा रही है। सरकार को उस करके वसूल करने में किसी तरह से कोई कठिनाई नहीं होती। अभी जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बतलाया, यह कर उनके ही मतलब के लिये लगाया जा रहा है। श्रीमन्, अभी आपने देखा होगा कि गांव पंचायतों के ऊपर उनकी सभा को अधिकार है कि वह अपने गांव की तरक्की के लिये कर लगायें। लेकिन जब वहां कर लगाना होता है तो वहां का सेक्रेटरी गांव के लोगों को नहीं बुलाता है। सभापति और सेक्रेटरी या १,२ आदमी और बैठकर प्रस्ताव पास कर लेते हैं और कर लगा देते हैं। जब उसकी वसूली की कार्यवाही होती है तब गांव के लोगों को पता चलता है कि यह कर लगा है। वह ऊपर से सरकार नहीं लादती है।

श्री हुकुम सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मित्र बहुत जोर से बोल रहे हैं जिससे आवाज समझने में नहीं आ रही है और बाद में कहेंगे कि हमारी बातों का जवाब नहीं दिया। माइक्रोफोन पर इतने जोर से बोलने की जरूरत नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---हां, जरा धीरे बोलें।

श्री रामसुभग वर्मा--बहुत अच्छा। मैं यह बतला रहा था कि गांव सभाओं को अधिकार दिया गया है कि वे गांव में कर लगावेंगे गांव के उत्थान के लिये। एक दफा प्रश्न के उत्तर में स्वशासन मंत्री जी जवाब दिये थे कि सरकार कोई टैक्स गांव के ऊपर नहीं लगाती है, वहां के लोग अपने ऊपर लगाते हैं। मगर गांव वालों को, जैसा मैंने अभी कहा, टैक्स लगते समय मालूम भी नहीं होता। तेजप्रताप सिंह जी ने संशोधन रक्खा है कि आपको वहां कर लगाना है तो मंडल की राय से आसानी से वसूली होगी। लेकिन आपने मंडल बनाते समय वहां के लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया, किसी अंश में भी। आपने सीधे केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार का मंडल बनाया है जो वहां के लोगों पर टैक्स लगावेगा। लेकिन उसकी

[श्री रामसुभग वर्मा]

वसूली में बड़ी कठिनाई पड़ेगी। वह लोगों से जबरदस्ती वसूल करेंगे और बहुत बड़ा असंतोष होगा जिससे डेवलपमेंट में बहुत दिक्कत होगी। जब वसूली नहीं होगी तो हर तरह से लोगों को परेशान किया जायगा। वहां के प्रतिनिधि होते तो इस समस्या को हल कर देते। ऐसी हालत में मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि माननीय गजेन्द्र सिंह जी के संशोधन को स्वीकार कर लें।

श्री जोरावर वर्मा---उपाध्यक्ष महोदय, सचमुच मैं बहुत देर तक यह सोचता रहा कि यह संशोधन कहां तक ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष---यह संशोधन नहीं है।

श्री जोरावर वर्मा---जी हां, इसका जो विरोध किया गया वह क्यों किया गया है? म्युनिसिपैलिटीज की इसमें कोई धारा नहीं रखी गई है और न उसके ऊपर कोई काम किया गया है लेकिन टैक्सेशन म्युनिसिपैलिटीज के अनुसार ही है। तो मैं यह नहीं सोच समझ पाया कि यह सरकार वहां कोई काम करेगी या नहीं। अगर माननीय मंत्री जी यह अधिकार ले लेते हैं, जैसे वाटर सप्लाई का काम शुरू कर दिया और माननीय मंत्री जी ने यह टैक्स लगा दिया उसका टैक्स २५ रुपये मासिक, तो वहां के लोग उसे नहीं लेंगे। तो यह आदर्श नगर जो बसने जा रहा है वह न बस सकेगा। वे जब टैक्स न देंगे तो डेवलपमेंट का कार्य रोकने के लिये सरकार को यह बहाना मिल जायगा कि वे लोग टैक्स ही नहीं देते हैं इसलिये डेवलपमेंट कैसे हो सकता है। एक दूसरी बात और है कि टैक्स न देने की सूरत में उनके ऊपर कुर्की भी हो सकती है। वे रुपया तो दे नहीं सकेंगे क्योंकि उनके पास कुछ होगा ही नहीं फिर यह सरकार के लिये डेवलपमेंट न करने का एक बहाना हो जायगा और विस्थापित लोग किसी चीज को डिमान्ड ही न कर सकेंगे। कुछ न कुछ टैक्स लगना ही चाहिये; इसका सीधा अर्थ यही होता है कि सरकार विस्थापितों का हित करना ही नहीं चाहती है; चाहिये तो यह कि सरकार उनसे कोई टैक्स ही न ले क्योंकि यह तो केवल ५ वर्ष की ही बात है, वे लोग तो बाहर से आये हुए हैं तो सरकार को सगी माता जैसा व्यवहार करना चाहिये, न कि स्टेपमदरली ट्रीटमेंट उनके साथ किया जाय कि जब तुम यह टक्स दोगे तभी तुमको यह सहूलियत दी जायगी। हमारा पूर्ण विश्वास है कि सरकार इस प्रकार से अपने कार्य में सफल नहीं हो सकेगी। इन शब्दों के साथ मैं इस धारा का विरोध करता हूं।

श्री हुकुम सिंह---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्या बताऊं! मेरी बदकिस्मती है कि उधर लोगों में जो शेडो केबीनेट के इंचार्ज श्री गजेन्द्र सिंह जी हैं, उन्होंने इतनी गैर जिम्मेदाराना बात कहीं कि टैक्स लगा कर कुनबापरस्ती होती है। यह बिल्कुल ग़लत है और ऐसी बातें कहना इस सदन की मान मर्यादा को धक्का पहुंचाना है। यह सरकार वह सरकार है जो प्योर गोल्ड कही जा सकती है। मुझे इस बात का दावा है। ऐसी बातें इस सदन में कह देना ख्वामख्वाह के लिये सदन की मान-मर्यादा को क्षति पहुंचाना है। जहां तक इस धारा का ताल्लुक है, कल से आज तक इस पर सारी बहसें हो चुकी हैं। अगर कोई समझने की कोशिश ही न करे तो उसमें मेरा कसूर नहीं है। मैं तो केवल समझा सकता हूं। किसी को समझने के लिये बुद्धि नहीं दे सकता। सोते हुए आदमी को जगाया जा सकता है लेकिन जागा हुआ यदि कहे कि वह सोता है तो उसको कैसे जगाया जा सकता है। आंखें रहते हुए देखा जा सकता है लेकिन अगर कोई न देखना चाहे तो वह नहीं देख सकता। इसमें कौन-सी बात थी जिसके बारे में इतनी सारी बातें कही गयीं?

अकेले श्री जोरावर वर्मा ने यह कहां से देखा कि सरकार डेवलपमेंट के कामों को नहीं करना चाहती है। इसके द्वारा उन्होंने सरकार के नीयत पर धब्बा लगाने की कोशिश की है। मैं अपने मित्र से कहूंगा कि जरा वे आंख खोल कर देखें कि इस सरकार ने रिप्यूजीज के लिये क्या क्या किया है। हस्तिनापुर तो वे कभी गये नहीं और न वहां का जुगराफिया ही पढ़ा। यदि हमारी नीयत नहीं थी तो इस विधेयक के लाने की आवश्यकता ही क्या है? इसलिये कि हमें करना है और हम वहां इसकी जरूरत समझते हैं और इसीलिये दफा १४ की भी जरूरत है। जब शासन करना पड़ता है तब इस बात की जरूरत मालूम पड़ती है जो सिर्फ अपना शेबा क्रिटिसाइज करना ही समझते हैं वे इसकी अहमियत नहीं समझ सकते। लिहाजा जोरावर जी का यह कहना कि सरकार ऐसा नहीं करना चाहती, मुझे सुनकर दुःख हुआ लेकिन मैं दुःख भी कहां तक करूं उनकी तो ऐसी आदत ही हो गयी है। हमको भी यह उसूल अख्तियार करना होगा कि उनकी बातों की परवाह न करें जब तक वे ऐसी गैरजिम्मेदाराना बातें कहें। मेरा कहना तो यह है कि हर प्रश्न पर गम्भीरता के साथ विचार करना चाहिये। जरूरत पड़ती है कि कुछ डेक्सेशन ऐसे हैं जो लाजिमी आ जाते हैं डेवलपमेंट के लिये, तो अगर ऐसा प्राविजन हो कि दफा १४ निकाल दी जाय तो उन जरूरतों को कैसे पूरा किया जाय? अगर यह दफा निकल जाती है तो इस विधेयक में खामी रह जाती है, आखिर उसकी पूर्ति कैसे हो?

श्री जोरावर वर्मा--उसके लिये अलग से बिल लावें।

श्री हुकुम सिंह--अगर अलग से उसके लिये बिल लायेंगे तो फिर आप कहेंगे कि आप बार-बार तरमीम लाते हैं। मैं तो कहता हूं कि अच्छा ही हुआ जो इस सदन ने प्रवर समिति की सिफारिश को नामंजूर कर दिया। इनमें कोई नयी बातें नहीं कही गयी है, सारी बातें उसी तरह की हैं। लिहाजा मैं इस सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं फिर प्रार्थना करता हूं अपने भाइयों से जो इधर बैठे हैं और उधर बैठे हैं कि इस विधेयक पर ज्यादा वक्त लगाने की जरूरत नहीं है और न इस पर ज्यादा इनर्जी खर्च करने की जरूरत है। अभी इससे कहीं ज्यादा अहमियत रखने वाले बिल आने वाले हैं उस मौके के लिये आप अपनी इनर्जी को महफूज रखें तथा इसको जल्द अज जल्द पास करने की कोशिश करें ताकि इसको अपर हाउस में ले जाकर वहां से भी पास करावें और इन दुःखी और पीड़ित भाइयों के उत्थान और इनके दुख दर्द को दूर करने का काम जल्द से जल्द शुरू कर दें और इसलिये इस धारा का यहां रखना जरूरी है।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १५

यूनाईटेड प्रांविसेज म्यूनिसिपैलिटीज ऐक्ट के अधीन मंडल के अधिकार।

१५--यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ (यू० पी० ऐक्ट २, १९१६) के चैप्टर VII,VIII,IX (धारा २९७ को छोड़कर) और X के उपबन्ध जहां तक कि वे इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, यथा सम्भव कार्यक्षेत्र में प्रवृत्त होंगे तथा उक्त उपबन्धों में बोर्ड के अथवा प्रेसीडेंट अथवा किसी भी अधिकारी के सभी अभिदेशों (References to) का अर्थ उसी प्रकार लगाया जायगा मानो वे हस्तिनापुर नगर विकास मंडल अथवा उसके अध्यक्ष अथवा उसके अधिकारियों के, जैसी भी दशा हो, अभिदेश हों।

श्री केशव पांडेय--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि वर्तमान खंड १५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"१५--यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ (यू० पी० ऐक्ट २, १९१६) के चेप्टर VII,VIII, IX (धारा २९७ को छोड़ कर) और X के उपबन्ध जहां तक कि वे इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, यथासम्भव कार्यक्षेत्र में प्रवृत्त होंगे तथा उक्त उपबन्धों में म्युनिसिपैलिटी, बोर्ड, प्रेसीडेंट, अथवा बोर्ड के किसी भी अधिकारी के लिये सभी अभिदेशों (References) का अर्थ उसी प्रकार लगाया जायगा मानो वे उपनगर (Township), धारा ३ के अन्तर्गत निर्मित मंडल उसके अध्यक्ष अथवा उसके किसी भी अधिकारी के लिए, जैसी भी दशा हो, अभिदेश हों।"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो अधिनियम की यह धारा दी गयी है ऐसे संशोधन के बाद स्पष्ट नहीं थी और न उससे वह मतलब पूरा होता था जिसके लिये म्युनिसिपैलिटी की उपर्युक्त धारा को लाया गया था। इसलिये मैं यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं। मैं समझता हूं कि इससे इस कानून की खामी दूर हो जायगी। इसलिये मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको मंजूर करेंगे।

श्री हुकुम सिंह--मुझे स्वीकार है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, मैं केवल एक ही बात जानना चाहता हूं कि इस समय यह जो संशोधन स्वीकार किया गया है, इसमें भी और मूल खंड में भी यह लिखा हुआ है "धारा २९७ को छोड़कर" तो मैं इतना ही जानना चाहता हूं कि धारा २९७ को छोड़ने की क्या आवश्यकता पड़ गयी? अगर माननीय मंत्री जी धारा २९७ को पढ़ेंगे तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसमें केवल इतना ही है कि राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियम के अगर बरखिलाफ न जाने वाला कोई नियम बोर्ड बनाना चाहे तो बना सकता है।

"(1) A board may, by special resolution, make regulations consistent with this Act, or with any rule under section 296 or regulation under sub-section (2) made by the State Government as to all or any of the following matters."

रेगुलेशन जो बना है वह उसके प्रोसीज्योर के बारे में है। वह राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियम के कंसिस्टेंट है, उसके खिलाफ नहीं है। कभी कभी ऐसी आवश्यकता पड़ सकती है। इसलिये मैं समझता हूं कि २९७ में जो प्रोसीज्योर रेगुलेशन बनाने का है वह अधिकार तो बोर्ड को मिलना ही चाहिये।

श्री हुकुम सिंह--रूल्स और बाईलाज से काम चल जायगा, रेगुलेशन्स बनाने की जरूरत नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष-- प्रश्न यह है कि वर्तमान खंड १५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय --

"१५--यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ (यू० पी० ऐक्ट २, १९१६) के चेप्टर ७, ८, ९ (धारा २९७ को छोड़ कर) और १० के उपबन्ध जहां तक कि वे इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, यथासम्भव कार्यक्षेत्र में प्रवृत्त होंगे तथा उक्त उपबन्धों में म्युनिसिपैलिटी, बोर्ड, प्रेसीडेंट अथवा बोर्ड के किसी भी अधिकारी के लिए सभी अभिदेशों (References) का अर्थ उसी प्रकार लगाया जायगा मानो वे उपनगर (Township), धारा ३ के अन्तर्गत निर्मित मंडल उसके अध्यक्ष अथवा उसके किसी भी अधिकारी के लिए, जैसी भी दशा हो, अभिदेश हों।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १६

मंडल में सम्पत्ति का निहित होना।

१६--मंडल के संगठन से पूर्व किसी भी समय नगर के निर्माण एवं विकास के प्रयोजनों के निमित्त केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अथवा उपार्जित (owned or acquired) सभी चल या अचल सम्पत्ति एवं अन्य धन (assets) धारा १७ में निर्दिष्ट सम्पत्ति को छोड़ कर मंडल के संगठित होने पर उन निरोधों और शर्तों के अधीन जो नियत किये जायं, इस अधिनियम के प्रयोजनों को निमित्त मंडल में निहित होगी।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी--उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो वैधानिक आपत्ति की थी वह खंड १६ से शुरू होती है।

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)--श्रीमन्, मैं वैधानिक आपत्ति उठाना चाहता हूं कि खंड १६ तो अब पास हो चुका...

श्री उपाध्यक्ष--वह पास अभी नहीं हुआ है, मैं पुट करने जा ही रहा था।

श्री नारायणदत्त तिवारी--वह, श्रीमन्, इस प्रकार है कि "मंडल के संगठन से पूर्व किसी भी समय नगर के निर्माण एवं विकास के प्रयोजनों के निमित्त केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अथवा उपार्जित (owned or acquired) भी चल या अचल सम्पत्ति एवं अन्य धन (assets) धारा १७ में निर्दिष्ट सम्पत्ति को छोड़कर मंडल के संगठित होने पर उन निरोधों और शर्तों के अधीन जो नियत किये जायं, इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त मंडल में निहित होगी।" यह तो बिल्कुल स्पष्ट ही है कि वह सम्पत्ति मंडल के संगठन से पहले ही निहित होगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो असेट्स हैं उनके बारे में रिट्रास्पेक्टिव अफेक्ट देकर कोई विधान बना दें, यह नियमानुकूल नहीं है और असंगत है। इसमें स्वत्व का सवाल नहीं है। यदि हम प्राइमाफेसी इस तरह से पास कर देते हैं और केन्द्रीय सरकार की सम्पत्ति को भी मंडल की सम्पत्ति बनाये देते हैं तो यह इस सदन की सीमा के परे की बात है। अगर आप देखें तो यूनियन लिस्ट में इस सम्बन्ध में साफ साफ लिखा है शिड्युल लिस्ट १ में जहां पर पब्लिक डेट आफ दि यूनियन और प्रापर्टी आफ यूनियन के सम्बन्ध में लिखा है, उसके सम्बन्ध में मैं कांस्टीटचूशन की तरफ आपका ध्यान दिलाऊंगा। आप देखें लिस्ट ३२ से ३५ तक और मैं चाहूंगा कि आप इस सम्बन्ध में व्यवस्था दें।

श्री हुकुम सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब यह बिल सदन के सामने आया था उस समय भी मेरे मित्र ने यह एतराज उठाया था।

(इस समय ३ बजकर ४० मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

उस समय भी यह सवाल उठाया गया था कि यूनियन लिस्ट में जो है उसके बारे में कोई कानून नहीं बन सकता। धारा १६, १८ और २१ के बारे में ऐसी बात कही गई थी। उस सम्बन्ध में मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि देखना यह है कि मुख्य चीज कौन-सी है जिसके बारे में यह विधेयक लाया गया है। असल में सब्स्टेंस क्या है?

[श्री हुकुम सिंह]

यह बात प्रिएम्बिल के पढ़ने से पता चल जायगी और यदि, श्रीमन् आज्ञा दें तो अंग्रेजी पढ़ दूं--

"Whereas it is expedient to provide for the establishment of a Development Board at Hastinapur in the district of Meerut for the purpose of constructing and developing a township and settling therein displaced persons and for other matters connected therewith;"

तो मुख्य चीज यह है कि वहां टाउनशिप डेवलप किया जाय और जो डिस्प्लेस्ड परसन्स हैं उनको सेटिल किया जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी--और other matters भी।

श्री हुकुम सिंह--मुझे कहने दीजिये। आप मेरे वकील नहीं हैं। तो टाउनशिप को डेवलप करना और डिसप्लेस्ड परसन्स को सैटिल करना यह मुख्य चीज है और अगर इंसीडेंटली कोई चीज ऐसी है उसके बारे में जो यूनियन लिस्ट है उसके किसी आइटम के बारे में हमको कानून बनाना पड़े तो ऐसे इंसीडेंटल एन्क्रोचमेंट्स के लिये यह विधेयक नाजायज नहीं हो सकता। न यह दफा रिडंडेंट हो सकती है। अपनी बहस की पुष्टि के लिये भी, श्रीमन्, मैं प्रिवी कौंसिल का एक फैसला है उसके शीर्षक को पढ़ देना चाहता हूं.....

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि उस रोज १८वें खंड पर यह बहस की गई थी।

श्री हुकुम सिंह--नहीं, खंड १६ के बारे में उनका वही एतराज है जो खंड १८ के बारे में किया गया था।

श्री अध्यक्ष--तो आप अपने भाषण में यह जिक्र कर दें कि उनका एतराज क्या है।

श्री हुकुम सिंह--उनका एतराज यह है कि चूंकि दफा १६ में ऐसी चीजों का इंतजाम किया गया है जो कि यूनियन की जायदाद के मुताल्लिक हैं और वह यूनियन लिस्ट में आती हैं लिहाजा उसके बारे में हम कोई कानून इस सदन में नहीं बना सकते। यह उनका एतराज है। तो मैं यह कहता हूं कि यह बात नहीं देखनी है। देखना यह है कि मुख्य-मुख्य चीजें कौन सी हैं, जिसके बारे में विधेयक लाया गया है।

श्री अध्यक्ष--मुझे याद है उस रोज १८ के बारे में यह एतराज किया गया था। वह लोन के बारे में है। यह १६ के बारे में है जो असेट्स के बारे में हैं तो क्या आप असेट्स को ट्रांसफर कर रहे हैं यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री हुकुम सिंह--जी हां।

श्री अध्यक्ष--तो जब आप असेट्स ट्रांसफर करेंगे तो क्या आपने उनकी यानी केन्द्र से परमिशन ले ली है?

श्री हुकुम सिंह--उनकी स्वीकृति है।

श्री अध्यक्ष--तो इस विषय पर स्वीकृति हो चुकी है और यही पर्टिनेंट बात है। चाहे संविधान में कुछ भी हो कानून बनाने के बारे में लेकिन केन्द्र की किसी भी जायदाद को ट्रांसफर करने की सम्मति जब तक केन्द्र की न हो तब तक उसे ट्रान्सफर करने का इस सदन को राइट नहीं हो सकता। इसमें सिर्फ यही पर्टिनेंट क्वेश्चन है और दूसरा सवाल नहीं है। तो इसमें जब एसेट्स के ट्रांसफर करने की स्वीकृति है तो ऐसी अवस्था में यह खंड अवैध नहीं हो सकता, क्योंकि जायदाद का सवाल है इसमें लिस्ट का सवाल नहीं उठता, जायदाद ऐक्चुअली मौजूद है और वह केन्द्र ट्रांसफर कराने को तैयार है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं एक बात जानना चाहता हूं। श्रीमन्, जहां तक मुझे सूचना है उससे भले ही सरकारें आपस में स्वीकृति दे दें लेकिन सरकारों की स्वीकृति विधान की मान्यता को नहीं बदल सकती। वह एग्रीमेंट कांस्टीटचूशन का रिप्लेसमेंट नहीं कर सकता है।

श्री अध्यक्ष—यह तो सिर्फ ट्रान्सफर है। सिवा इसके कि ट्रान्सफर किया जाय और कोई दूसरी चीज नहीं है। यह एक ही कर्म है। यह ऐक्ट (कर्म) यह है कि जो असेट्स केन्द्रीय सरकार के मौजूद हैं वे सब उस बोर्ड के होंगे। इसक लिये केन्द्रीय सरकार को अधिकार है कि नहीं, यह सवाल है। अगर केन्द्रीय सरकार के पास वह अधिकार है कि वह अपने असेट्स दे सकें तो इसमें, यानी विधेयक में, वह चीज आ जाने से कोई आपत्ति नहीं हो सकती।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैंने जो पहले कहा था मैं उसको फिर स्पष्ट कर दूं। यह जो खंड १६ है इसके सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान विधान की यूनियन लिस्ट के आइटम ३२ की तरफ दिलाना चाहता हूं। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि "Property of the Union and the revenue therefrom, but as regards property" आप, श्रीमन्, देखेंगे कि क्यों शब्द प्रापर्टी का इस्तेमाल किया गया—

"Property of the Union and the revenue therefrom, but as regards property situated in a State specified in Part A or Part B of the First Schedule subject to legislation by the State, save in so far as Parliament by law otherwise provides."

तो यहां पर क्यों प्रापर्टी आफ दि यूनियन को छूट दी गई है? इस खंड में केवल प्रापर्टी का ही जिक्र नहीं है असेट्स का भी जिक्र है। तो मेरा कहना यह था कि चल और अचल संपत्ति के बारे में हम विधान बना सकते हैं जब तक कि पार्लियामेंट दूसरा कोई कानून न बनाये। लेकिन बिल्कुल स्पष्टतया इस आइटम में दिया है "एवं अन्य धन" जो असेट्स हैं, उनके बारे में हम कोई कानून नहीं बना सकते और अगर माननीय मंत्री जी यह कह भी दें कि यह तो बिल ही केन्द्रीय सरकार ने बना कर भेज दिया है तो इसे मैं अपनी सरकार की तौहीन समझता हूं।

श्री अध्यक्ष—यह आप बताइये कि यूनियन लिस्ट में असेट्स कहां पर है। कहीं भी सेन्ट्रल गवर्नमेंट के असेट्स के बारे में कोई बात दी हुई है? लिस्ट १ में प्रापर्टी का तो जिक्र है आइटम ३२ में लेकिन कोई ऐसा आइटम भी है कि जिसमें असेट्स का जिक्र हो?

श्री नारायणदत्त तिवारी—आइटम २४८ कांस्टीटचूशन को देखिये। लिस्ट में नहीं है लेकिन ऐसा कोई भी सब्जेक्ट जिसके बारे में किसी लिस्ट में न हो उसके बारे मे पार्लियामेंट को एक्सक्ल्यसिव पावर्स हैं। आप आइटम २४८ देखें—

"Parliament has exclusive power to make any law with respect to any matter not enumerated in the Concurrent List or State List."

तो इस प्रकार पार्लियामेंट को असेट्स के बारे में एक्सल्यूसिव पावर्स है खास तौर पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के असेट्स हैं उनके बारे में।

श्री अध्यक्ष—हो गया आप का कथन? (श्री हुकुम सिंह से) आपको कुछ कहना है असेट्स के बारे में जिस विषय में उन्होंने बताया है?

श्री हुकुम सिंह---असेट्स का जिक्र इसमें नहीं है। यह प्रापर्टी के बारे में है तो ऐसी सूरत में लिस्ट १ में तो वह आता नहीं है। अलावा इसके जो मैं अर्ज कर रहा था, श्रीमन्, कि उन बातों के होते हुये यह विधेयक की दफा १६ कुछ ऐसी बातों के बारे में प्राविजन कर रही है कि जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से ताल्लुक रखती हैं कि जिसके बारे में वह कोई कानून बना सकती है, तब भी जैसा मैंने अर्ज किया कि मुख्य चीज यह देखनी है कि असली क्या चीज है। इस विधेयक में जिसके बारे में यह विधेयक बना है। हमने रिलीफ और रिहैबिलिटेशन के बारे में बताया, जो हमारा अधिकार है और अगर उसको बनाते हुये इंसीडेंटली ऐसी बात करें जो जरूरी समझी गई, कोई कानून बनाते हैं तो वह कानून नाजायज नहीं होता और इसकी ताईद में प्रिवी कौंसिल की नजीर है। इस पर भी लागू होगी, दफा १८ पर भी लागू होगी और दफा २२ पर भी। अगर आप आज्ञा दें तो मैं पढ़ दूं।

"The Act is not void either in whole or in part as being *ultra vires* the Provincial Legislature. The pith and substance of the Act being money lending it comes within Sch. 7, List II, Item 27, Government of India Act, and therefore is within the competence of the Provincial Legislature and is not rendered invalid because it incidentally trenches upon matters reserved to the Federal Legislature namely promissory notes and banking in Sch. 7, List I, Items 28 and 38, Government of India Axct."

तो मनी का झगड़ा था और प्रोमीजरी नोट के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट सब कुछ कानून बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट को कोई अधिकार नहीं था। लेकिन मनी के बारे में अधिकार था स्टेट सरकार को। उसको बनाते हुये प्रोमीजरी नोट के बारे में भी उनको इंसीडेंटली कुछ प्रोवीजन करना पड़ा। तो उसमें झगड़ा चला और कहा गया कि उसके लिये कानून वगैरह इस कदर जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के मुताल्लिक हैं, नाजायज समझा जाय। प्रीवी कौंसिल ने यह तय किया कि देखना यह है कि मुख्य विधेयक का सब्जेक्ट मैटर क्या है। वही देखा जाता है, अगर इंसीडेंटली ऐसी चीज के बारे में कोई कानून बनाते हैं, जिसका हमको अधिकार नहीं, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को है, तो इससे हमारा विधेयक जुजन या पुलन नाजायज नहीं होता। तो मैं इस नजीर के आधार पर कहता हूं कि दफा १६, १८ और २१ सभी जायज हैं।

श्री अध्यक्ष---आपको कुछ कहना है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी---जो मंत्री जी की दलील है मैंने तो आपकी रूलिंग के अनुसार ही कार्य किया।

श्री अध्यक्ष---आपत्ति करने का अधिकार है आपको।

श्री नारायणदत्त तिवारी---इसमें केवल १६ वें खंड की चर्चा है और माननीय मंत्री जी ने प्रीएम्बिल में बताया। मैं इतना कहूंगा कि मंत्री जी की सारी दलील इसीलिये थोथी साबित होती है जहां पर कि प्रीएम्बिल में लिखा हुआ है "नगर के निर्माण और विकास एवं वहां विस्थापितों को बसाने के प्रयोजन से तथा तत्संबंधी अन्य विषयों के लिये" तो "अन्य विषयों" जो है यह बिलकुल स्पष्ट है। अब विस्थापितों का संबंध यूनियन से भी है इसलिये "तत्संबंधी अन्य विषयों" का तात्पर्य यहां पर यूनियन ऐसेट्स से भी आ सकता है चूंकि यह कानकरेंट लिस्ट में है डिसप्लेस्ड पर्सन्स लेजिस्लेशन इसलिये प्रीऐम्बिल में यह कोट करना उचित नहीं समझता। क्योंकि डिसप्लेस्ड पर्सन्स के लेजिस्लेशन का अधिकार पार्लियामेंट को है इसलिये यूनियन गवर्नमेंट से भी संबंधित हो सकता है और स्टेट गवर्नमेंट से भी संबंधित हो सकता है।

श्री अध्यक्ष---जो आपत्ति उठाई गई है वह खंड १६ के विषय में उठाई गई है। तो चूंकि मैंने यह पहले फैसला दिया था कि जो खंड आता जायगा उसी के संबंध में निर्णय होना चाहिये न कि और खंडों के विषय में या पूरे विधेयक के संबंध में। तो मैं इसी के बारे में अभी निर्णय देता हूं। १८ वां खंड जब आयेगा तो उस पर भी यह संभव है कि जो मैं अभी

फैसला दूं वह लागू हो जाय लेकिन अभी फैसला सिर्फ इसी का है। उसका नहीं है। इसमें जो खंड १६ है, केंद्रीय सरकार की जो जायदाद है उसके संबंध में, वह इस प्रकार है :

"मंडल के संगठन के पूर्व किसी भी समय नगर के निर्माण एवं विकास के प्रयोजनों के निमित्त केंद्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अथवा उपार्जित सभी चल या अचल सम्पत्ति एवं अन्य धन (असेट्स) धारा १७ में निर्दिष्ट सम्पत्ति को छोड़कर मंडल के संगठित होने पर उन निरोधों और शर्तों के अधीन जो नियत किये जायं, इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त मंडल में निहित होगी।"

इससे स्पष्ट अर्थ यह है कि जो जायदाद कि उपार्जित की हुई केंद्रीय सरकार की हो या राज्य सरकार की हो चाहे वह चल हो या अचल हो और अन्य धन जो कि १७ खंड में नहीं है १७ को वर्जित किया गया है, उसको छोड़कर जितना धन है वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त मंडल में निहित होगा। तो इसमें केवल प्रश्न इस बात का है कि कोई जायदाद मौजूद है उसके संबंध में एक ही निर्णय से यह निर्णय कर देता है यह खंड कि यह जायदाद निहित होगी उस मंडल में। तो प्रश्न यही उठता है कि जायदाद है किसकी। यह स्पष्ट है कि कुछ इस सरकार की है और कुछ केन्द्रीय सरकार की है। तो जो इससे संबंधित प्रश्न उठ सकता है वह केवल इतना ही है कि क्या केन्द्रीय सरकार की वह जायदाद निहित करने के लिये अनुमति है। मैंने इसीलिये यह सवाल पहिले ही पूछा था; तो माननीय मंत्री जी ने यह स्पष्ट कहा था कि केंद्रीय सरकार ने इस बात की रजामन्दी दे दी है। अब दूसरा सवाल यह उठता है, एक आपत्ति यह उठाई गई है कि जो केंद्रीय विषयों की लिस्ट है संविधान में उसके अनुसार इसके ऊपर कानून केंद्र की लोकसभा ही बना सकती है। कहा गया है कि संविधान की धारा २४८ के हिसाब से उसके ऊपर अगर कोई कानून बन सकता है तो लोक सभा ही बना सकती है। यही नारायण दत्त जी ने आपत्ति की है। प्रश्न यह उठता है कि क्या उन एसेट्स के विषय में ही यह मुख्यत: बनाया जा रहा है या प्रसंगवशात यह प्रश्न उसमें शामिल है? इसके संबंध में जो रूलिंग पहिले दी गई है इस प्रश्न पर भी लागू होती है। इस विषय में एक तो अनुमति सरकार ले चुकी है, दूसरी बात यह है कि यह विधेयक खास तौर पर एसेट्स के संबंध में नहीं बनाया गया बल्कि यह जो शरणार्थी हैं, इनको बसाने के लिये कानून बनाते हुये एक उनके लिये कोई जायदाद होनी चाहिये इसलिये केंद्र की अनुमति लेकर उस जायदाद के बारे में यह धारा उपस्थित कर रहे हैं। उसी के संबंध में असेट्स शब्द का प्रयोग किया है। इसमें थोड़ा सा तो इन्क्रोचमेंट केन्द्रीय विषय पर मालूम पड़ता है कि थोड़ा सा पदार्पण हो गया है केंद्रीय दायरे के अन्दर, लेकिन वह उतना हो जाना स्वाभाविक और प्रासंगिक ही है जब कि विषय संविधान में विभक्त किये गये हैं तो कभी कभी केन्द्रीय सरकार द्वारा कानून बनाते समय प्रदेश के दायरे में और कभी कभी प्रदेश द्वारा केंद्र के दायरे में पदार्पण हो जाना स्वाभाविक है और केवल ऐसा हो जाने से ही कोई अवैध बात नहीं मालूम होती है। अपने दायरे में लाये हुये कानून की पूर्ति करने के लिये जितनी आवश्यकता पड़ती है उतने ही अंश तक किसी बात में दूसरे के दायरे में पदार्पण होता है; अगर कोई आपत्ति उठ सकती है तो वह एक ही उठ सकती है कि जब असेट्स ट्रांसफर करते तो केंद्रीय सरकार कह सकती है कि तुम असेट्स को ट्रांसफर करने वाले कौन होते हो। हमारी इजाजत लेना चाहिये था। परन्तु जब वह इजाजत ले ही चुके हैं तो केन्द्र आपत्ति नहीं उठा सकता और इस संबंध में कानून बनाते हुये थोड़ा सा टेक्निकल पदार्पण हो जाय उनके दायरे में तो यह कोई अवैधानिक बात नहीं हो सकती है। मैं समझता हूं कि यह वैधानिक है, अवैध नहीं है। इसलिये इसके ऊपर यह सदन विचार कर सकता है।

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि खंड १६ इस विधेयक को अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १७

राज्य सरकार की सम्पत्ति ।

१७—धारा १६ में किसी भी बात के होते हुये भी नगर में स्थित निम्नलिखित सम्पत्ति राज्य सरकार में निहित रहेगी और राज्य सरकार की ही बनी रहेगी, अर्थात्—

(१) अस्पताल की इमारत और उसकी सभी सामग्री,

(२) मलेरिया निरोध प्रयोगशाला की इमारत,

(३) मेडिकल आफिसर का निवासस्थान,

(४) एन्टी मलेरिया आफिसर का निवासस्थान,

(५) कम्पाउन्डरों के क्वार्टर,

(६) नर्सों अथवा वार्ड ब्वायेज के क्वार्टर,

(७) वेटेनरी अस्पताल,

(८) निम्न कर्मचारियों के क्वार्टर,

(९) वेटेनरी असिस्टेंट और कर्मचारियों के निमित्त बने क्वार्टर,

(१०) डेरी की इमारतें और डेरी सुपरिन्टेंडेंट और उसके कर्मचारिवर्ग के लिये बने क्वार्टर तथा डेरी का ट्यूब वेल,

(११) पावर हाउस तथा असिस्टेंट इंजीनियर और कर्मचारिवर्ग के लिये बने वार्टर,

(१२) प्रशासन अधिकारी (ऐडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर) का निवासस्थान और कार्यालय की इमारत,

(१३) वहिगृह (out houses), मोटरखाना, अस्तबल इत्यादि सहित निरीक्षण गृह (Inspection House),

(१४) कृषि के कर्मचारिवर्ग के लिये क्वार्टर,

(१५) वन विश्रामगृह (Forest Rest House) एवं इमारत,

(१६) पंचायत घर,

(१७) खेती के बीज गोदाम की इमारत,

(१८) ग्रामीण ट्रैक्टरों का कारखाना,

(१९) सहकारी इमारतें (Co-operative buildings)

श्री बसन्तलाल शर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड १७ के उपखंड (१३) की प्रथम पंक्ति में शब्द "वहिगृह" के स्थान पर शब्द "बहिर्गृह" रख दिया जाय।

यह शुद्ध है। इससे भाषा ठीक हो जायगी।

श्री हुकम सिंह मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १७ के उपखंड (१३) की प्रथम पंक्ति में शब्द "बहिगृह" के स्थान पर शब्द "बहिर्गृह" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १८

१८--धारा १७ में उल्लिखित इमारतों के निर्माण तथा रख-रखाव पर व्यय अथवा राज सरकार द्वारा सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके इस संबंध में निर्दिष्ट व्यय को छोड़कर मंडल के संगठन से पूर्व इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये राज्य सरकार अथवा, केंद्रीय सरकार द्वारा किया हुआ सभी व्यय मंडल का व्यय समझा जायगा । मंडल के संगठन से पूर्व का व्यय।

श्री केशव पांडेय--अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि वर्तमान खंड १८ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"धारा १७ में उल्लिखित इमारतों के निर्माण तथा रख-रखाव पर व्यय अथवा राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके इस संबंध में निर्दिष्ट व्यय को छोड़कर मंडल के संगठन से पूर्व इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये राज्य सरकार अथवा केंद्रीय सरकार द्वारा किया हुआ समस्त व्यय मंडल का व्यय समझा जायगा और केंद्रीय सरकार द्वारा किया हुआ समस्त व्यय धारा २१ के अर्थ के अन्तर्गत मंडल को दिया हुआ ऋण समझा जायगा"

अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन बहुत सीधा सादा है । इसमें कुछ विशेष कहने की जरूरत नहीं है । जिस मंथर गति से यह नियम बनाये जा रहे हैं उससे मैं यही उचित समझता हूं कि कुछ न कुछ कह कर मैं सिर्फ संशोधन को ही पेश कर दूं । मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी मेरे संशोधन को स्वीकार करेंगे ।

*श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, इस संबंध में जो संशोधन पांडेय जी ने रखा है, यह मेरे उस दिन के वैधानिक ऐतराज को और भी स्पष्ट कर देता है । इस संशोधन के अंतिम हिस्से में कहा गया है, कि "और केंद्रीय सरकार द्वारा किया हुआ समस्त व्यय धारा २१ के अर्थ के अन्तर्गत मंडल को दिया हुआ ऋण समझा जायगा ।" यानी केंद्रीय सरकार ने जो ग्रांट इसके डेवलपमेंट के लिये दी है वह यूनियन का ऋण हो जायगा । यूनियन के खर्चे को हम डेट बना दें यह अधिकार हमारे हाथ में कहां से आगया ? श्रीमन् आप कहेंगे कि उनका ऐग्रीमेंट हो गया है, या उनकी कारस्पोंडेंस हो गई है लेकिन मैं इसको इन्वैलिड मानता हूं । इसलिये मैं चाहूंगा कि आप कृपया संविधान की महत्ता को रखते हुये परिवर्तन करने की कृपा करें या विवाद को स्थगित कर दें ।

श्री अध्यक्ष--आप संशोधन के बारे में आपत्ति कर रहे हैं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--जी हां, उसकी अंतिम ३-४ पंक्तियों पर मेरी आपत्ति है ।

श्री हुकुम सिंह--मैं तो इस संशोधन को स्वीकार करूंगा क्योंकि जो मौजूदा धारा है १८, उसकी जगह पर यह संशोधित धारा कुछ ज्यादा साफ हो जाती है । इससे मतलब भी साफ जाहिर हो जाता है । अभी उन्होंने क्या एतराज किया वह मेरी समझ में आया नहीं ।

श्री अध्यक्ष--तो एक दफा उनको और मौका दे दें । (श्री नारायण दत्त तिवारी से) तो कहिये आप ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मेरा वैधानिक एतराज यह है कि इस खंड को जैसा यह संशोधन स्वीकार किया जा रहा है इसका पहला अर्थ तो यह है कि इस मंडल के बनने के पूर्व केंद्रीय सरकार ने जो कुछ व्यय किया यूनियन फंड से हस्तिनापुर के डेवलपमेंट में, पहली सीढ़ी तो यह है । दूसरी सीढ़ी यह है कि अब इस विधेयक के द्वारा जो होने जा रहा है वह यह है

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

कि यह संशोधन यूनियन गवर्नमेंट के खर्चे को यूनियन गवर्नमेंट का कर्जा बना रहा है। मंडल के ऊपर पब्लिक डेट्स आफ दि यूनियन जो है उसके संबंध में आइटम ३५, सप्तम अनुसूची, संविधान का है। उसमें एक्सक्लूसिव राइट यूनियन पार्लियामेंट को है। पहले तो पब्लिक डेट के बारे में सारा अधिकार पार्लियामेंट को है और यहां पर तो एक कदम और अवैधानिक रूप से बढ़ा रहे हैं कि हम यूनियन गवर्नमेंट के खर्चे को यूनियन गवर्नमेंट का कर्जा बना रहे हैं। यह और एक कदम आगे बढ़ कर अवैधानिक बात हो जाती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि यूनियन गवर्नमेंट द्वारा कुछ खर्चा किया गया हस्तिनापुर पर। अब हम को अधिकार नहीं है कि यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा किये गये खर्चे को यूनियन गवर्नमेंट के कर्जे के रूप में परिणत कर दें और हम इस बात को पास कर दें कि यूनियन गवर्नमेंट का कौन सा खर्चा और कौन सा कर्जा होगा। कोई कारेसपांडेंस यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में हुई हो लेकिन वह सदन को यह अधिकार नहीं देती है कि हम यूनियन गवर्नमेंट के खर्चे पर कोई विधान बनायें और फिर उससे आगे बढ़कर हम यूनियन गवर्नमेंट के खर्चे को यूनियन गवर्नमेंट का कर्जा बनायें।

श्री हुकुम सिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तर्क हमारे मित्र का कि उनके अखराजात को उनका खर्च बना देता हैं और बोर्ड पर आयद कर देता है तो इससे तो यूनियन गवर्नमेंट को फायदा होता है। अगर कर्जा न बनायें तो जो खर्च किया जा रहा है, एक पैसा भी वापस पाने के मुस्तहक न होंगे। इन बातों को छोड़ कर जैसा मैंने १६ धारा के सम्बन्ध में जो एतराज उठाया गया था उसके जवाब में कहा था वह इसमें भी लागू होता है। मैं इस सदन का अधिक समय न लेकर केवल यही कहूंगा कि उस प्रिवी कौंसिल का फैसला इसके बारे में लागू होता है।

श्री अध्यक्ष---मैंने जो धारा १६ के सम्बन्ध में निर्णय दिया था उसमें यह स्पष्ट कहा था कि अगर मुख्य उद्देश्य कोई कानून बनाने का उस विषय पर हो, जो विषय केन्द्र की फेहरिस्त में दिया है, यानी उसके सम्बन्ध में है तो बात दूसरी है। ऐसी परिस्थिति में शायद विधान सभा को अधिकार न हो कि कोई कानून बनाये। लेकिन अगर कोई कार्य जो वधानिक रूप से यह सदन कर सकता है, कोई कानून बना सकता है, उसके करने में यदि थोड़ा सा पदार्पण केन्द्र के दायरे के बीच में हो जाता है तो वह प्रासंगिक तथा स्वाभाविक होने के कारण इस सदन को उसे करने का अधिकार है। कानूनी बारीकी जो है, उस पर इस विधान सभा को विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

एक दफा मैंने यह भी फैसला दिया था कि जब इस विषय में शंका हो, यह पूर्णमत हो कि इस सदन को यदि अधिकार है किसी कानून बनाने का या नहीं, तो मेरा निर्णय स्पष्ट यह है कि इस सदन के अधिकारों को मैं कम नहीं करना चाहता हूं। उसको पूर्ण अधिकार होना चाहिये। फैसला उस सम्बन्ध में देना है कि अदालत में चाराजोई करें, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का फैसला लें और इस सदन के कानून को अवैधानिक करार दें। इसमें संभव है कि माननीय नारायण दत्त जी का जो पक्ष है वह सही हो कानूनी दृष्टि से, लेकिन वैसा मुझे दिखाई नहीं देता। क्योंकि इस पर खास तौर से कानून नहीं बनाया जा रहा है बल्कि अब जब आपने धारा १६ पास कर ली तो और भी जरूरी होगा जब कि जायदाद हड़प कर ली केन्द्रीय सरकार ने और उसने जो खर्च किया है उस खर्चे के ऊपर कानून बनाते वक्त यह निर्णय करें कि आपकी रजामन्दी से जायदाद ले ली लेकिन जो खर्चा किया उसका कर्जा देने का कानून नहीं बनाते तो इस दृष्टि से भी यह उचित दिखाई नहीं देगा। इस दृष्टि से भी हमें देखना है कि जब यह शर्त उनकी स्वीकार कर ली कि जितनी जायदाद हमने तैयार की है वह जायदाद हमारी है और

जायदाद लेकर मंडल को दी गई तो यह कानून बनाने का अधिकार इंसिडेंटली सदन को होगा कि उसमें जो खर्चा हुआ है वह कर्जे के स्वरूप उनको वापस दिया जाय। यह चीज इंसिडेंटली आई है, यह नहीं कि उस पर कोई खास कानून बनाया जा रहा है। मैं इसको वैध समझता हूं और आप यह कानून बना सकते हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी--ये शब्द जोड़ दिये जायं "केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के बाद" जैसा कि कई जगह सारे बिल में आया है "केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के बाद"।

श्री अध्यक्ष--यह संशोधन ले आइये। इस पर वैधानिक कोई आपत्ति नहीं हो सकती।

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि वर्तमान खंड १८ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"धारा १७ में उल्लिखित इमारतों के निर्माण तथा रख-रखाव पर व्यय अथवा राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके इस सम्बन्ध में निर्दिष्ट व्यय को छोड़ कर मंडल के संगठन से पूर्व इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा किया हुआ समस्त व्यय मण्डल का व्यय समझा जायगा और केन्द्रीय सरकार द्वारा किया हुआ समस्त व्यय धारा २१ के अर्थ के अन्तर्गत मण्डल को दिया हुआ ऋण समझा जायगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १९ और २०

मंडल की निधि।

१९--(१) मंडल की अपनी निधि (bund) होगी और समय-समय पर केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सभी धनराशियां और अनुदान तथा मंडल की सारी आय इसी निधि में जमा की जायगी तथा मंडल के सभी व्यय इसी निधि में से किये जायंगे।

(२) राज्य सरकार द्वारा अन्यथा आदेश न होने पर इस निधि का सारा धन किसी शिडयूल्ड बैंक में जमा किया जायगा अथवा ऐसी प्रतिभूतियों (securities) में लगाया जायगा जिनकी राज्य सरकार अनुमति दे।

मंडल का व्यय करने का अधिकार।

२०--ऐसी सीमाओं और निरोधों के अधीन जो नियत किये जायं, मंडल को अधिकार होगा कि वह राज्य सरकार के अभिदेश (reference to) के बिना इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये ऐसी धनराशि व्यय करे जिसे वह उचित समझे और ऐसी धनराशियां मंडल की निधि से व्यय होने वाली धनराशियां समझी जायंगी।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि मंडल द्वारा अथवा मंडल की ओर से कोई भी धनराशि तब तक व्यय नहीं की जायगी जब तक वह राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत चालू बजट अनुदान के अन्तर्गत न हो।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १९ और २० इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २१

ऋणों और ब्याज का भुगतान

२१--(१) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा मंडल को दिये हुये सभी ऋण, केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा, जैसी भी दशा हो, समय-समय पर निश्चित दर देय व्यय सहित, मंडल की निधि, अन्य सम्पत्ति अथवा धन पर प्रथम भार (first charge) होंगे और मंडल ऐसे ऋणों को ब्याज सहित उस रीति से और किस्तों में भुगतान करेगा जिन्हें उपयुक्त सरकार (appropriate government) अवधारित करे और प्रत्येक ऐसे भुगतान मंडल के व्यय का भाग समझा जायगा।

(२) राज्य सरकार द्वारा मंडल को दिये हुये प्रत्येक ऋण के प्रयोजनों के लिये, मंडल लोकल अथारिटीज लोन्स ऐक्ट, १९१४ (ऐक्ट ६, १९१४) के अर्थ में लोकल अथारिटी समझा जायगा।

श्री बसन्तलाल शर्मा--श्रीमान्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड २१ के उपखंड (१) की पंक्ति ३ में शब्द "निश्चित दर देय व्यय" के स्थान पर शब्द "निश्चित दर से देय ब्याज" रख दिये जायं।

श्री हुकुम सिंह--मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २१ के उपखंड (१) की पंक्ति ३ में शब्द "निश्चित दर देय व्यय" के स्थान पर शब्द "निश्चित दर से देय ब्याज" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २१ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २२

अपकर्ष तथा सुरक्षित अन्य निधियों के लिए व्यवस्था।

२२--मंडल अपकर्ष (depriciation) तथा सुरक्षित और अन्य निधियों के लिये ऐसी व्यवस्था करेगा जिसके सम्बन्ध में राज्य सरकार समय समय पर आदेश दे।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २२ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २३

मंडल को देय धनराशि प्रथम भार होगी।

२३--(१) समय विशेष पर प्रचलित किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी जब कोई इमारत धारा १३ के खंड (घ) के अधीन किसी विस्थापित व्यक्ति के हाथ बेची अथवा उसे पट्टे पर दी जाय तो बेचने अथवा पट्टे के कारण मंडल को ब्याज सहित देय धनराशि विस्थापित व्यक्ति की इमारत, मशीनरी, स्टाक और धन (assets) पर प्रथम भार होगी।

(२) उपधारा (१) के अधीन मंडल को देय कोई भी धनराशि मंडल द्वारा कलेक्टर को प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर मालगुजारी की बकाया (arrear of land revenue) की भांति वसूल की जा सकेगी।

श्री केशव पांडेय--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड २३ के वर्तमान उपखण्ड (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"(१) उस समय पर लागू किसी विधि में किसी भी बात के होते हुये भी जब कोई इमारत अथवा स्थल बेचा जाय, किसी भी विस्थापित व्यक्ति अथवा अन्य व्यक्ति को धारा १३(घ) के अन्तर्गत पट्टे या किराये पर दिया जाय तो बिक्री, पट्टे अथवा किराये पर दिये जाने के कारण मंडल को देय धनराशि, उस पर पड़ने वाले ब्याज के साथ, ऐसे विस्थापित व्यक्ति अथवा अन्य व्यक्ति के, जैसी भी दशा हो, अधिकार की इमारत, मशीनरी, संग्रह (stock) तथा अन्य सम्पत्तियों पर प्रथम देय भार होगी।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह संशोधन जो पेश किया जा रहा है स्पष्ट है और मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

श्री हुकुम सिंह--यह मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २३ के उपखंड (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"(१) उस समय पर लागू किसी विधि में किसी भी बात के होते हुये भी जब कोई इमारत अथवा स्थल बेचा जाय, किसी भी विस्थापित व्यक्ति अथवा अन्य व्यक्ति को धारा १३ (घ) के अन्तर्गत पट्टे या किराये पर दिया जाय तो बिक्री, पट्टे अथवा किराये पर दिये जाने के कारण मंडल को देय धनराशि, उस पर पड़ने वाले ब्याज के साथ ऐसे विस्थापित व्यक्ति अथवा अन्य व्यक्ति के, जैसी भी दशा हो, अधिकार की इमारत, मशीनरी, संग्रह (stock) तथा अन्य सम्पत्तियों पर प्रथम देय भार होगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*श्री गजेन्द्र सिंह--मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड २३ के उपखंड (२) के अन्त में निम्नलिखित वाक्यांश जोड़ दिया जाय--

"पर कलेक्टर ऐसी आज्ञा जारी करने से पहले उक्त व्यवस्थापित व्यक्ति को एक अवसर देगा ताकि वह अपनी स्थिति का लिखित स्पष्टीकरण कर सके और उसकी आर्थिक अवस्था दयनीय होने पर निर्धारित की जाने वाली रीति के अनुसार भार मुक्त हो सके।"

श्रीमन्, अब इस विधेयक में खंड २३ का उपखंड (२) इस प्रकार है कि उपधारा (१) के अधीन मंडल को देय कोई भी धनराशि मंडल द्वारा कलेक्टर को प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर मालगुजारी की बकाया की भांति वसूल की जा सकेगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गजेन्द्र सिंह]

अब इस संशोधन के मिल जाने पर यह इस प्रकार से हो जायगी कि .... वसूल की जा सकेगी पर कलेक्टर ऐसी आज्ञा जारी करने से पहले उक्त व्यवस्थापित व्यक्ति को एक अवसर देगा ताकि वह अपनी स्थिति का लिखित स्पष्टीकरण कर सके और उसकी आर्थिक अवस्था दयनीय होने पर निर्धारित की जाने वाली रीति के अनुसार भारमुक्त हो सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर हमारा यह संशोधन नहीं माना जाता है तो इसमें जिस व्यक्ति को मंडल की धनराशि देना होगी उसके सामने बहुत परेशानी पैदा हो जायगी। मान लीजिये कि किसी व्यक्ति पर मंडल की धनराशि बाकी है तो उसको वसूल करने के लिये मंडल कलेक्टर के यहां प्रार्थना-पत्र देगा। कलेक्टर इस प्रार्थना-पत्र के बाद मालगुजारी की तरह से उस धनराशि को वसूल करेगा। तो जहां पर तक इसमें वसूल करने का ताल्लुक है जो कि मंडल की उस आदमी के पास होगी तो उसके लिये मेरा संशोधन यह है कि मंडल अपना रुपया तो वसूल करे, लेकिन जिस किसी आदमी के जिम्मे रुपया बाकी हो तो कलेक्टर के यहां उसके लिये प्रार्थना-पत्र जाने पर कलेक्टर उसको इतना मौका दे कि वह लिखित स्पष्टीकरण उसके सामने पेश कर सके कि उसके ऊपर किस कारण से रुपया बाकी है और वह क्यों बाकी है, इस तरह का स्पष्टीकरण वह पेश कर सके। अपना एतराज पेश करने के बाद उसकी हालत को देख कर कलेक्टर जिस रीति से रुपया वसूल करने की विधि को निर्धारित करे उसके मुताबिक रुपया वसूल किया जाय। अगर यह संशोधन नहीं माना जायगा तो इससे विस्थापित लोगों के सामने बहुत परेशानी पैदा हो जायगी। हो सकता है कि किसी आदमी के पास जो धनराशि देय है उसके लिये मंडल दावा करे तो उसके लिये उस व्यक्ति को एतराज का मौका होना चाहिये। यह हो सकता है कि वह आदमी ईमानदार है और रुपया देना चाहता है लेकिन मंडल इस बात को नहीं मानता है और उस व्यक्ति की आर्थिक स्थित खराब हो गयी है और धनराशि को परिस्थितिवश नहीं दे रहा है तो ऐसी सूरत में अगर हमारा संशोधन मान लिया जायगा तो उस व्यक्ति को एक मौका मिल जायगा। और वह कलेक्टर को अपना आवेदन-पत्र देकर मौका लेगा और उस रुपये को दे सकेगा। इस तरह से आसानी से धनराशि वसूल हो जायगी और वह व्यक्ति भी ईमानदार बना रहेगा और रुपया दे देगा। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन को रखता हूं और मुझे आशा है कि मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे।

श्री हुकुम सिंह---माननीय अध्यक्ष, इस प्रस्ताव से हमारे मित्र चाहते हैं कि वसूलयाबी का प्रोसेस जारी करने से पहले कलेक्टर कर्जख्वाह से दरियाफ्त करे कि आया उसकी परिस्थिति ऐसी है कि वह अदा कर सकता है या नहीं। जब इसमें यह दिया है कि बतौर मालगुजारी के वसूल होगी तो लैंड रेवेन्यू ऐक्ट में उसका प्रोसीज्योर दिया है। उसकी रू से कलेक्टर को अधिकार है कि वक्तन फवक्तन उनको मौका देता रहे जो परेशान हाल हों और उसी वक्त अदायगी नहीं कर सकते। यह संशोधन ऐसा है जो काम में रुकावट पैदा करेगा और फिर लैंड रेवेन्यू ऐक्ट में कानून मौजूद है जिससे काम चल जाता है। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री रामसुभग वर्मा---माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गजेन्द्र सिंह जी, जो प्रस्ताव पेश किये हैं उसका मैं समर्थन करता हूं। जो बातें माननीय मंत्री जी ने बतलाईं ठीक वही माननीय गजेन्द्र सिंह जी भी रखे हैं। मंडल द्वारा कलेक्टर को दरख्वास्त देने पर, उनका मंशा है कि कलेक्टर उसे तलब करे कि किस परिस्थिति से वह अदा नहीं कर पाता है। यदि वह अपनी गरीबी या किसी और मजबूरी से नहीं दे पाता है और ईमानदारी से देना चाहता है तो उसके लिये कोई किश्त कर दी जाय

कि थोड़ा-थोड़ा करके वह अदा कर दे। वह रक़म भी अदा हो जायगी और उसे किसी प्रकार की तक़लीफ भी नहीं होगी। जिस तरह से आज कल मालगुजारी वसूल होती है वह वसूल करने का तरीका क्या है? जब कोई अमीन जाते हैं और जब मालगुजारी नहीं पाते हैं तो बैल कुर्क करते हैं और वह आदमी को बन्द कर देते हैं और अनेकों तरह के उसे कष्ट होते हैं। तो उन लोगों को भी अनेकों कठिनाइयां और कष्ट होंगे। इसलिये माननीय गजेन्द्र सिंह जी की मंशा है कि उसे तलब किया जाय और उसकी परिस्थिति पर ध्यान दिया जाय। गजेन्द्र सिंह जी के संशोधन को मानने से आसानी हो जायगी और उसे मानने में कोई एतराज नहीं होना चाहिये।

श्री जोरावर वर्मा--अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मुझे कुछ कहना नहीं था लेकिन माननीय मंत्री जी ने इसमें एक ऐसी बात कह दी कि जिससे मुझे भी विवश होना पड़ा कि मैं भी कुछ कहूं। मान लीजिये कि एक टैक्स वसूल करना है तो उसको यह संशोधन लागू हो जायगा, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन जो आपने ऐसा कहा इसमें तो कहीं ऐसी बात है ही नहीं। अध्यक्ष महोदय मैं आपकी आज्ञा से २३ (१) को पढ़ देना चाहता हूं--

"समय विशेष पर प्रचलित किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी जब कोई इमारत धारा १३ के खंड (घ) के अधीन किसी विस्थापित व्यक्ति के हाथ बेची अथवा पट्टे पर दी जाय तो बेचने....

श्री अध्यक्ष--यह तो स्वीकार हो चुका है, आप दूसरी चीज पढ़ रहे हैं।

श्री जोरावर वर्मा--माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई टैक्सेशन शब्द नहीं आया है कि वह भी रेवेन्यू की तरह वसूल किया जायगा। माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि अगर टैक्सेशन लगाया और वह नहीं दिया तो यह संशोधन उसकी वसूली में बाधक हो जायगा। मैं समझता हूं कि या तो माननीय मंत्री जी इसको भूल से कह गये या उनको यह साफ कहना चाहिये था कि उनको यह संशोधन मंजूर नहीं है। मेरी समझ में यह संशोधन बहुत ही अच्छा है क्योंकि विस्थापित लोगों की इन्स एण्ड आउट्स को यह राज्य सरकार और मंडल भलीभांति समझता है और कम से कम मंडल को यह अच्छी तरह से मालूम है कि वे क्या काम कर रहे हैं, कौन सा व्यापार कर रहे हैं, उनके पास कितना ऋण है तथा उनके पास कितना रुपया है यह सब मंडल के कर्मचारी जानते ही होंगे। मंडल को यह अधिकार दिया गया है कि कलेक्टर को वह एक ऐसा प्रार्थना-पत्र दे कि उसके रुपये की वसूली मालगुजारी की तरह की जायगी। इसलिये यह संशोधन जो गजेन्द्र सिंह जी ने पेश किया है वह बहुत ही उचित संशोधन है। क्योंकि इसके द्वारा विस्थापितों को एक ऐसा अवसर मिल जायगा कि जिनकी स्थिति अच्छी नहीं है या उनको कोई परेशानी है तो उनको एक सहूलियत मिल जायगी और विस्थापितों को एक अवसर मिल जायगा कि वे यह बता सकेंगे कि वे रुपया क्यों नहीं दे सकते। इसमें न तो वसूली में कोई दिक्कत पड़ती है और न मंडल के कार्य ही में किसी प्रकार से कोई बाधा हो सकती है। धारा १४ में कहीं भी यह नहीं कहा गया कि टैक्स लैंड रेवेन्यू की तरह वसूल किया जायगा। मेरी समझ में नहीं आय कि माननीय मंत्री जी ने टैक्सेशन वाली बात अपनी तबियत से कैसे कह दी। या कि वे इस बात को किन्हीं नियमों के द्वारा लाना चाहते हैं। इसलिये मैं माननीय गजेन्द्र सिंह जी के संशोधन का समर्थन करता हूं। इससे मंडल के कार्य में कोई असुविधा न होगी बल्कि विस्थापितों के लिये सुरक्षा हो जायगी कि सरकार मनमानी न कर सकेगी और सरकार जो सुविधा सचमुच में विस्थापितों को देना चाहती है वह उनको मिल जायगी और सरकार की मंशा पूरी हो जायगी।

*श्री गजेन्द्र सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो हमारे संशोधन के खिलाफ दलील दी वह ठीक नहीं है। इस संशोधन से न तो मंडल के कार्य में ही कोई बाधा पड़ती है और न रुपया के वसूल होने में ही। सरकार जिन विस्थापित व्यक्तियों के लिये बहुत चिन्तित है, जिनके लिये वह हस्तिनापुर में बस्ती बसा रही है, उनकी सुविधा और आराम के लिये सब कार्य कर रही है, उन्हीं लोगों की सुविधा के लिये इस संशोधन में कहा गया है। हमारे संशोधन में यह कहीं नहीं कहा गया है कि रुपया वसूल न किया जाय और न कोई ऐसी बात कही गयी है, जिससे मंडल के कार्य में बाधा पड़े। हमारा संशोधन बिल्कुल साफ है। उसमें स्पष्ट कहा गया है कि अगर कोई आदमी जिसके पास मंडल की कोई धनराशि बाकी हो तो वह धनराशि मंडल वसूल कर सकता है। यदि वह व्यक्ति कलेक्टर को प्रार्थना-पत्र दे दे तो वह धनराशि मंडल द्वारा बकाया मालगुजारी की भांति वसूल की जा सकेगी। मैं चाहता हूं कि जहां पर वह प्रार्थना-पत्र दे वैसे ही उस व्यक्ति को जिसके ऊपर कि रुपया बाकी है उसको अधिकार हो कि लिखित स्पष्टीकरण पेश करे। इसके बाद जिस तरह से कलेक्टर समझे अगर उसको कुछ रिलीफ देना चाहता है तो जिस तरह से कलेक्टर निर्धारित करे उसके द्वारा रुपया वसूल किया जाय और अगर वह रुपया नहीं दे सके तब मालगुजारी की तरह से वसूल किया जाय। इसके साथ ही साथ माननीय मंत्री जी ने कहा था कि लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट की तरह से वसूल कर लिया जायगा। मैं समझता हूं कि इसमें लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट का कोई जिक्र नहीं है। अगर उनकी बात मान ली जाय तो बकाया मालगुजारी की भांति वसूल किया जा सकता है। तो जहां तक वसूल करने का ताल्लुक है उसके लिये लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट में कोई जिक्र नहीं है जिससे यह रुपया बकाया मालगुजारी की तरह से वसूल किया जा सके। सिर्फ उन्हीं रुपयों को बकाया मालगुजारी की तरह से वसूल किया जा सकता है जिनका जिक्र लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट के अन्दर है। जहां पर लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट का जिक्र है वहां उसके अन्दर जो सहूलियतें हैं उनका इसमें कोई भी जिक्र नहीं है। तो इसलिये मैं समझता हूं कि बकाया मालगुजारी की भांति वसूल किये जाने के पहले उनकी बातें सुन ली जायं और लिखित स्पष्टीकरण के बाद ही उनसे रुपया वसूल किया जाय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री हमारे इस संशोधन को मानने की कृपा करेंगे।

श्री हुकुम सिंह--अब मुझे कोई विशेष बात नहीं कहनी है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २३ के उपखंड (२) के अन्त में निम्नलिखित वाक्यांश जोड़ दिया जाय --

"पर कलेक्टर ऐसी आज्ञा जारी करने से पहिले उक्त व्यवस्थापित व्यक्ति को एक अवसर देगा ताकि वह अपनी स्थिति का लिखित स्पष्टीकरण कर सके और उसकी आर्थिक अवस्था दयनीय होने पर निर्धारित की जाने वाली रीति के अनुसार भारमुक्त हो सके।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २४ और २५

बजट। २४--मंडल प्रत्येक वर्ष ऐसे आकार में और ऐसे समय पर जो नियत किया जाय, ठीक आगे आने वाले वित्तीय वर्ष के लिये उक्त वित्तीय वर्ष में होने वाली आय और व्यय के अनुमानों का बजट तैयार करेगा और उसे राज्य-सरकार के पास स्वीकृति

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के लिये भेजेगा। इस प्रकार स्वीकृत बजट मंडल द्वारा केन्द्रीय सरकार के पास सूचनार्थ भेजा जायगा।

२५—मंडल, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर यथाशीघ्र ऐसे आकार में वार्षिक और ऐसे दिनांक से पूर्व जो नियत किया जाय वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें रिपोर्ट। पिछले वित्तीय वर्ष में होने वाले सभी कार्य कलापों (activities) का पूरा और सच्चा वर्णन होगा तथा इस रिपोर्ट की प्रतियां मंडल द्वारा केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के पास भेजी जायंगी।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २४ और २५ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राम नरेश शुक्ल—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि आज यह सदन तब तक बैठा रहेगा जब तक कि यह विधेयक सम्पूर्ण पास न हो जाय।

श्री जगन्नाथ मल्ल—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव अभी रखा गया है उसका मैं विरोध करता हूं। क्योंकि कोई वैसी खास जरूरत तो है नहीं कि आज ही इसको पास कर दिया जाय। जब सोमबार को हम बैठेंगे तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, अगर कोई ऐसी बात हुई तो उस दिन हम लोग ज्यादा देर तक बैठ कर इसको पास कर लेंगे।

श्री जोराबर वर्मा—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मुझे बार-बार कहते तो अच्छा नहीं लगता है कि बहुमत दल के सदस्य या यह सरकार अल्पमत या हमलोगों से बेगार (forced labour) ले रही है।

श्री हुकुम सिंह—बेगार बन्द हो गया।

श्री जोरावरवर्मा—जी नहीं, जबरर्दस्ती, जबरन काम लेने का मतलब ही है बेगार लेना। तो इन शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय, मैं इसका संकल्प का विरोध करता हूं। क्योंकि अभी परसों ही इस सदन में गिलोटिन की तरह की एक चीज हो चुकी है—दो संकल्प। अध्यक्ष महोदय, देहातों में ऐसा होता है कि जो जबरदस्त होता है वह मजदूरों से कह देता है कि आज काम ख तम करके ही घर जाना पड़ेगा। आज उसी तरह से हमलोगों के साथ भी यह व्यवहार हो रहा है। देहातों में जो बहुत से कमजोर और गरीब तबके के लोग हैं वहां के सबल इसी तरह से निर्बलों को दबा करके जबरदस्ती उनसे काम लेते हैं और मैं समझता हूं कि हर एक व्यक्ति को इसका विरोध करना चाहिये, जो बेगार व्यवस्था का विरोधी है। वैसे अगर आज ही संशोधन आया होता तो सभी सदस्य ले सकते थे लेकिन बजाय इसके कि गिलोटीन का प्रस्ताव जो कभी-कभी ले लिया जाता है ऐसा न होकर आदतन ऐसा हो रहा है और हमारी सरकार की एक प्रकार की आदत बन गयी है कि वह हम से जबरदस्ती काम कराये और इस तरह से समय बढ़ाने के प्रस्ताव बार-बार, जल्दी-जल्दी, आये दिन लाये जाते हैं। वैसे इस काम के लिये परामर्शदात्री समिति तो मौजूद ही है।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आपकी जो यह भाषा है इससे तो सदन की प्रतिष्ठा को ठेस लगती है।

श्री जोरावर वर्मा—परन्तु अध्यक्ष महोदय, मैं आप से यह निवेदन कर दूं कि इस प्रकार का कार्य जो हो रहा है यह भी सदन की मर्यादा के लिये अनुचित है क्योंकि कमजोर अल्पमत

[श्री जोरावर वर्मा]

से जबरदस्ती काम लेना एक तरह की बेगार ही है, क्योंकि हम लोग तो वैसे ही दबे हुये हैं और इस तरह से जबरदस्ती बैठाने से हमें परेशानी होती है। हम जब देहातों में जाते हैं तो खुलेआम लोग हमसे कहते हैं कि जब आप ही से जबरदस्ती विधान सभा में बेगार ली जाती है तो फिर हम भी बेगार गरीबों से क्यों न लें ?

श्री अध्यक्ष—मुझे खेद है कि माननीय जोरावर वर्मा को दो-तीन बार मैंने संकेत भी किया, लेकिन वह मेरे कथन के उद्देश्य को नहीं समझ सके। इस सदन के माननीय सदस्य यह समझें कि सबसे अधिक अधिकार यदि इस प्रान्त में किसी को है तो वह इस सदन को है। वह अपनी छुट्टी भी स्वयं तय कर लेता है छुट्टी लेने में सभी को खुशी होती है, इतनी छुट्टी समझता हूं कि स्कूल कालेजों को भी नहीं मिलती जितनी कि सदन के लोग अपने कार्यों के लिये ले लेते हैं और यहां के अलावा दूसरे कार्य करते हैं। जिस समय बैठकर हम यहां निश्चित करते हैं कि अधिक समय बैठें तो हम जनता के प्रति जो हमारा कर्तव्य है उस को हम अधिक पूरा करना चाहते हैं, यह एक दृष्टिकोण हो सकता है। आप पूरे मालिक हैं, आप ही यह भी निश्चित कर सकते हैं कि न बैठें, तो मालिक हो कर बेगार की बात कहना कि अधिक बैठने से बेगार होगी यह उचित नहीं है। जबकि यहां इतनी छुट्टी मिलती है उस पर भी जब यह भाषा जनता के सामने जायगी कि घंटे या आधा घंटे बैठने के लिये यह बातें कही जाती हैं, या इस तरह से बेगार समझना या ऐसी कल्पना करना अनुचित है। यह बात दूसरी है कि बहुमत के लिये आक्षेप करें कि वह जबरदस्ती बैठाना चाहता है, आप तो मालिक हैं, आप यह कह सकते हैं, आप मालिक की तरह भाषण दें लेकिन यह भावना पैदा करना कि जबरदस्ती बेगार की तरह काम लिया जाता है या बेगार ली जाती है या अधिक समय बैठने के लिये बहुत नाराजगी जाहिर करना उचित नहीं है, इससे सदन की मर्यादा को ठेस लगेगी।

श्री जोरावर वर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैं पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—इसमें एक्सप्लेन करने की कोई बात नहीं है।

श्री जोरावर वर्मा—अध्यक्ष महोदय, अगर सदन के लिये मैंने कोई ऐसे शब्द प्रयोग किये हैं तो मैं उनको वापस लेता हूं। मेरा मकसद भी बहुमत से ही था और बहुमत की ही सरकार है। वही जबरदस्ती करते हैं, उन्हीं के लिये मैं ने कहा है कि उन्हें बेगार लेने की आदत पड़ती जा रही है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—अध्यक्ष महोदय, मुझमें तो इतनी योग्यता नहीं है कि मैं इस सदन की तुलना किसी स्कूल या कालेज से करूं या बेगार से करूं उस काम की तुलना जो यहां होता है, लेकिन इतना मैं अवश्य कह सकता हूं कि विरोधी दल ने हस्तिनापुर विधेयक के लिये बहुत ही जल्दी की चेष्टा की है और हमने कल से कोई संशोधन मूव ही नहीं किया है, पेश ही नहीं किया है और कई बार अपने बोलने के लालच को रोकने का प्रयत्न किया है ताकि समय की बचत हो जाय। जो स्वाभाविक गति हो सकती है वही स्वाभाविक गति हमारी इस बिल के सम्बन्ध में रही है। अगर इतने आश्वासन के बाद भी माननीय रामनरेश शुक्ल जी समझते हैं कि आज समय बढ़ाना आवश्यक है और हम लोगों के जो आज शाम के इंगेजमेंट हैं उनको कैन्सिल कराना जरूरी है तो वह सोच लें, वह बढ़ाना फिर भी चाहें तो उनकी खुशी है।

श्री अध्यक्ष—(श्री रामनरेश शुक्ल से) कहिये, इतना सुनने के बाद अब आपके क्या विचार हैं ?

श्री रामनरेश शुक्ल—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ और तो नहीं कहना है केवल इतना कि काम करवाने की बात नहीं है। हम भी साथ-साथ बैठे हुये हैं और यह बात नहीं है कि हम किसी से काम करवा रहे हैं और हम चारपाई पर सो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि इस विषय पर जिक्र नहीं करना है बल्कि आपने सदस्यों के निजी इंगेजमेंट्स के बारे में कहा है कि उसके बारे में आपको क्या कहना है ?

श्री रामनरेश शुक्ल—अब अध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा रह गया है, बहुत थोड़ा वक्त लगेगा।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि जब वह उस रोज खत्म करने को कहते हैं तो मुझे तो यहलगता है कि अब इसे प्रेस करने की आपको जरूरत नहीं है, फिर जैसा आप समझें। उनके इंगेजमेंट का विचार कर लेना चाहिये।

श्री रामनरेश शुक्ल—अध्यक्ष महोदय, जैसा आप कह रहे हैं अगर अगले दिन एक घंटे में शुरू-शुरू में खत्म हो जाय तो कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष—आधे घंटे का समय काफी होगा, यह तो मालूम होता है उनके विचार से।

श्री रामनरेश शुक्ल—तो फिर ठीक है।

श्री अध्यक्ष—तो मैं अब आगे बढ़ता हूं।

खंड २६

२६—(१) मंडल, ऐसी लेखा पुस्तकें तथा अपने लेखों के सम्बन्ध में अपनी पुस्तकें आकार और रीति से रखा जायगा जो नियत किये जायं। लेखा और

(२) मंडल के लेखों का लेखा परीक्षण (audit) ऐसे प्राधिकारी द्वारा ऐसे समय और रीति से, जो नियत की जाय, किया जाय। लेखा परीक्षण।

श्री बसन्तलाल शर्मा—मैं आपकी आज्ञा से, अध्यक्ष महोदय, निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करता हूं :—

खंड २६ के उपखंड (१) की पंक्ति १ व २ में शब्द "अपनी पुस्तकें आकार और रीति से रखा जायगा" के स्थान पर शब्द "अन्य पुस्तकें ऐसे आकार और रीति से रखवायेगा" रख दिये जायं।

श्री हुकुम सिंह—स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २६ के उपखंड (१) की पंक्ति १ व २ में शब्द "अपनी पुस्तकें आकार और रीति से रखा जायगा" के स्थान पर शब्द "अन्य पुस्तकें ऐसे आकार और रीति से रखवायेगा" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २७

राज्य सरकार के आदेश।

२७—राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार से परामर्श करने के पश्चात् मंडल द्वारा अनुसरणीय सामान्य आदेश (general instructions) दे सकता है और ऐसे आदेशों के अन्तर्गत मंडल द्वारा इस अधिनियम के अधीन, आदेशों में निर्दिष्ट रीति से, अधिकारों के प्रयोग और कर्त्तव्यों के पालन का आदेश हो सकेगा, तथा ऐसे आदेशों से मंडल बाध्य होगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २७ विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २८

नक्शों, विवरणों और सूचना आदि मांगने का अधिकार

२८—(१) मंडल, ऐसे आकार में और ऐसी रीति से और ऐसे समय पर, जिसे राज्य सरकार नियत करे अथवा जिसके सम्बन्ध में राज्य सरकार आदेश दे, किसी भी प्रस्तावित अथवा वर्तमान योजना के सम्बन्ध में, जिसे समय-समय पर राज्य सरकार बताये, नक्शे, विवरण-पत्र और ब्योरे प्रस्तुत करेगा।

(२) राज्य सरकार किसी भी समय प्रशासक को सम्बोधित लिखित आज्ञा देकर मंडल, उसके किसी सदस्य, अधिकारी अथवा सेवक के कृत्यों अथवा कार्यों के सम्बन्ध में सूचना, विवरण-पत्र, रिपोर्ट अथवा लेख्य प्रस्तुत करने को कह सकती है और प्रशासक तदनुसार बिना बिलम्ब ही ऐसी आज्ञा का अनुपालन करेगा।

श्री तेजप्रताप सिंह—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यह संशोधन पेश करता हूं कि खंड २८ के उपखंड (२) की पंक्ति का शब्द "सदस्य" निकाल दिया जाया।

मैं आपकी आज्ञा से खंड २८ पढ़ना चाहता हूं :—

२८—(२) राज्य सरकार किसी भी समय प्रशासक को सम्बोधित लिखित आज्ञा देकर, मंडल, उसके किसी अधिकारी अथवा सेवक के कृत्यों अथवा कार्यों के सम्बन्ध में सूचना, विवरण-पत्र, रिपोर्ट अथवा लेख्य प्रस्तुत करने को कह सकती है और प्रशासक तदनुसार बिना बिलम्ब ही ऐसी आज्ञा का अनुपालन करेगा।

यह मेरे संशोधन से हो जायगा। अब जो इसमें परिभाषा प्रशासक के बारे में आयी है मेरी समझ में नहीं आती। "राज्य सरकार किसी भी समय प्रशासक को सम्बोधित लिखित आज्ञा" देगी। प्रशासक को सम्बोधित भी करेगी और लिखित आज्ञा भी देगी और फिर "सूचना विवरण-पत्र" आदि कृत्यों के बारे में वह कौन प्रस्तुत करेगा? प्रशासक शायद प्रस्तुत करेगा। तो प्रशासक की भी शक्ति काफी रखी गयी है कि जो भी रिपोर्ट हों उनके कृत्यों के बारे में वह दे। तो मंडल के बारे में उनके कृत्य क्या हैं और कार्य क्या हैं उसके अधिकारियों और सेवकों के यह तो ठीक है, लेकिन सदस्य की हैसियत क्या है? सदस्य सब मिलकर के वह बोर्ड कांस्टीट्यूट करते हैं तो सरकार बोर्ड के कार्य कलाप के बारे में सूचना मांग सकती है लेकिन सदस्य क्या कर रहा है, उसकी हैसियत क्या है, वह किस हैसियत से काम कर रहा है यह पूछना मेरी समझ में नहीं आता। वह तो बोर्ड के मेम्बर की हैसियत से उसमें रहेगा। सदस्य तो इसमें आता नहीं और इसलिये मेरा ख्याल है कि माननीय मंत्री जी इसे जरूर मान लेंगे।

श्री हुकुम सिंह--अध्यक्ष महोदय, इसमें तो कौन मेम्बर क्या कर रहा है इसकी एक रिपोर्ट मांगी है। अगर आपकी तरमीम मान लें तो फिर मेम्बर चाहे जो कुछ करता रहे हम उसकी इत्तला नहीं मांग सकते। मैं चाहता हूं कि जितने काम मेम्बर्स करें, आफिसर्स करें या सर्वेन्ट्स करें उन सब की इत्तला गवर्नमेंट मंगा सके और अगर तरमीम मान लेते हैं तो हम सर्वेन्ट्स और आफिसर्स की इत्तला तो मंगा सकते हैं, लेकिन अगर कोई सदस्य गड़बड़ करता है तो हम कुछ नहीं कर सकते।

श्री तेजप्रताप सिंह--आप मंडल के बारे में यह रिपोर्ट तो मांग सकते हैं, लेकिन उसके सदस्य अपनी व्यक्तिगत हैसियत से क्या काम कर रहे हैं, उनके व्यक्तिगत कार्य-कलाप के बारे में आपको जानने की क्या जरूरत है ?

श्री हुकुम सिंह--एज ए मेम्बर।

श्री तेज प्रताप सिंह--ऐज ए मेम्बर तो उनकी हैसियत बोर्ड में होगी। जब वह मीट करेंगे तो बोर्ड की हैसियत से मीट करेंगे और उसके कार्य-कलाप आप देखेंगे। उस मेम्बर के व्यक्तिगत जीवन के ब्योरे से तो आपको कोई मतलब है नहीं। जिन प्रयोजनों की आप को आवश्यकता है वह तो बोर्ड करेगा। यदि मेम्बर अलग से कोई काम करता तो उस सदस्य के बारे में जांच की जा सकती थी, लेकिन उसके फंक्शंस तो सेपरेट नहीं हैं, वह तो बोर्ड में संयुक्त रूप से काम करेगा। यदि आप इसको गौर से देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जायगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, मैं इतना ही जानना चाहता हूं कि अध्यक्ष के कृत्यों और कार्यों के सम्बन्ध में सूचना चाहने की क्या आवश्यकता है ?

श्री हुकुम सिंह--मुझे कुछ और नहीं कहना है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २८ के उपखंड (२) की पंक्ति २ का शब्द "सदस्य" निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २९

मंडल के प्रस्ताव अथवा आज्ञा के निष्पादन का निषेध।

२९--(१) मंडल द्वारा इस अधिनियम के अधीन पारित किसी प्रस्ताव अथवा दी गयी आज्ञा के निष्पादन अथवा उसके भावी निष्पादन (execution or further execution) को लिखित आज्ञा देकर राज्य सरकार निरुद्ध (prohibit) कर सकती है, यदि राज्य सरकार की राय में ऐसा प्रस्ताव या आज्ञा इस प्रकार की है जिससे जनता में अथवा विधितः नियुक्त (Lawfully employed) किसी वर्ग या व्यक्ति समूह में विघ्न, उद्वेग अथवा क्षति (obstruction, annoyance or injury) हो सकती है अथवा होने की आशंका हो, और किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे प्रस्ताव अथवा आज्ञा के अनुसार अथवा अन्तर्गत किसी भी काम को अथवा काम के जारी रखने को निषिद्ध कर सकती है।

(२) उपधारा (१) के अधीन पारित प्रत्येक आज्ञा की प्रति सम्बद्ध लेखों सहित राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को भेजी जायगी।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २६ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड ३०

राज्य सरकार के आपत्तिक अधिकार ।

३०--(१) यदि राज्य सरकार की राय में कोई आपत्ति (emergency) वर्तमान हो तो राज्य सरकार आदेश दे सकती है कि कोई भी निर्माण कार्य अथवा काम, जिसे मंडल इस अधिनियम के अधीन करने के लिये अधिकृत हो, और जिसका निष्पादन अथवा करना राज्य सरकार की राय में सार्वजनिक बचाव और सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक हो, तत्काल निष्पन्न हो अथवा किया जाय तथा उक्त निर्माण कार्य अथवा काम के निष्पादन अथवा करने का व्यय मंडल की निधि से दिया जाय ।

(२) यदि ऐसा व्यय जिसके भुगतान की आज्ञा उपधारा (१) के अधीन दी गयी हो, तत्काल न अदा किया जाय तो राज्य सरकार मंडल की निधि की आभरक्षा करने वाले व्यक्तियों को आज्ञा दे सकती है कि व्यय अथवा उसका वह अंश, जो यथा समय संभव हो, निधि से ऐसे अन्य सभी परिव्ययों की अपेक्षा प्राथमिकता से अदा किया जाय, जो उस पर भारित हों ।

श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी (जिला गोरखपुर)--अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं --

"खंड ३० के उपखंड (२) के पश्चात् निम्नलिखित नये उपखंड (३) के रूप में जोड़ दिया जाय --

"(३) उपखंड (१) या (२) के अधीन पारित प्रत्येक आज्ञा की एक प्रति राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार को भेजेगी ।"

अध्यक्ष महोदय, खंड ३० में यह व्यवस्था दी गयी है कि यदि कोई ऐसी इमरजेंसी, ऐसी परिस्थिति आ जाय कि मंडल के अधिकार के अंदर कोई चीज होनी हो और मंडल उसे न करता हो और वह चीज जनहित में हो तो राज्य सरकार आज्ञा देगी कि वह कार्य जरूर होना चाहिये और उस पर जो धन खर्च किया गया हो वह धन उस मंडल के धन पर पहला चार्ज होगा । इसके बाद धारा के दूसरे भाग में यह व्यवस्था दी गयी है कि अगर मंडल के धन का उपयोग करने वाले व्यक्ति ने रुपये को अदा न किया हो तो राज्य सरकार फिर उसे एक हुक्म देगी कि पहले-पहले वाला धन अदा होना चाहिये । उसके बाद दूसरे की अदायगी होगी । इन दोनों खंडों में इतना और संशोधन जोड़ा जा रहा है कि ऐसी दोनों आज्ञायें जो कि खंड ३० के दोनों उपखंडों में राज्य सरकार देती है उन दोनों आज्ञाओं की एक एक प्रतिलिपि राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार के पास भेजती रहेगी ताकि केन्द्रीय सरकार को भी यह पता चले कि जनहित में जो कार्य होने वाला था, उसका धन उस मंडल से लिया गया है और केन्द्रीय सरकार का कोई दूसरा धन उसी कार्य के लिये आये, यही मंशा ध्यान में रख कर यह संशोधन पेश किया गया है । आशा है मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे ।

श्री हुकुम सिंह--मुझे स्वीकार है ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३० के उपखंड (२) के पश्चात् निम्नलिखित नये उपखंड (३) के रूप में जोड़ दिया जाय--

"(३) उपखंड (१) या (२) के अधीन पारित प्रत्येक आज्ञा की एक प्रति राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार को भेजेगी ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ३० इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड ३१

मंडल द्वारा निवेदन-पत्र representation

३१--यदि राज्य सरकार ने धारा २९ अथवा ३० के अधीन आज्ञा दी हो, तो मंडल उक्त आज्ञा की प्राप्ति के दिनांक से तीन मास के भीतर राज्य, सरकार के समक्ष ऐसा निवेदन-पत्र (representation) प्रस्तुत कर सकता है जिसे वह उचित समझे और तत्पश्चात् राज्य सरकार या तो आज्ञा को पुष्ट अथवा परिष्कृत करेगी या रद्द (confirm, modify or revise) कर देगी । इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा पारित आज्ञा परिनिष्ठित होगी ।

श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी--अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से खंड ३१ में निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं --

"खंड ३१ को पुनः परिगणित करके खंड ३१ के उपखंड (१) के रूप में रख दिया जाय और इस प्रकार पुनः परिगणित उपखंड (१) के पश्चात् निम्नलिखित नया उपखंड (२) जोड़ दिया जाय --

"(२) उपखंड (१) के अधीन पारित प्रत्येक आज्ञा की एक प्रति राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार को भेजेगी ।"

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने खंड ३० में पेश किया कि, जो व्यवस्था राज्य सरकार करे उसकी एक प्रतिलिपि केन्द्रीय सरकार को भेजा करे, उसी प्रकार ठीक ढंग से कहीं व्यवस्था में गड़बड़ी न हो जाय. यहां भी इस खंड को पेश करने की जरूरत हुई । इसीलिये यह उपखंड २ के रूप में खंड ३१ के बाद पेश कर दिया । कोई नयी व्यवस्था नहीं की जा रही है । इसलिये मुझे उम्मीद है कि मंत्री जी इसे भी स्वीकार करेंगे ।

श्री हुकुम सिंह--मुझे स्वीकार है ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३१ को पुनः परिगणित करके खंड ३१ के उपखंड (१) के रूप में रख दिया जाय और इस प्रकार पुनः परिगणित उपखंड (१) के पश्चात् निम्नलिखित नया उपखंड (२) जोड़ दिया जाय--

"(२) उपखंड (१) के अधीन पारित प्रत्येक आज्ञा की एक प्रति राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार को भेजेगी ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ३१ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड ३२

राज्य सरकार का अधिक्रांत करने का अधिकार ।

३२--(१) यदि राज्य सरकार की राय में मंडल इस अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन आरोपित कर्त्तव्य करने में अक्षम (in competent) हो गया है अथवा अविरत रूप से विचलित हो रहा है (persistently making default) अथवा अपने अधिकारों का अतिक्रमण अथवा दुरुपयोग कर रहा है तो राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार से परामर्श करने के पश्चात्

सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके, मंडल को विज्ञप्ति में निर्दिष्ट की जाने वाली अवधि के लिये अधिक्रांत (supersede) कर सकती है ---

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन विज्ञप्ति प्रचारित करन से पहले राज्य सरकार मंडल से इस बात का कारण बताने का उपयुक्त अवसर देगी कि मंडल क्यों न अधिक्रांत किया जाय, और मंडल द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण और आपत्तियों पर, यदि कोई हों, विचार करेगी ।

(२) जब इस उपधारा के अधीन मंडल अधिक्रांत हो जाय तो---

(१) निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात्

(क) मंडल के सभी सदस्य की हैसियत से अपना पद अधिक्रमण के दिनांक से रिक्त कर देंगे।

(ख) वे सभी अधिकार और कर्तव्य जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अथवा द्वारा, मंडल द्वारा अथवा मंडल की ओर से प्रयुक्त अथवा कार्यान्वित होते हों, अधिक्रांत रहने के काल में उस व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त अथवा कार्यान्वित होंगे जिसे अथवा जिन्हें राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार से परामर्श करने के पश्चात् निर्णीत करें;

(ग) मंडल में निहित सभी सम्पत्ति अधिक्रांत रहने के काल में राज्य सरकार में निहित रहेगी ।

(३) उपधारा (१) के अधीन विज्ञप्ति में निर्दिष्ट अधिक्रांत रहने के काल की समाप्ति पर केन्द्रीय सरकार से परामर्श करने के पश्चात् राज्य सरकार---

(क) समय-समय पर अधिक्रांत रहने के काल उस अवधि के लिये बढ़ा सकती है जिसे वह उचित समझे, अथवा

(ख) धारा ४ में व्यवस्थित रीति से मंडल को संगठित कर सकती है ।

श्री बसन्तलाल शर्मा---श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि खंड ३२ के उपखंड (२) के भाग (क) की पंक्ति १ में शब्द "सदस्य" के पश्चात् पुनः शब्द "सदस्य" रख दिया जाय ।"

श्रीमन्, सदस्य शब्द का द्वित्व हो जाने से इसका अर्थ स्पष्ट हो जायगा । इसलिये इसको मान लिया जाय ।

श्री हुकुम सिंह---मुझे स्वीकार है ।

श्री रामेश्वर लाल---माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें बहुत भाषण की आवश्यकता नहीं है । "सदस्य" के बाद जो "सदस्य" माननीय बसन्त लाल जी शर्मा ने रखा है उसके बीच में कामा रख दिया जाय तो फिर इसका स्पष्टीकरण हो जायगा नहीं तो फिर "सदस्य सदस्य की हैसियत से" ऐसा सेंटेंस बनेगा जिसका कोई अर्थ नहीं होगा ।

श्री अध्यक्ष—माननीय बसन्त लाल शर्मा, यह "सदस्य" और "सदस्य" के बीच में कामा और रखना चाहते हैं। आपको कोई आपत्ति है ?

श्री बसन्तलाल शर्मा—जी नहीं ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३२ के उपखंड (२) के भाग (क) की पंक्ति १ में शब्द "सदस्य" के पश्चात् स्वल्पविराम तथा शब्द "सदस्य" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

***श्री गजेन्द्र सिंह**—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड ३२ के उपखंड (२) के अंतिम शब्द "हो जाय तो" के आगे निम्नलिखित जोड़ दिया जाय तथा भाग (क), (ख) और (ग) निकाल दिये जायं—

"धारा ४ के अनुसार मंडल का पुर्ननिर्माण होगा ।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, धारा ३२ की उपधारा (२) इस प्रकार है —

(२) जब इस उपधारा के अधीन मंडल अधिक्रांत हो जाय तो—

(१) निम्नलिखित परिणाम होंगे अर्थात्—

(क) मंडल के सभी सदस्य की हैसियत से अपना पद अधिक्रमण के दिनांक से रिक्त कर देंगे,

(ख) वे सभी अधिकार और कर्तव्य जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अथवा द्वारा, मंडल द्वारा अथवा मंडल की ओर से प्रयुक्त अथवा कार्यान्वित होते हों, अधिक्रांत रहने के काल में उस व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त अथवा कार्यान्वित होंगे जिसे अथवा जिन्हें राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार से परामर्श करने के पश्चात् निर्णीत करे,

(ग) मंडल में निहित सभी सम्पत्ति अधिक्रांत रहने के काल में राज्य सरकार में निहित रहेगी ।

तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह संशोधन अगर मान लिया जाता है तो वह इस प्रकार हो जाता है कि "जब इस उपधारा के अधीन मंडल अधिक्रांत हो जाय तो धारा ४ के अनुसार मंडल का पुर्ननिर्माण होगा । और बाकी इस सबको अलाहिदा कर दिया जाय ।" तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे इस संशोधन को लाने की मंशा यह है कि जब मान लिया कि मंडल कोई गलत काम करता है तो.....

श्री अध्यक्ष—इसमें कुछ कन्फ्यूजन मालूम होता है । अंग्रेजी में यह इस तरह है—"व्हेन दी बोर्ड इज सुपरसीडेड अंडर सब सेक्शन वन" और हिन्दी में है—"जब इस उपधारा के अधीन मंडल अधिक्रांत हो जाय" । तो यहां भी शब्द "जब उपधारा (१) के अधीन अधिक्रांत हो जाय" यह होना चाहिये क्योंकि वैसे इसका कोई अर्थ नहीं होता कि इसी खंड के अधीन अधिक्रांत हो जाय । अंग्रेजी में है "अंडर सब सेक्शन वन" हिन्दी में तदर्थक वाक्यखंड होना चाहिये ।

श्री हुकुम सिंह—जी हां, उपधारा (१) होनी चाहिये । "जब उपधारा (१) के अधीन मंडल अधिक्रांत हो जाय तो" यह इस प्रकार होना चाहिये । माननीय रामेश्वर लाल पेश कर दें, मैं मंजूर कर लूंगा ।

श्री अध्यक्ष—माननीय गजेन्द्र सिंह, आप अपना भाषण जारी रखें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री गजेन्द्र सिंह---अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि जब एक दफे मंडल सुपरसीड कर लिया गया किसी कारणवश तो फिर इसमें इस विधेयक में यह प्राविजन किया गया है कि वे सभी अधिकार और कर्तव्य जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अथवा द्वारा, मंडल द्वारा अथवा मंडल की ओर से प्रयुक्त अथवा कार्यान्वित होते हों, अधिक्रांत रहने के काल में उस व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त अथवा कार्यान्वित होंगे जिसे अथवा जिन्हें राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार से परामर्श करने के पश्चात निर्णीत करें" । यानी मंडल के सुपरसीड होने के बाद उस व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त अथवा कार्यान्वित होंगे जिसे अथवा जिन्हें राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार से परामर्श करने के पश्चात् मुकर्रर करेगी यानी मंडल नहीं रहेगा और वही व्यक्ति आगे कार्य का संचालन करेंगे ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं समझ पाया कि मंडल के सुपरसीड हो जाने के बाद दूसरे मंडल को न रखकर व्यक्ति या व्यक्तियों को रखने की आवश्यकता क्या है । मैं तो चाहता हूं कि जब एक मंडल सुपरसीड हो गया तो उसके स्थान पर कार्य करने के लिये दूसरा मंडल बना दिया जाय । एक मंडल अगर गलत काम करता है और वह सुपरसीड किया जाता है तो व्यक्ति या व्यक्तियों के रखने के बजाय दूसरा मंडल ही बना दिया जाय क्यों किसी दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के हाथ में कार्य देना उपयुक्त नहीं है । नहीं तो माननीय मंत्री जी हमको कारण बतलायें कि एक मंडल के सुपरसीड होने के बाद वह दूसरा मंडल बनाकर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों से काम क्यों कराना चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष---अब हम उठते हैं और सोमवार १३ तारीख को ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजे सोमवार, १३ दिसम्बर, १९५४ के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :
९ दिसम्बर, १९५४

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश ।

	आय				कुल व्यय		
	मिर्जापुर	चुनार	राबर्टसगंज	दुद्धी	योग	रुपया	श्रमदान
कृषि							
१—उन्नतिशील बीज का वितरण							
रबी (मनों में)	१९८८०	९१६०	१२९०७	४७७५	४६७२२	..	..
खरीफ ,,	१३९०६	४३४४	९०८६	५४५०	३२७८६	..	..
२—उन्नतिशील बीजों द्वारा बोया गया क्षेत्र (एकड़ में)	३३०६९	१२९५४	२१२३७	९९२५	७७१८५	..	..
३—प्रदर्शनों की संख्या जो किसानों के खेतों पर किये गये	३७४३	१८२१	२२५७	२५५५	१७३७६	..	..
४—कृषि यंत्रों की बिक्री	६२३	५२०	४१७	३१३	१८६६	..	..
५—खादों का वितरण	१६१२	७५८	९३७	१६२	३४६९	..	..
६—कम्पोस्ट की खाद	३०२००	२३२००	५४७५	६१७	५९४९२	..	..
७—गांव में कम्पोस्ट के गड्ढे	२३५०	८२५	९७०	१०००	५१४५	..	..
८—फसल प्रतियोगिता	२००५६	११९२७	८८२७	४०९०	४६०००	..	..
९—मूंग नं० १ से बोया गया क्षत्र	२९५५	२०८५	१३६४	७८५	७१८९	..	..
१०—उन्नतिशील बीज भंडार	२	१	१	१	५	..	..
११—राजकीय फार्म	१	..	..	..	१	..	..
१२—उद्यान	..	..	..	..	..	..	..
(अ) बाग का क्षेत्र	३५६	१४०	२५१	९०	८३७	..	..
(ब) पुराने बागों का जीर्णोद्धार	३२०	१३५	३६५	९५	८१५	..	..
(स) वृक्षों का वितरण	५०२५०	२६९५०	२७९७०	११९७६	११७१४६	..	..
(द) नरसरी	१	..	..	..	१	..	..
(र) तरकारी के बीजों का वितरण	९०	४५	५०	४५	२३०	..	..
१३—बंजर भूमि सुधार	३७०	२४७	६१०	७५०	१९७७	..	..
१४—मेड़ बंदी	९२५	२९७	८२५	४५०	२४९७	..	..
१५—कृषि रक्षा केन्द्र	१	..	..	..	१	..	..
१६—जापानी ढंग से धान की खेती	३०००	१५००	२०००	५००	७०००	..	..
१७—आलू का वितरण	३४०	२९५	१००	६५	८००	..	..
सिंचाई							
मूल तथा नहर निर्माण व मरम्मत बन्धी	१०	१०	१०	५	३५	..	..
पशु पालन							
पशु चिकित्सा सम्बन्धी दवा तथा यंत्र	४ सेट	..	..	२० सेट	२४ सेट		..
कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	१ ..	..	..		२	..	..
भेड़ा केन्द्र	२ ..	..	..		२	..	..
गो–सदन की स्थापना	..	..		१	१	..	..
राजकीय पशु चिकित्सालय	१ ..	..	..		१	..	..
जंगलात (वन)							
पेड लगाना	२५० एकड		५०	१२७	४१७	२७०१०	..
सहकारिता							
बहुधंधी समितियां	१५०	३६३	३५०	..	८६३	..	..
ऋण दाता समितियां	..	४६	..	..	४६	..	..
उपभोक्ता समितियां	६	..	..	..	६	..	..
सहकारी कृषि तथा अन्य समिति	३३	..	..	..	३३	..	..
विकास संघ	१५	१५	२०	..	५०	..	..
बीज भंडार निर्माण	२	२	२	..	६	४८,०००	१२,०००
ईंटों के भट्ठे	१	१	..	..	२	..	..
सदस्यता	१००००	१६३९०	१४०००		४०३९०	..	..
कुटीर उद्योग							
राजकीय कम्बल उत्पादन केन्द्र	१	..	..	..	१	६,४३,०२८	
जन स्वास्थ्य							
कुओं की सफाई	१५००	१५००	१५००	१५००	६०००	..	..
दाइयों की ट्रेनिंग	४	४	४	४	१६	..	..
जन निर्माण							
पानी पीने के कुयें	७२	८४	५३	१७	२२६	१,६३,६००	..
सड़क निर्माण	१९	३३	३१	२	८५	..	४०,७७९
सड़क मरम्मत	१२९	२४४	१०९	४३	५२५	..	३७,५२५
हरिजन कल्याण कार्य							
कुओं के लिये रुपया	१२७५०	७२००	४०५०		२४,०००	२४०००	३६०००
दस्ती	५४५८	३४४५	४७९७	२००००	३३७००	३३,७००	१६,०००
छात्रवृत्ति इत्यादि							

उत्तर प्रदेश

२७ पृष्ठ पर ।)

पूर्ति					शेष				
मिर्जापुर	चुनार	राबर्टसगंज	डुद्धी	योग	मिर्जापुर	चुनार	राबर्टस गंज	डुद्धी	योग
८६३८	३२२९	५१४०	१६६८	१८६७५	११२४२	५९३१	७७६७	३१०७	२८०४७
४०७१	५५७	३३१०	११५९	८७९७	९८३५	४०८७	५७७६	४२९१	२३९८९
१२७०९	३४८६	८४५०	२८२७	२७४७२	२०३६०	९४६८	१२७८७	७०९८	४९७१३
४१०४	११९७	२५८	९३९	३९४	३९	५९	६३१	५६३	४०५५
११४७	४२९१	४८५	३९६	३९४	४८	५९	३९२	२५८	३९४८
३१४०	९९०	४२५	७०७	३८३२	४८	५९	४८५	९१९	४०२२३
११९७	२५८	९३९	५५	३९९	३१०	९४	३९९	५२५	४३८७४
४१०४	९३९	६३१	५९६	७३०९	१७१०	५९६	६३१	५७५	४०५५
३१९	५९	१३९	९३९	९३९	९३९	९३९	१३९	९३९	३१९
३९	५९	३९२	९३९	९३९	९३९	९३९	३९२	९३९	३९२
९३९	९३९	९३९	९३९	९३९	९३९	९३९	९३९	९३९	९३९

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४२७ पर।)

कुमायूं वन समिति की ३८ वीं बैठक की कार्यवाही जो कन्जरवेटर कुमाऊं वृत्त के कार्यालय नैनी-ताल में दिनांक २२ मई, १९५४ को हुई।	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही।
१—निश्चय किया गया कि गढ़वाल जिला-बोर्ड का बाई ला नयाबाद के नियमों के अनुकूल सुधारा जाय और गढ़वाल जिला बोर्ड से प्रार्थना की जाय कि वे अपने बाई ला को नयाबाद नियमों के अनुकूल अतिशीघ्र संशोधित करने की कृपा करें	इस पर सरकार के कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
२—निश्चय किया गया कि उन बिना हकवाले ग्रामवासियों को वार्षिक कटान के कूपों में से लकड़ी देने पर विचार किया जाय। यह भी निश्चय किया गया कि ऐसे बिना हक वाले ग्रामों के समीप जैसे कि अल्मोड़ा जिले की सल्ट पट्टी है। नये वन लगाने और भूमि रक्षा का उचित उपाय किया जाय जिसके लिये वन विभाग अपने बजट में विशेष प्रबन्ध करे जो वन बजट के अन्तर्गत न हो।	अभी यह प्रस्ताव सरकार के पास नहीं भेजा गया है। कन्जरवेटर कुमाऊं, वृत्त ने सूचना दी है कि इस विषय को फिर कुमायूं फारेस्ट कमेटी के समक्ष रक्खा जायगा।
३—निश्चय किया गया कि मानिला में बाग लगाने और घूमने वालों के लिये भवन निर्माण के प्रस्ताव को Development Department के पास विचार के लिये भेजा जाय। वन लगाने और यात्रियों के सुविधा के लिये मकान बनाने के पूर्व इस स्थान के लिये मोटर मार्ग बनवाने पर जोर दिया गया और निश्चय किया गया कि वन विभाग इसके लिये अपने बजट में विशेष प्रबन्ध करें जो वन बजट के अन्तर्गत न हो।	अभी यह प्रस्ताव सरकार को नहीं भेजा गया है।
४—वन उत्पत्ति और ईंधन, चारे हेतु अमुक वनों का चराई, घास काटने इत्यादि के लिये बन्द करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।	इसको स्थानीय अधिकारियों ने कार्यान्वित कर दिया है।
५—(अ) निश्चय किया गया है कि धन प्राप्त होने पर यथा सम्भव गोचरों के सुधार का और अच्छी घास उत्पन्न करने का प्रयत्न किया जाय।	राजआज्ञा प्रसारित कर दी गई है कि जहां तक सम्भव हो प्रस्तावानुसार कार्य किया जाय।
(ब) निश्चय किया गया कि कुमाऊं में यातायात को ध्यान में रखते हुए वन-विभाग अपने बजट में सड़कों के सुधार के लिये पर्याप्त प्रबन्ध करें जो वन विभाग के खर्च की मद से अलग हो।	यह विषय सरकार के विचाराधीन है।

कुमायूं वन समिति की ३८वीं बैठक की कार्यवाही जो कन्जरवेटर कुमाऊं वृत्त के कार्यालय नैनीताल में दिनांक २२ मई, १९५४ को हुई।	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही

(स) निश्चय किया गया कि निम्नलिखित सरकारी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। विषय पर कन्जरवेटर कुमाऊं, वृत्त विवरण प्राप्त कर अगली बैटक में प्रस्तुत करने की कृपा करें :—

ग्रामवासियों को वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा इमारती लकड़ी और खेती के लिये दो जाने वाली लकड़ी के बटवारे के संबंध में जो कष्ट हैं।

६—निम्नलिखित प्रस्तावों के सम्बन्ध में यह निश्चय किया गया कि वन विभाग और उद्योग-विभाग मिल कर इस कार्य को करें और बहुत से मामले जो वन विभाग से विशेष सम्बन्ध नहीं रखते सम्बन्धित विभागों को भेज दिये जायं।

अभी सरकार के पास यह प्रस्ताव नहीं भेजे गये हैं।

(१) वन विभाग कुमाऊं के पर्वतों में यात्रियों के यातायात को प्रोत्साहन देने के लिये स्वास्थावास बनायें और इसके लिये मोटर मार्ग तथा विश्राम कुटीर इत्यादि बनाने और यथासम्भव योजनादि के प्रबन्ध में सहायता दें।

(२) वन विभाग कुमायूं के वन विकास योजना में आकृष्ट भूमि में विभिन्न प्रकार के वृक्ष जैसे सहतूत तथा अंगू (ash) और तरह तरह की घास जैसे पावर तथा पुष्टिकर चारे वाली घासों का उत्पादन करें।

(३) वन विभाग भूमि सुधार तथा उसको सुरक्षित रखने, भूमि कटाव रोकने और कुमाऊं के पर्वतों को समस्त भूमि संरक्षण योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये यथोचित योजना बनायें।

(४) वन विभाग कुमाऊं में अपनी वृक्षोत्पादन तथा भूमि संरक्षण योजना के सम्बन्ध में बागों के विकास की योजना को भी स्थान दें। बागों के विकास योजना के सम्बन्ध में ऐसे फलों के वृक्षों को (खास कर सेव, नासपाती, आड़ू, बादाम, खुबानी इत्यादि लगाने का प्रबन्ध करें जिससे विभाग को भी आय हो।

(५) वन विभाग अपनी वृक्षारोपण तथा भूमि संरक्षण विकास कार्यों के सिलसिले में सब्जियों तथा आलू की खेती के विकास का कार्य भी करें। इससे भी विभागीय आय में वृद्धि होगी।

कुमायूं वन समिति की ३८ वीं बैठक की कार्यवाही जो कन्जरवेटर कुमाऊं वृत्त के कार्यालय नैनीताल म दिनांक २२ मई, १९५४ को हुई ।	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही ।
(६) वन विभाग चारे की उन्नति का कार्य (अच्छी तथा पुष्टिकर क़िस्म की घासों का उत्पादन कर के) करें।	
७–(१) यह निश्चय किया गया कि जब तक श्रेणी १ वन के वन विभाग को हस्तान्तर होने का प्रश्न निश्चय नहीं होता तब तक काफल, दालचीनी इत्यादि के वृक्षों की छाल निकालने पर प्रतिबन्ध के प्रस्ताव पर विचार स्थगित किया जाय।	इस पर सरकारी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। परन्तु श्रेणी १ के वनों के हस्तान्तर होने का विषय सरकार के विचाराधीन है।
(२) निश्चय किया गया कि जब तक श्रेणी १ वन के वन विभाग को हस्तान्तर होने का प्रश्न निश्चय नहीं होता तब तक सिमिल तथा श्रेणी १ वनों में ग्राम-सभाओं के अधिकार निश्चय करने और ग्राम सभाओं के क्षेत्र से किराना माल पर उनके ही द्वारा परमिट देने के अधिकार के प्रस्ताव पर विचार स्थगित किया जाय मगर इस विषय पर नियोजन समिति से विस्तृत विवरण प्राप्त किया जाय।	प्रस्ताव अभी सरकार के पास नहीं भेजा गया है।
(३) निश्चय किया गया कि वन विभाग वनशास्त्र के दृष्टिकोण से पंचायती वनों के कांटछांट (Exploitation) में यथासम्भव सहायता करें। समिति को आश्वासन दिलाया गया कि वन विभाग हर प्रकार सहायता करता है और भविष्य में भी करता रहेगा।	सरकार के पास अभी ये प्रस्ताव नहीं आये हैं
८––निश्चय किया कि सिद्धान्तरूप में समिति इसका समर्थन करती है कि शिल्पकार समुदाय को सहायता की जाय पर इससे पहले कि कोई विशेष निश्चय किया जाय श्री खुशीराम जी सभी सदस्यों को शिल्पकारों की कम्पनी के निगम इत्यादि की एक प्रति भेजें जिससे सदस्य कम्पनी की स्थिति इत्यादि से अपने को परिचित कर सकें।	सरकार के पास यह प्रस्ताव नहीं भेजा गया है।
९––जिला बोर्ड को ग्रामीण क्षेत्रों में उनके निर्माण कार्यों के लिये कुमाऊं के समस्त डिवीजनल फारेस्ट आफिसरों को २५० रु० तक के मूल्य की लकड़ी निःशुल्क प्रदान करने का अधिकार दिलाने के प्रस्ताव पर यह निश्चय किया गया कि इस पर सरकार की आज्ञा प्राप्त की जाय।	
१०––कुमाऊं के जिला बोर्डों को निःशुल्क लकड़ी तथा अन्य भवन निर्माण सामग्री, जो कि	

कुमायूं वन समिति की ३८वीं पैठक की कार्यवाही जो कन्जरवेटर कुमाऊं वृत्त के कार्यालय नैनीताल में दिनांक २२ मई, १९५४ को हुई ।	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही ।

सुरक्षित वनों में प्राप्त हैं, वन विभाग द्वारा दिये जाने के प्रस्ताव पर यह निश्चय किया गया कि सरकार की आज्ञा प्राप्त की जाय कि क्या जिला बोर्ड के डाक बंगलों के लिये निःशुल्क लकड़ी दी जा सकती है । विषय सरकार के विचाराधीन है ।

११--शिक्षा विभागीय पुनरुत्थान की आयोजना को शीघ्र कार्यान्वित करने के विचार से जूनियर हाई स्कूल समितियों को निःशुल्क खड़े पेड़ स्कूलों की उन जमीनों के घेरने के लिये जहां खेती तथा बाग का कार्य होगा वन विभाग द्वारा दिये जाने तथा स्थानों वनाधिकारियों को जो फारेस्टर के पद से कम का न हो इसके दिये जाने के अधिकार होने के प्रस्ताव पर यह निश्चय किया गया कि जहां कहीं वन शास्त्र के अनुसार दिये जा सकते हैं दे दिये जायं ।

१२--निश्चय किया गया कि चूंकि शेड्यूल- डिस्ट्रिक्ट ऐक्ट है ही नहीं उसके टेहरी में लागू करने का प्रश्न नहीं उटता । सरकारी कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं है ।

१३--निश्चय किया गया कि निम्नलिखित वन उपज सहकारी संस्थाओं को घरेलू उद्योग धन्धों के लिये दी जाय । सरकार के पास ये प्रस्ताव नहीं आये हैं ।

(१) लीसा (२) अंगू (३) बक्सों (Paching cases) के लिये लकड़ी (४) कांस रिगाला ।

१४--निश्चय किया गया कि प्रतिवर्ष कुमाऊं बन समिति की ओर बैठकें की जायं और बारी २ से हर जिले में हों । वन विभाग इस सम्बन्ध में होने वाले खर्च के लिये अपने बजट में विशेष प्रबन्ध करे ।

१५--निश्चय किया गया कि कुमाऊं और टेहरी में होने वाले उन्नति और औद्योगिक कार्यों का वन समिति के अन्तर्गत एकीकरण किया जाय ।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४ व ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ---४२८---१२)

टिहरी गढ़वाल में चराई के शुल्क प्रति मवेशी प्रति वर्ष---

किस्म मवेशी	स्थानीय पशुओं के लिये			बाहरी पशुओं के लिये					
				जाड़े की ऋतु में			ग्रीष्म ऋतु में		
	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०
भैंस	४	८	०	६	०	०	१२	०	०
गाय	२	४	०	१	८	०	३	०	०
बैल	१	८	०	१	८	०	३	०	०
घोड़ा और खच्चर				१	८	०	३	०	०
भेड़ और बकरी	०	४	०				०	१०	०

नोट---स्थानीय लोगों के लिये अपने गांव के ५ मील के अन्दर के वनों में जहां कार्य योजना के अनुसार चराई बन्द न हो, चराई का कोई शुल्क नहीं पड़ता। ऊपर दिये हुये रेट उस परिस्थिति में लिये जाते हैं जब मवेशी ५ मील से बाहर के बनों में चरने जाते हैं।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४३१ पर।)

जिला आजमगढ़ में घोसी कम्युनिटी प्रोजेक्ट ब्लाक में ३१ अगस्त, १९५४ तक होने वाले मुख्य कामों तथा उन पर व्यय किये गये रुपये की सूची—

मदें	काम		खर्च		
			रु०	आ०	पा०
१—कुल क्षेत्र जिसमें सिंचाई की गई	.. ११,१५९	एकड़	१,३४,१५०	०	०
२—सीड सेचूरेशन					
(अ) शुरू का धान	.. ६०	फीसदी			
(ब) बाद की धान	.. १६.९	फीसदी			
(त) गेहूं	.. ८१	फीसदी			
(क) चना ..	.. २६	फीसदी			
(ख) मटर ..	.. १३	फीसदी			
३—केमिकल फर्टिलाइजर बांटे गये	.. ३६८७	मन	१११	०	०
४—वह क्षेत्र जिसमें हरी खाद इस्तेमाल की गई	कुल क्षेत्र का १६ फीसदी				
५—लगाये हुये फल के पेड़ों की संख्या	.. १७,८६५		१,०००	०	०
६—औषधालाएं जो खोली गईं	७		२,२२७	१५	०
७—लगाये हुये बगीचों की संख्या:					
(अ) सामुदायिक बागीचे	.. ३४				
(ब) निजी बागीचे	.. ४८				
८—अच्छे नस्ल के बांटे गये मवेशियों की संख्या	१०७		२५,०००	०	०
९—कृत्रिम गर्भाधान के केन्द्र	.. १		७,४३३	८	३
१०—मवेशी जिनका कृत्रिम गर्भाधान किया गया	१०७				
११—मवेशियों को बीमारी से बचाने के लिये लगाये गये टीके की संख्या	.. ४१,१३९				
१२—मवेशी जिन पर बाहर इलाज किया गया	१५,१३७		१०,१६७	१	०
१३—मवेशी जिनका अस्पताल में इलाज किया गया	.. .. ३,०२६		४,४६३	५	०
१४—वह क्षेत्र जहां चारा बोया गया	.. १५	एकड़			
१५—अच्छी नस्ल की बांटी गयी चिड़ियों की संख्या	.. .. ४६४		७६	०	०
६—मछली के जो बच्चे बांटे गये उनकी संख्या	१५,०५०				
१७—हरिजनों के लिये नए पानी पीने के कूपों की संख्या	.. .. २५				
१८—पानी पीने के कुवें जिनकी मरम्मत की गई	१२५		१८,२९३	९	०
१९—पानी पीने के कुवें जिनकी सफ़ाई की गई	४,०२३				
२०—बांटे गये फूड सेफ़ों की संख्या	.. १०६				
२१—वह घर जिनमें सफ़ाई का इन्तजाम किया गया	.. .. ३४		१३३	४	०
२२—उन घरों की संख्या जिनमें रोशनदान लगाये गये	.. .. ७०५				

मदें	काम	खर्च
		रु० आ० पा०
२३—लगाये गये चेचक के टीकों की संख्या . .	१४,४२६	
२४—व्यक्ति जिनके कालरे से बचने की सुइयां लगाई गईं	८,२७२	
२५—बी० सी० जी० टीके लगाये गये . .	६,८८७	
२६—वह घर जिनमें मिलेरिया से बचने की दवा छिड़की गई	९७५	६,७७९ ११ ९
२७—खोले गये अस्पतालों की संख्या . .	१	१,७०० २ ६
२८—खोले गये दवाखानों की संख्या . .	१	
२९—बाहरी बीमार जिनका इलाज किया गया	१८,४१०	२,७८५ ८ ९
३०—खोले गये जच्चाखानों की संख्या . .	४	११,७२ ३ ०
३१—दाईयों की संख्या जिन्हें शिक्षी दी जा चुकी है	१२	३,९८८ ११ ०
३२—दाइयों की संख्या जिन्हें शिक्षा दी जा रही है	१०	
३३—सीड स्टोरों के बनाये गये भवन . .	५	२१,००० ० ०
३४—पंचायतघर और सामूहिक केन्द्र . .	४	
३५—बनाई गई कच्ची सड़क . .	१३ मील २ फ०	२२० ० ०
३६—बनाई गई पुलियों की संख्या . .	७	३,०९५ ० ०
३७—पशुओं के अस्पताल	१	२४,००० ० ०
३८—अस्पताल का विस्तार	१	२५,००० ० ०
३९—कच्ची सड़क की मरम्मत . .	२३ मील	
४०—खोले गये सूचना केन्द्र	१	२,८१५ २ ०
४१—खोले गये सामुदायिक केन्द्र . .	१२	२,५८० ० ०
४२—गश्ती लाइब्रेरियां और वाचनालय . .	५५	२,२१६ ६ ६
४३—बालिगों के लिये शिक्षा केंद्र . .	५७	२३,३८७ १५ ०
४४—बालिग जिन्हें शिक्षित बनाया गया . .	३,७२०	
४५—बनाये गये अखाड़ों की संख्या . .	३२	
४६—खोले गये कोआपरेटिव सीड स्टोर्स . .	६	
४७—चलाए गये ईंटों के भट्ठे . .	६	३०,००० ० ०
४८—दस्तकारी आदि सिखाने के केन्द्र . .	३२	३८८ ६ ०
४९—उन्नतिशील कोल्हू जिनका वितरण किया गया	१७	६,६५० ० ०

— नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४३२ पर।)

पृष्ठ १

जिला प्लानिंग कमेटी नैनीताल की सन् १९५२–५३, ५३–५४ और ५४–५५ की आय का विवरण—

१९५२–५३

	रु०	आ०	पा.
१—जल-व्यवस्था	२२,०००	०	०
२—शारीरिक सम्बर्धन	१,०००	०	०
३—शिक्षा अनुदान	१,०००	०	०
४—आत्म निर्भरता अनुदान	२३,५००	०	०
५—हरिजन उत्थान	१,०००	०	०
योग ..	४८,५००	०	०

१९५३–५४

१—आत्मनिर्भरता	२०,०००	०	०
२—जल व्यवस्था	२५,१५०	०	०
	१२,५००	०	०
३—संचारण	२,५२,०००	०	०
४—वन रोपण	३५,०००	०	०
५—हरिजन मकान सुधार	६००	०	०
६—शारीरिक सम्बर्धन	१,८००	०	०
७—स्थानीय विकास कार्य केन्द्रीय सरकार से प्राप्त ..	८६,८६२	०	०
८—स्थानीय विकास कार्य राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड रुद्रपुर	२५,०००	०	०
९—स्थानीय विकास कार्य राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड सरगाखेत	१२,६३०	०	०
१०—जन-स्वास्थ्य	४,५००	०	०
११—शिक्षा अनुदान	१०,४००	०	०
१२—हरिजन उत्थान	३,०००	०	०
१३—मटेला जल कल प्रागंण को चित्ताकर्षक बनाने व उद्यान लगाने हेतु अनुदान	३,०७०	०	०
योग ..	४,९२,५१२	०	०

पृष्ठ २

जिला नियोजन समिति नैनीताल की सन् १९५४–५५ की आय का विवरण—

	रु०	आ०	पा०
१—शारीरिक सम्बर्धन	४००	०	०
२—शिक्षा अनुदान	५००	०	०
३—आत्म-निर्भरता	८५,०००	०	०
४—जन-स्वास्थ्य	१,५००	०	०
योग ..	८७,४००	०	०

मोहन चन्द्र जोशी,
पी० सी० एस०
जिला नियोजन अधिकारी,
नैनीताल ।

पृष्ठ ३

जिला नियोजन समिति नैनीताल का सन् १९५२–५३, ५३–५४ और ५४–५५ का खर्चे का विवरण —

१९५२–५३

	रु०	आ०	पा
१—प्रदर्शनी	२,५००	०	०
२—विकास शिविर	३००	०	०
३—उपकरण, औजार	१४६	१४	०
४—पंचायत-घर	२,०८०	०	०
५—प्रकीर्ण व्यय	५०	०	०
६—शिक्षा	२७९	६	०
७—शारीरिक सम्बर्धन	४,३३५	६	०
८—हरिजन मकान सुधार	१,४२०	०	०
९—हरिजन विकास	९२०	०	०
१०—जल व्यवस्था	१,४४३	०	०
योग ..	१३,४७४	१०	०

१९५३–५४

	रु०	आ०	पा०
१—प्रदर्शिनी	५००	०	०
२—विकास-शिविर	५००	०	०
३—श्रमदान	५७४	१३	६
४—पंचायत-घर	११,७५६	५	०
५—प्रकीर्ण व्यय कीर्तन भवन, राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड उदघाटन इत्यादि ..	१,३०८	०	०
६—शिक्षा	१७४	१०	०
७—मुर्ग पालन	४००	०	०
८—मार्ग निर्माण	३३५	०	०
९—गांधी चबूतरा	१६०	०	०
१०—शारीरिक सम्बर्धन	१,१३८	३	०
११—हरिजन सुधार	२,०८६	०	०
१२—संचारण	४८,९६९	४	०
१३—हरिजन उत्थान	१,१३०	११	९
१४—जल व्यवस्था	९,४८१	१४	०
योग ..	७८,६१४	१३	३

१९५४–५५

	रु०	आ०	पा०
१—प्रदर्शिनी	७३३	०	०
२—वन-रोपण	३४२	६	०
३—श्रमदान	२,०५०	०	०
४—पंचायत-घर	९,५२२	११	६
५—प्रकीर्ण-व्यय	१,२८९	१	०
६—शिक्षा	१,६९२	८	३
	९,९७५	०	०
७—मार्ग निर्माण	५००	०	०
८—गांधी चबूतरा	२२०	०	०
९—शारीरिक सम्बर्धन	१,६१०	५	०
१०—हरिजन मकान सुधार	२५०	०	०
११—संचारण	८००	०	०
१२—हरिजन उत्थान	८११	१२	०
१३—जल व्यवस्था	८,८०२	११	०
योग ..	३८,५९९	६	९

मोहन चन्द्र जोशी,
पी० सी० एस०
जिला नियोजन अधिकारी,
नैनीताल।

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न २० व २१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४३५ पर।)

पर्वतीय क्षेत्रों में कम्युनिट प्रोजेक्ट में काम करने वाले कर्मचारियों की सूची
(३० दिसम्बर १९५४ तक)

जिला स्तर के कर्मचारी	अल्मोड़ा	गढ़वाल	टेहरीगढ़वाल	देहरादून
१--चीफ अकाउन्टेंट कम हैड किलर्क	१	१	१	१
२--सीनियर किलर्क	१	१	..	१
३--अकाउन्टेंट	१	..	१	..
४--स्टोनोग्राफर	१	१	..	१
५--जूनियर क्लिर्क	३	१	..	१
६--चपरासी	६	१	१	२

ब्लाक स्तर के कर्मचारी	गरूड़ ब्लाक	कपकोट ब्लाक	थराली ब्लाक	मिलगंना ब्लाक	चकराता ब्लाक
१--डिप्टी प्रोजेक्ट इकजिक्यूटिव आफिसर	१	१	१	१	१
२--हेड क्लर्क कम अकाउन्टेंट	१	१	१	..	१
३--सीनियर क्लर्क	१	१	१	..	१
४--स्टेनोग्राफर	१	१	..	..	१
५--असिस्टेंट प्रोजेक्ट इक्जिक्यूटिव आफिसर	४	३	४	२	४
६--ग्राम सेवक	१२	१२	१२	१२	१२
७--जीप के ड्राइवर	२	१	१	..	१
८--कम्पाउन्डर पशुओं के लिये	१	..	१	..	..
९--स्टाकमैन	१	..	..	..	..
१०--मेडिकल आफिसर	१	..	१	..	..
११--हेल्थ विजिटर	१	..	..	..	..
१२--दाइयां	३	२	१	..	२
१३--चपरासी	५	५	५	३	३
१४--चौकीदार	१	१	१	..	१
१५--सीड स्टोरों के लिये कामदार	..	..	२	..	२
१६--स्टोर कीपर	१	१	१	..	१
१७--असिस्टेंट प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव आफिसर जंगलात	..	..	..	..	१
१८--असिस्टेंट डेवलपमेंट आफिसर	५	५	३	१	१
१९--फील्ड टीचर्स	१०	१०	८	..	११
२०--सिनमा आपरेटर	१	..	१	१	१
२१--ओवरसियर	१	१	१	..	..
२२--मास्टर फिलेयर	२	१	३	..	..

सामुदायिक विकास योजना गरुड़ जिला अल्मोड़ा में किये गये विशेष कार्यों की सूची (३० सितम्बर, १९५४ तक)

क्रम संख्या	विवरण	वास्तविक कार्य के आंकड़े
	सिंच.ई	
१	सिंच.ई के अन्तर्गत लाया गया अतिरिक्त क्षेत्र	१,३०७ एकड़
	कृषि	
२	वितरण किये गये उन्नतिशील बीज का परिणाम	१,८३४ मन
३	बीज जो खरीदा और उगाहा गया	२२७ मन
४	प्रदर्शनों की संख्या	१,३१८ मन
५	रासायनिक खाद जो वितरित की गई	३५९ मन
६	हरी खाद के बीज जो वितरित किये गये	५ मन
	उद्यान अथवा बागबानी	
७	नये उद्यानों का बढ़ा हुआ क्षेत्र (एकड़ों में)	१४२
८	बोये गये फलों के वृक्षों की संख्या	२१,६१७
९	बोये गये ईधन के वृक्षों की संख्या	८,०७४
१०	वितरित किये गये तरकारी के बीज की मात्रा (पौंड)	२२३
११	वितरित किये गये आलू के बीज की मात्रा (मन)	२३५
१२	अतिरिक्त क्षेत्र जिसमें तरकारी बोई गई (एकड़)	१४४
	भूमि को, कृषि योग्य बनाना	
१३	कृषि योग्य बनाई हुई भूमि का क्षेत्र (एकड़)	१३३
	पशु पालन	
	वितरित उन्नतिशील पशुओं की संख्या—	
१४	गाय व भैंस	१५
१५	सांड़	१२
१६	अन्य	..
१७	पक्षी	३४७
१८	चिकित्सिक पशुओं की संख्या	११,०२२
१९	टीका लगाये गये पशुओं की संख्या	६४०
	शिक्षा तथा सांस्कृतिक कार्य	
२०	शिक्षित किये गये प्रौढ़ों की संख्या	२०१
२१	चालू किये गये पुस्तकालयों की संख्या	७
२२	चालू किये गये सामूहिक केंद्रों की संख्या	१७
	सामूहिक कार्य	
२३	निर्मित भवनों की संख्या	८२
२४	सड़कों का निर्माण	
	कच्ची	१२ मील ७ फर्लांग
	पक्की	२६ मील ३ फर्लांग
२५	सड़कों की मरम्मत	
	कच्ची	१४३ मील २ फर्लांग
	पक्की	..

क्रम संख्या	विवरण	वास्तविक कार्य के आंकड़े
	जनस्वास्थ्य	
२६	निर्मित शुद्ध जल कूप हैन्ड पम्प सहित	१३७
२७	व्यक्ति जिनके टीके और सुइयां लगाई गई उनकी संख्या	६,८६६
२८	वह ग्राम जहां मलेरिया से बचने की दवा छिड़की गई उसकी संख्या	४६
२६	व्यक्ति जिनका इलाज किया गया	५,७२८

सामुदायिक विकास योजना कपकोट जिला अलमोड़ा में किये गये
विशेष कार्यों की सूची (३० सितम्बर, १६५४ तक,)

	सिंचाई		
१	सिंचाई के अन्तर्गत लाया गया अतिरिक्त क्षेत्र	३२१	एकड़
	कृषि		
२	वितरण किये गये उन्नतिशील बीज का परिमाण	७,२६६	मन
३	बीज जो खरीदा और उगाया गया	१५०	मन
४	प्रदर्शनों की संख्या	४१६	
५	रसायनिक खाद जो वितरित की गई	१६	मन
६	हरी खाद के बीज जो वितरित किये गये	१	मन
	उद्यान अथवा बागवानी		
७	नये उद्यानों का बढ़ा हुआ क्षेत्र (एकड़ों में)	८३	
८	बोये गये फलों के वृक्षों की संख्या	२०,७७३	एकड़
६	बोये गये ईंधन के वृक्षों की संख्या	७,१७४	
१०	आरम्भ की गई फल व तरकारी की पौधशालाओं की संख्या	५३	
११	वितरित किये गये तरकारी के बीज की मात्रा (पौंड)	४५	
१२	वितरित किये गये आलू की मात्रा (मन)	६	
१३	अतिरिक्त क्षेत्र जिसमें तरकारी बोई गई (एकड़)	४५	
	भूमि को कृषि योग्य बनाना		
१४	कृषि योग्य बनाई गई भूमि का क्षेत्र	६२	एकड़
	पशु-पालन		
	वितरित उन्नतिशील पशुओं की संख्या		
१५	गाय व भैंस		
१६	सांड	५	
१७	अन्य	..	
१८	पक्षी	..	
१६	चिकित्सित पशुओं की संख्या	२,०६६	
२०	टीका लगाये गये पशुओं की संख्या	३६०	
	शिक्षा तथा सांस्कृतिक कार्य		
२१	चालू किये गये पुस्तकालयों की संख्या	८	
२२	चालू किये गये सामूहिक केंद्रों की संख्या	४	

क्रम संख्या	विवरण	वास्तविक कार्य के आंकड़े
	सामूहिक कार्य	
२३	निर्मित भवनों की संख्या	५
२४	सड़कों का निर्माण—	
	कच्ची	२० मील ५ फर्लांग
	पक्की	५ मील ६ फर्लांग
२५	सड़कों का मरम्मत (मील फर्लांग में)	
	कच्ची	५७ मील १ फर्लांग
	पक्की	८ मील
	जन-स्वास्थ्य	
२६	निरमित शुद्ध जल कूप "हैंड पम्प सहित" (संख्या)	५१
२७	व्यक्ति जिनके टीके और सुइयां लगाई गई	२,९३६
२८	मलेरिया निरोधक छिड़काव	
	(अ) ग्रामों की संख्या	१
	(ब) चिकित्सित मनुष्यों को संख्या	३,८९६

सामुदायिक विकास योजना थराली, जिला गढ़वाल में किये गये विशेष कार्यों की सूची (३० सितम्बर, १९५४ तक)

	सिंचाई		
१	सिंचाई के अन्तर्गत लाया गया अतिरिक्त क्षेत्र	१,२१३	एकड़
	कृषि		
२	वितरण किये गये उन्नतिशील बीज का परिमाण	२६२	मन
३	प्रर्दशनों की संख्या	४४७	
४	रासायनिक खाद जो वितरित की गई	१०	
	उद्यान अथवा बागवानी		
५	नये उद्यानों का बढ़ा हुआ क्षेत्र (एकड़ों में)	६६	
६	बोये गये फलों के वृक्षों की संख्या	२१,७३७	
७	बोये गये ईंधन के वृक्षों की संख्या	५७,६४६	
८	आरम्भ की गई फल व तरकारी की पौधशालाओं की संख्या	४०	
९	वितरित किये गये तरकारी के बीज की मात्रा (पौंड)	१३	
१०	वितरित किये गये आलू के बीज की मात्रा (मन)	७७	
११	अतिरिक्त क्षेत्र जिसमें तरकारी बोई गई (एकड़)	३२	
	पशु पालन		
	वितरित उन्नतिशील पशुओं की संख्या—		
१२	सांड	२	
१३	अन्य	६०	
२४	पक्षी	१९०	
१५	चिकित्सित पशुओं की संख्या	६,५७१	
१६	टीका लगाये गये पशुओं की संख्या	४४	

क्रम संख्या	विवरण	वास्तविक कार्य के आंकड़े
	शिक्षा तथा सांस्कृतिक कार्य	
१७	शिक्षित किये गये प्रौढ़ों की संख्या	३३९
१८	चालू किये गये पुस्तकालयों की संख्या	२२
१९	चालू किये गये सामूहिक केन्द्रों की संख्या	१४
	सामूहिक कार्य	
२०	निर्मित भवनों की संख्या	४
२१	सड़कों का निर्माण	
	कच्ची	१४६ मील
	पक्की	९ मील ५ फ०
२२	सड़कों की मरम्मत (मील फर्लांग में)	
	कच्ची	१४० मील ७ फ०
	पक्की	
	जन-स्वास्थ्य	
२३	निर्मित शुद्ध जल कूप "हैन्ड पम्प सहित" (संख्या)	५२
२४	मनुष्य जिनके टीके और सुइयां लगाई गईं	७,१०६
२५	मलेरिया निरोधक छिड़काव--	
	(अ) ग्रामों की संख्या	१
	(ब) चिकित्सित मनुष्यों की संख्या	३,७५९

सामुदायिक विकास योजना भिलंगना, जिला टेहरी गढ़वाल में किये गये विशेष कार्यों की सूची (३० सितम्बर, १९५४ तक)

क्रम संख्या	विवरण	वास्तविक कार्य के आंकड़े
	सिंचाई	
१	सिंचाई के अन्तर्गत लाया गया अतिरिक्त क्षेत्र	३२६ एकड़
	कृषि	
२	वितरण किये गये उन्नतिशील बीज का परिमाण (मनों में)	१४५
३	बीज जो खरीदा और उगाया गया	३०
४	प्रदर्शनों की संख्या	४१
	उद्यान अथवा बागवानी	
५	नये उद्यानों का बढ़ा हुआ क्षेत्र (एकड़ों में)	२६
६	बोये गये फलों के वृक्षों की संख्या	३,०००
७	आरम्भ की गई फल व तरकारी की पौधशालाओं की संख्या	१
८	वितरित किये गये तरकारी के बीज की मात्रा (पौंड)	३८
९	अतिरिक्त क्षेत्र जिसमें तरकारी बोई गई (एकड़)	३५
	पशु-पालन	
१०	चिकित्सित पशुओं की संख्या	९

क्रम संख्या	विवरण	वास्तविक कार्य के आंकड़
	शिक्षा तथा सांस्कृतिक कार्य	
११	चालू किये गये पुस्तकालयों की संख्या	१
१२	चालू किये गये सामूहिक केन्द्रों की संख्या	१
	सामूहिक कार्य	
१३	निर्मित भवनों की संख्या	५
१४	कच्ची सड़कों का निर्माण	३ मील
१५	कच्ची सड़कों की मरम्मत	४५ मील, ६ फ०
	जन-स्वास्थ्य	
१६	निर्मित शुद्ध जल कूप "हैन्ड पम्प सहित" (संख्या)	१५
१७	मनुष्य जिनके टीके और सुइयां लगाई गईं	२४
१८	ग्रामों की संख्या जिनमें मलेरिया से बचने की दवा छिड़की गई	२

सामुदायिक विकास योजना चकराता (देहरादून) में किये गये विशेष कार्यों की सूची (३० सितम्बर, १९५४ तक)

क्रम संख्या	विवरण	वास्तविक कार्य के आंकड़े
	सिंचाई	
१	सिंचाई के अन्तर्गत लाया गया अतिरिक्त क्षेत्र	१३८ एकड़
	कृषि	
२	वितरण किये गये उन्नतिशील बीज का परिमाण (मनों में)	७१५
३	बीज जो खरीदा और उगाया गया	१,११२
४	प्रदर्शनों की संख्या	२२३
५	रासायनिक खाद जो वितरित की गई	१०३ मन
६	हरी खाद के बीज जो वितरित किये गये	२ मन
	उद्यान अथवा बागवानी	
७	नये उद्यानों का बढ़ा हुआ क्षेत्र (एकड़ों में)	५
८	बोये गये फलों के वृक्षों की संख्या	९,८४५
९	बोये गये ईंधन के वृक्षों की संख्या	३२,५४८
१०	आरम्भ की गई फल व तरकारी की पौधशालाओं की संख्या	१
११	वितरित किये गये तरकारी के बीज की मात्रा (पौंड)	५१
१२	वितरित किये गये आलू के बीज की मात्रा (मन)	५७१
१३	अतिरिक्त क्षेत्र जिसमें तरकारी बोई गई (एकड़)	९८
	भूमि को कृषि योग्य बनाना	
१४	कृषि योग्य बनाई गई भूमि का क्षेत्र (एकड़)	१००
	पशु-पालन	
	वितरित उन्नतिशील पशुओं की संख्या	
१५	गाय व भैंस	०
१६	सांड़	३
१७	अन्य	१४८

क्रम संख्या	विवरण	वास्तविक कार्य के आंकड़े
१८	पक्षी	२४
१६	चिकित्सित पशुओं की संख्या	५,६५१
२०	टीका लगाये गये पशुओं की संख्या	६,१२१
	शिक्षा तथा सांस्कृतिक कार्य	
२१	शिक्षित किये गये प्रौढ़ों की संख्या	
२२	चालू किये गये पुस्तकालयों की संख्या	१६
२३	चालू किये गये सामूहिक केन्द्रों की संख्या	२३
	सामूहिक कार्य	
२४	निर्मित भवनों की संख्या	१५
२५	सड़कों का निर्माण--	
	कच्ची	६४ मील
	पक्की	२ फर्लांग
२६	सड़कों की मरम्मत--	
	कच्ची	१५४ मील
	पक्की	
	जन-स्वास्थ्य	
२७	निर्मित शुद्ध जल कूप, "हैन्ड पम्प सहित" (संख्या)	४
२८	मनुष्य जिनके टीके और सुइयां लगाई गईं	७,२४६
२६	वह ग्राम जहां मलेरिया से बचने की दवा छिड़की गई	३३

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के कम्युनिटी प्रोजेक्ट केन्द्रों में (३० सितम्बर, १६५४ तक) होने वाले कुल व्यय की सूची

मदें	गरुड़ ब्लाक	कपकोट ब्लाक	थरालो ब्लाक	चकराता ब्लाक	भिलंगना ब्लाक
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
१--प्रोजेक्ट हेडक्वार्टर	१,६१,०००	१,१५,०००	१,४५ ०००	६६,०००	३८,०००
२--कृषि प्रसार तथा पशुपालन	१,०७,०००	४२,०००	१,०८,०००	६१,०००	२७,०००
३--सिंचाई	८२,०००	८४,०००	८४,०००	..	..
४--कृषि योग्य बनाई गई भूमि	..	..	..	४,०००	..
५--स्वास्थ्य तथा गांव की सफाई	३८,०००	३५,०००	५६,०००	२८,०००	२०,०००
६--शिक्षा	२१,०००	३२,०००	५२,०००	११,०००	६,०००
७--सामाजिक शिक्षा	५५,०००	३४,०००	२६,०००	२४,०००	३,०००
८--यातायात	३,२५,०००	२,१३,०००	२,२१,०००	४३,०००	८७,०००
६--ग्रामीण कला, हस्तकला और उद्योग	५४,०००	३६,०००	३५,०००	४,०००	८,०००
कुल व्यय . .	८,४३,०००	५,६१,०००	७,३०,०००	२,७१,०००	१,८६,०००

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४३६ पर)

अलीगंज कम्युनिटी प्रोजेक्ट ब्लाक, एटा में (३० सितम्बर, १९५४ तक) होने वाले कामों की सूची

१--सिंचाई के अन्तर्गत बढ़ाया गया क्षेत्र	..	८,२२३	एकड़
२--अच्छी किस्म के बीजों का वितरण	..	५,४६५	मन
३--किये गये डिमांस्ट्रेशनों की संख्या	..	१,८८७	
४--रासायनिक खाद का वितरण	..	७४९६	मन
५--हरी खाद के बीजों का वितरण	..	२७१	मन
६--नये बगीचों के अन्तर्गत बढ़ाया गया क्षेत्र	..	१२६	एकड़
७--बोये गये फलदार पेड़ों की संख्या	..	२३,२४१	
८--लगाये गये ईंधन के पेड़ों की संख्या	..	६,१७०	
९--फलों और तरकारियों की चालू की गई पौधशालायें	..	१९	
१०--तरकारियों के बीजों का वितरण	..	६२	पौंड
११--आलू का वितरण	..	३७४	मन
१२--अतिरिक्त क्षेत्र जिसमें तरकारियां बोई गईं	..	१२८	एकड़
१३--वह क्षेत्र जिसमें कृषि योग्य बनाया गया	..	४२३	एकड़
१४--अच्छी नस्ल के बांटे गये मवेशियों की संख्या--			
(अ) गाय और भैंस	..	२४	
(ब) सांड़	..	७	
(त) दूसरे पशु	..	२८	
(थ) चिड़ियां	..	१३९	
१५--चिकित्सान्वित पशुओं की संख्या	..	३,४३०	
१६--मवेशी जिनके टीके और सुइयां लगाई गईं	..	४७,३५२	
१७--बालिगों के लिये शिक्षा केन्द्र	..	३४	
१८--बलिगों की संख्या जिन्हें शिक्षित बनाया गया	..	३७६	
१९--खोली गई पुस्तकालयों की संख्या	..	८६	
२०--चलाये गये सामुदायिक केन्द्रों की संख्या	..	२५	
२१--बालिग जिन्हें शिक्षा दी जा रही है उनकी संख्या	..	८३०	
२२--बनाई गई इमारतों की संख्या	..	१५४	
२३--बनाई गई कच्ची सड़कें	..	३२	मी० २ फर्लांग
२४--कच्ची सड़कों की मरम्मत	..	१६	मी० ६ फर्लांग
२५--बनाये गये सैनिटरी कुओं की संख्या (हाथ पम्प समेत)	..	३४	
२६--जिनके सुइयां और टीके लगाए गए उनकी संख्या		२४,७७६	
२७--उन मकानों की संख्या जिनमें मलेरिया से बचने की दवा छिड़की गई		८४	
२८--उन ग्रामों की संख्या जिनमें मलेरिया से बचने की दवा छिड़की गई		७	
२९--चिकित्सा किये गये मनुष्यों की संख्या	..	४०,४१	
३०--ईंटों के भट्ठों की संख्या	..	४	
३१--बनाई गई ईंटों की संख्या	..	२४	लाख

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न २७ व २८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४३७ पर)

कासिमाबाद सामुदायिक विकास केन्द्र जिला गाजीपुर में बनाये गये भवनों तथा उन पर किये गये व्यय की सूची

क्रम-संख्या	बनाये गये भवनों का नाम	संख्या	व्यय
			रु०
१	ग्रूप लेविल वर्करों के लिये क्वार्टर ..	७	२८,०००
२	डिप्टी प्रोजेक्ट इक्जिक्यूटिव आफिसर के लिये क्वार्टर	१	७,०००
३	ग्राम सेवकों के लिये क्वार्टर ..	३	६,०००
४	सूचना केन्द्र के कार्यालय और ग्राजों के भवन	१	१५०००
५	ट्रैक्टरों के लिये गैरेज और कारखाने का भवन	१	६,०००
६	कृत्रिम गर्भाधान के भवनों के लिये शेड	..	१०,०००
७	मवेशियों का चिकित्सालय ..		६,०००
८	आदमियों के लिये अस्पताल ..	..	३५,०००

सामुदायिक विकास केन्द्र, कासिमाबाद में किये गये खर्च की सूची

क्रम-संख्या	मदें	१९५२–५३			१९५३–५४			१९९५४–५५			कुल व्यय		
		रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०
१	प्राजेक्ट हेडक्वार्टर	७७,०४८	९	३	१,११,८३३	१५	६	३७,३२६	७	३	२,२६,२०९	०	०
२	कृषि प्रसार	१२,६५६	१५	०	५३,५०५	२	३	१,९८,९१५	३	०	२,६५,०७७	४	३
३	पशुपालन	७,४०६	७	०	३६,३१०	३	३	७४४	८	३	४४,४६१	२	६
४	सिंचाई	२०,००,०	०	०	१,४०,०००	०	०				१,६०,०००	०	०
५	चिकित्सा	६,५५७	४	३	४२,४९६	७	९	१,२१०	१०	०	५०,२७४	६	०
६	स्वास्थ्य	२०,०००	०	०	२३,४३५	९	३	१,५६२	१४	३	४४,९९८	७	६
७	शिक्षा	१४,८५२	३	०	३८,३६४	३	३	७,९४०	१४	०	६१,१५७	४	३
८	सामाजिक शिक्षा	१३,९४९	१	०	२७,३२५	१२	६	४,७८८	१५	०	४६,०६३	१२	६
९	कलायें, दस्तकारियां और उद्योग ..	१०,०००	०	०	६४,६८४	३	०	१,३२५	५	९	७६,००९	८	९
१०	ट्रेनिंग							१,४७२	१०	०	१,४७२	१०	०
११	दूसरे खर्च	३५,००२	०	०	१,०८,३४१	१	०	६००	०	०	१,४३,९४३	१	०
	योग ..	२,१७,४८२	७	६	६,४६,२९६	९	९	२,५५,८८७	७	६	११,१९,६६६	८	९

उत्तर प्रदेश विधान सभा

कासिमाबाद सामुदायिक विकास केन्द्र जिला गाजीपुर में होने वाले कार्यों की सूची

अ--सिंचाई--

१--लगाये गये ट्यूबवेलों की संख्या	..	४	
२--बनाये गये नये कुओं की संख्या	..	६५	
३--मरम्मत किये गये पुराने कुओं की संख्या	..	६०	
४--कुवें जिनमें बोरिंग की गई उनकी संख्या	..	७०	
५--ब्लाक में लगाये गये पम्पिंग सेटों का संख्या	..	२	
६--गहरे किये गये तालाबों का संख्या	..	१२६	
७--बन्ध और बन्धियां जो बनाई गयीं	..	१ १/२	मील

ब--कृषि--

१--रबी की फ़सल में बोए जाने वाले अच्छे किस्म के बीज जो बांटे गये ..	..	५,४५०	मन
२--खरीफ की फसल में बोये जाने वाले बीज जो बांटे गए		२,३७०	मन
३--१,००० एकड़ क्षेत्र में किये जाने वाले डिमांसट्रेशनों की संख्या		२५२३	
४--वितरण की गई रासायनिक खाद	..	३,४२५	मन
५--वितरण किये गये अच्छे किस्म के औजार	..	१६६	
६--वितरण की गई हरी खाद ..	..	२७०	मन

त--वृक्षारोपण तथा बागात ---

१--लगाये गये फलदार पेड़ों की संख्या	..	६,३८८	
२--लगाये गये ईंधन के पेड़ों की संख्या	..	३०,७५८	
३--खोली गई पौधशालाओं की संख्या	..	२५	
४--२७ एकड़ जमीन पर लगाया हुआ बाग	..	१	
५--आलू के बोये गये बीज ..	..	२७६	मन

थ--भूमि को कृषि योग्य बनाना ---

१--कृषि योग्य बनाई भूमि का क्षेत्र	..	५५	एकड़
२--ऊसर जमीन जिस पर हौज बंदी बनाकर खेती की गई	..	२८६	एकड़

क--पशुपालन --

१--मवेशियों के लिये खोला गया चिकित्सालय	..	१	
२--खोले गये पोलट्री सेन्टरों की संख्या	..	१	
३--खोले गये स्टेड रेम सेन्ट्रों की संख्या	..	१	
४--अच्छी नस्ल के बांटे जाने वाले मवेशियों की संख्या --	..		
(अ) गायें ..	..	१२	
(ब) भैंस ..	..	१७	
(त) सांड़ ..	..	३०	
(थ) भैंसें ..	..	२	
५--कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र ..	..	१	
६--पशु जिनके टीके लगाये गये	..	३,२३,६४६	
७--वह पशु जिनका इलाज किया गया	..	८,४५२	

ख--सामूहिक कार्य--

१--ईंटों के भट्ठे जिन्हें क्षेत्र में चलाया गया	..	४	
२--बनाई गई ईंटों की संख्या ..	..	५८	लाख
३--चालू की गई सामूहिक पौधशालायें	..	१	
४--खोले गये सीड स्टोर ..	..	२	
५--खोले जाने वाले सीड स्टोर	..	२	
६--चालू किया गया सामूहिक कृषि फार्म	..	१	
७--बांटी गई गुड़ भट्ठियों की संख्या ..	..	१३८	
८--अच्छे किस्म के कोल्हू का वितरण	..	१५	
९--आर्थिक सहायता द्वारा बांट गये चर्खे	..	१००	

ग--हरिजनों को सहायता--

१--हरिजन जिन्हें मकान बनाने के लिये सहायता दी गई उनकी संख्या ..	..	४८	
२--हरिजनों के लिये बनाये गये पानी पीने के कुयें	..	४	
३--हरिजनों के लिये खोले गये स्कूल	..	२	

घ--जन-स्वास्थ्य--

१--बनाये गये पानी पीने के कुयें ..	..	३९	
२--हाथ पम्प ..	..	५६	
३--गुसलखाने ..	..	६७	
४--पक्की नालियां ..	..	८१७	गज
५--सोख्ते ..	..	९७६	
६--ग्रामों में पक्की सड़कें ..	..	५००	गज
७--ग्रामीण भवन जिनमें सफ़ाई की गई	..	१०,८४४	
८--व्यक्ति जिन्हें कालरा से बचने के टीके लगाये गये	.	१०,३५१	
९--व्यक्ति जिनके काऊ पाक्स से बचने के टीके लगाये गये	..	१४,७५३	
१०--भवन जिनमें मलेरिया से बचने की दवा छिड़की गई	..	३४१	

द--सामूहिक शिक्षा--

खोले गये सोशल वेलफेयर सेंटर ..	..	५१	
खोले गये बालिगों के रात के स्कूल	..	५६	

ध--पब्लिक वर्क्स--

बनाई गई कच्ची सड़कें ..	५५ मील, ५ फर्लांग	१२५	गज
सड़क जिसकी मरम्मत की गई ..	४३ मील		

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४३७ पर)

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जिला बस्ती की डुमरियागंज तहसील में किये जाने वाले कार्यों का विवरण

तहसील डुमरियागंज जिला बस्ती में २ अक्तूबर, १९५३ को एक राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड खोला गया है जिसका केन्द्र ग्राम भनवापुर है। इस सेवा खंड में २१० ग्राम सम्मिलित हैं जिनकी जन-संख्या ६९,५८९ है। इस सेवा खंड द्वारा सिंचाई, कृषि, पशु-पालन, जन-स्वास्थ्य, सामाजिक एवं निर्माण के सराहनीय अनेक कार्य किये जा रहे हैं।

सिंचाई--इस तहसील में सिंचाई के मुख्य साधन नदी तथा तालाब हैं। सिंचाई कुंओं से भी होती है। राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड द्वारा सिंचाई के साधनों की उन्नति के लिये लगभग एक लाख रुपया व्यय किया जायगा। परामर्शदात्री समिति ने दिनांक २९-९-५४ की बैठक में बूढ़ी राप्ती से एक नहर निकालने के लिए एक प्रस्तावना की है। इसी योजना के साथ लेंवड़ ताल से नहर निकालने की योजना पर भी विचार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त पक्के कुओं के बनवाने की योजना के अन्तर्गत किसानों को सुविधा दी जा रही है। पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस तहसील में २० राजकीय एवं सहकारी नलकूप बनाने का लक्ष्य है। कुंओं की बोरिंग के लिए भी तकावी सहायता उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त पिछले वर्ष इस तहसील को चार पंपिंग प्लांट तकावी पर दिये गये हैं।

कृषि--इस तहसील के केन्द्रीय स्थान डुमरियागंज पर एक बेसिक बीज गोदाम है। इसके अतिरिक्त इस तहसील में बढ़नी, सेमरी, सोहना, भनवापुर, खुरहुरिया, परसा और मानपुर में बीज भंडार हैं। इसके अतिरिक्त और भी बीज भंडार खोलने की योजना विचाराधीन है। इन बीज भंडारों से किसानों को उन्नतिशील बीज, खाद एवं कृषि के औजार देने का प्रबन्ध है। पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस तहसील से ५०० एकड़ भूमि लेंवड़ ताल से रिक्लेम करने का लक्ष्य है।

पशु-पालन--उन्नतिशील पशु रखने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पिछले वर्ष राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड योजना के अन्तर्गत किसानों को ४,००० रु० के दूध देने वाले पशु पंजाब से मंगाये गये। अगले दो वर्षों में पूरे जिले में ३०० सांड़ और १५० भैंसों के मंगाने का लक्ष्य है जिसमें तहसील डुमरियागंज का विशेष भाग होगा। इस तहसील में एक कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र भी खोलने की योजना है। इसके अतिरिक्त पशुओं को रोगों से बचाने के लिये अधिक से अधिक संख्या में टीका लगाये जाने का आयोजन है और तहसील डुमरियागंज में लगभग ४०,००० टीके अगले दो वर्षों में लगाये जाने का लक्ष्य है।

स्वास्थ्य--इस तहसील में अंग्रेजी दवाखाने डुमरियागंज, कटेला इटवा, तथा बढ़ना में हैं, इसके अतिरिक्त यूनानी तथा जिला बोर्ड के दवाखाने कादिराबाद, सोहना, भानपुर, भरवटिया, सेमरी, खानकोट तथा गौराबाजार में हैं। इसके अतिरिक्त भनवापुर में भी दवाखाना खोलने की योजना विचाराधीन है। राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड में एक कुष्टाश्रम भी स्थापित किया गया है। क्योंकि इस क्षेत्र में कुष्ट रोग की भी अधिकता है। मलेरिया के दिनों में मलेरिया

निरोधक औषधियों के वितरण का प्रबन्ध किया जाता है और इस तहसील में नेत्र के रोगियों की औषधि के लिए वर्ष में एक बार नेत्र चिकित्सा शिविर भी सीतापुर आंख अस्पताल के अनुभवी डाक्टरों की देखरेख में चलाने का आयोजन है। इस तहसील में शीघ्र ही लगभग ६ प्रसूति केन्द्र स्थापित करने की योजना है।

शिक्षा--राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड के अन्तर्गत इस तहसील में प्रौढ़ शिक्षा तथा सामाजिक शिक्षा का विशेष प्रबन्ध किया गया है। प्रौढ़ शिक्षा के लगभग ३० केन्द्र खोले गये हैं और प्रत्येक केन्द्र पर लगभग ४० शिक्षार्थी प्रतिदिन शिक्षा पाते हैं। इसके अतिरिक्त वर्तमान स्कूलों की भी सहायता का प्रबन्ध है। जूनियर हाई स्कूल सगरा को ४,००० रु० की सहायता दी गई और अन्य शिक्षा संस्थाओं को सहायता का प्रश्न विचाराधीन है।

निर्माण कार्य--श्रमदान द्वारा भी सराहनीय कार्य हो रहे हैं। नई कच्ची सड़कें बनाने और पुरानी सड़कों की मरम्मत का कार्य प्रगतिशील ढंग पर है। इसके अतिरिक्त पुल बनाने तथा अन्य निर्माण कार्य की योजना है।

गृह-उद्योग--इटवा में एक बोन डाइजेश्टर लगाये जाने का आयोजन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त छोटे-छोटे उद्योग धन्धों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सहकारी संघ की ओर से इस तहसील में तीन स्थानों पर ईंट के भट्ठे चल रहे हैं। यह स्थान मानपुर, भनवापुर और डुमरियागंज हैं।

विविध--हरिजन बस्तियों की सफ़ाई, हरिजनों को मकान एवं पानी पीने के कूप निर्माण के लिये सहायता तथा उनकी शिक्षा में सहायता का एवं सरकारी अनुदान का प्रबन्ध किया जा रहा है। पिछले वर्ष लगभग १६५० रु० का अनुदान इस तहसील में हरिजनों के पानी पीने के ६ कूप निर्माण के लिए स्वीकृत किया गया। जिला नियोजन समिति ने अपने सेल्फहेल्प ग्रान्ट से १,५,००० रु० राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड में विशेष रूप से देने का निश्चय किया है।

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३० का उत्तर पीछे पृष्ठ. .४३८. पर ।)

जिला बस्ती की तहसील डुमरियागंज में प्लानिंग विभाग द्वारा सन् १९५३–५४ में किये गये कार्यों का विवरण

इस वर्ष में २ अक्तूबर, १९५३ को तहसील डुमरियागंज में भनवापुर के समीप एक राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड खोला गया। इस योजना में इसी तहसील के २१० ग्राम सम्मिलित हैं जिनकी जन-संख्या ६९,५८९ है। इस योजना का विस्तार तहसील के ९९ वर्ग मील के क्षेत्र में है। यहां पर हर प्रकार की उन्नति का प्रयास हो रहा है।

सिंचाई––उपरोक्त वर्ष में तहसील डुमरियागंज में ५७ पक्के कुएं बनाये गये। इसके अतिरिक्त ३८ कुओं के बनाने के लिए सामग्री दी गई। ६ नलकूप बनाने की तकाबी दी गई तथा ४ पम्पिंग सेट खरीदने की तकाबी दी गई। दो कुओं, एक ग्राम पाउजोत तथा दूसरा ग्राम कमसार में मरम्मत के लिये २६९ रु० तथा ३०० रु० का अनुदान स्वीकार किया गया।

कृषि––किसानों को अधिक से अधिक मात्रा में उत्तम बीज और खाद दिये गये। लगभग ३०० बोरे खाद का वितरण किया गया। किसानों को खेती के उन्नतशील औजार भी दिये गये जिनमें २० चारा काटने की मशीनें तथा लगभग ६० गुरजर हलों का वितरण उल्लेखनीय है। उपरोक्त वस्तुएं तकावी पर दी गईं।

पशु-पालन––७ ब्रीडिंग सेन्टर खोले गये। लगभग ६०० बैलों को बधिया किया गया। इसके अतिरिक्त लगभग ३,५०० पशुओं की चिकित्सा हुई और लगभग १,००० पशुओं को टीके लगाए गए। किसानों के लिये ४,००० रु० की उन्नतिशील गायें और दूध देने वाली भैंसें पंजाब से मंगाई गईं। उपरोक्त धन भी तकावी पर दिया गया।

जन-स्वास्थ्य––राष्ट्रीय विकास सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत इटवा में एक कुष्टाश्रम कुष्ट के रोगियों की चिकित्सा के लिए खोला गया। इसके अतिरिक्त फरवरी १९५३ के दूसरे सप्ताह में एक नेत्र चिकित्सालय शिविर सीतापुर अस्पताल के अनुभवी डाक्टर के संचालन में चला गया। इस शिविर में ४०० रोगियों का इलाज हुआ और १०५ रोगियों के आंख का आपरेशन हुआ। मलेरिया विरोधक दवाइयां बांटी गईं। लगभग २५० कुओं की सफाई की गई।

शिक्षा ––जूनियर हाई स्कूल सगरा के लिए ४,००० रु० का सरकारी अनुदान दिया गया। प्रौढ़ शिक्षा के ३२ केन्द्र खोले गये। सामाजिक शिक्षा कार्य को भी प्रोत्साहन दिया गया और लगभग ४४ मनोरंजन केन्द्र खोले गये।

निर्माण कार्य–– जनता का सहयोग निर्माणकार्य में सराहनीय रहा। श्रमदान कार्य में भनवापुर से चौखड़ा की कच्ची सड़क का निर्माण उल्लेखनीय है। इसके अतिरिक्त छोटे-छोटे पुल भी बने जिनमें आठ पुल राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड में श्रमदान द्वारा बनाये गये और १० पुलियों की मरम्मत की गई।

विविध–– राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड में हरिजनों के १५ मकान बनाने के लिए सरकारी अनुदान दिये गय। इसके अतिरिक्त हरिजनों के पानी पीने के ६ कुओं के लिए १,६५० रु० का सरकारी अनुदान दिया गया।

तहसील की विस्तृत योजना

तहसील डुमरियागंज में भवनापुर ग्राम के आसपास एक राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड २ अक्टूबर, १९५३ को खोला गया है। इस खंड का केन्द्रीय ग्राम भनवापुर है। इस सेवा खंड में २१० ग्राम सम्मिलित हैं जिनकी जन संख्या ६९,५८९ है। इस राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड के अन्तर्गत ग्रामों में सिंचाई कृषि, पशुपालन, जन-स्वास्थ्य, सामाजिक शिक्षा एवं निर्माण कार्य किये जा रहे हैं।

राष्ट्रीय प्रसार योजना के अन्तर्गत इस खंड में एक लाख रुपया सिंचाई के साधनों की उन्नति पर १९५६ ई० तक खर्च होगा। बूढ़ी राप्ती से एक नहर निकालने और लेंवड़ ताल को एक सिंचाई के एवं नहर के साधन के रूप में परिवर्तित करने की योजना विचाराधीन है जिसकी जांच एक्जीक्यूटिव इंजीनियर द्वारा हो रही है। इस योजना के कार्यान्वित होने से लेंवड़ ताल से लगभग ५०० एकड़ भूमि कृषि योग्य उपलब्ध हो जायगी।

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस तहसील में २० राजकीय एवं सहकारी नलकूप बनाने की योजना है। पम्पिंग प्लान्ट को भी जिनकी संख्या निर्धारित नहीं है दिये जाने की योजना है। पिछले वर्ष चार पम्पिंग प्लान्ट इस तहसील को दिये गये हैं। इस वर्ष इस तहसील में १७५ पक्के कुओं के बनाये जाने का लक्ष्य है। इन कुओं को बनाने के लिये ५०० रु० प्रत्येक कुंवें की दर से तकावी उपलब्ध है। कुंवें के तैयार होने पर ३०० रु० प्रति कुंवों की दर से छूट भी दिया जायगा।

कुओं की बोरिंग के लिये भी बिला सूद की तकावी २५० रु० प्रति कूप की दर से उपलब्ध है। इस तहसील को लगभग २० कुंवें या मांगे जाने पर इससे भी अधिक संख्या में कुओं की बोरिंग के लिये उपरोक्त तकावी देने की योजना है।

२--कृषि--इस तहसील के केन्द्रीय स्थान डुमरियागंज में एक उन्नतिशील बीज-भंडार है। इस तहसील में बढ़नी सेमरी, सोइना, भनवापुर, खुरहुरिया, परसा और भानपुर में स्थायी रूप से सहकारी विभाग द्वारा बीज-भंडार खोले गये हैं। एक नया बीज-भंडार कंचनपुर में अभी शीघ्र ही खोला गया है। इसके अतिरिक्त विस्कोडर तथा इटवा में भी नये बीजभंडार खोले जाने की योजना है।

३--पशुपालन--इस तहसील में एक कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र खोलने की योजना है। अगले दो वर्षों में इस तहसील में ४०,००० पशुओं को टीके लगाये जाने का लक्ष्य है। पूरे जिले के लिये ३०० सांड़ और १५० भैंसों के मंगाये जाने की योजना है जिनमें तहसील डुमरियागंज का विशेष भाग होगा। दूध देने वाले उन्नतिशील पशु मंगाये जाने के लिये पिछले वर्ष ४,००० की तकावी दी गई। इस वर्ष भी इतना ही धन तकावी के रूप में दिये जाने की योजना है।

४--स्वास्थ्य--इस तहसील में डुमरियागंज, कठेला, इटवा तथा बढ़नी में अंग्रेजी दवाखाना है। इसके अतिरिक्त यूनानी तथा जिला बोर्ड के दवाखाने कादिराबाद, सोइना भानपुर, भरवटिया, सेमरी खानकोट तथा गौराबाजार में हैं। मानवापुर में एक दवाखाना खोलने की योजना है। राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड में एक कुष्टाश्रम इटवा में खोला गया है। इस तहसील में प्रतिवर्ष एक बार नेत्र-चिकित्सा शिविर, सीतापुर अस्पताल के डाक्टरों की देख-रेख में चलाये जाने की योजना है। शीघ्र ही इस तहसील में ६ प्रसूति केन्द्र स्थापित करने की योजना है।

५--शिक्षा--प्रौढ़ शिक्षा के ३० केन्द्र खोले गये हैं। इसके अतिरिक्त वर्तमान स्कूलों को भी सहायता देने का प्रबन्ध है। जूनियर हाई स्कूल सगरा को ४,००० रु० की सहायता सरकारी अनुदान से दी गई। अन्य शिक्षा संस्थाओं के सहायता का प्रश्न विचाराधीन है।

६--निर्माण कार्य--इस तहसील में भनवापुर स सोइना तक श्रमदान द्वार बनाई गई कच्ची सड़क सराहनीय है। इसके अतिरिक्त श्रमदान कार्य में भनवापुर से चौखड़ा की कच्ची सड़क का निर्माण उल्लेखनीय है। यह सड़क लगभग एक मील लम्बी है। इसके अलावा छोटे-छोटे पुल भी बने जिनमें ८ पुल राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड में श्रमदान द्वारा बनाये गये और १० पुलियों की मरम्मत की गई।

७--गृह उद्योग--इटवा में एक बोन डाइजेस्टर लगाये जाने का आयोजन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त छोटे-छोटे उद्योग-धंधों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सहकारी संघ की ओर से इस तहसील में ३ स्थान पर ईंट के भट्ठे चल रहे हैं। ये स्थान भानपुर, भनवापुर और डुमरियागंज हैं।

८--विविध--हरिजन बस्तियों की सफ़ाई हरिजनों के मकान एवं पानी पीने के कूप निर्माण के लिए सहायता तथा उनकी शिक्षा में सहायता का एवं सरकारी अनुदान का प्रबन्ध किया जा रहा है। पिछले वर्ष लगभग १६५० रु० का अनुदान इस तहसील में हरिजनों के पानी पीने के ६ कूप निर्माण के लिए स्वीकृत किया गया। जिला नियोजन समिति ने अपने सेल्फ हेल्प ग्रान्ट से १५,००० रु० राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड में विशेष रूप देने का निश्चय किया है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड में विशेष रूप के १५ मकान बनाने के लिए सरकारी अनुदान दिये गये।

नत्थी 'ट'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४३८ पर)

जिला फर्रुखाबाद के परगना सकराना, तिवौ, संकतपुर तथा सीरिख में पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कार्यों का लक्ष्य तथा पूर्ति का विवरण

सिंचाई--१--इसके अन्तर्गत यहां ६० कूपों के निर्माण तथा उनकी मरम्मत का लक्ष्य था जिसमें से २४ कूपों का निर्माण तथा मरम्मत कार्य सम्पन्न हो चुका है तथा एक निजी कूप जिसका कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं था और निर्माण किया गया है।

२--२ मील नालियों का निर्माण जो यहां के लिये निर्धारित था उसमें से १ मील ५ फर्लांग १७० गज नालियों का निर्माण सम्पन्न हो चुका है।

३--३० तालाब गहरे करने का लक्ष्य यहां के लिये निर्धारित था जो सम्पन्न हो चुका तथा २० तालाब इसके अतिरिक्त और गहरे किये गये।

४--गूलों की सफाई का लक्ष्य यद्यपि निर्धारित नहीं था तथापि ६ फर्लांग लम्बी गूलों की सफाई भी की जा चुकी है।

कृषि--१--इसके अन्तर्गत यहां १५० कृषि यंत्रों को वितरित करने का लक्ष्य निर्धारित था जिसमें से ४८ क्रय हल, १४ अन्य यंत्र तथा १० कुट्टी काटने की मशीनों का वितरण किया जा चुका है।

२--रबी तथा खरीफी फसलों पर यहां के लिये २०० तथा ५० प्रदर्शनों का लक्ष्य निर्धारित था जो सम्पन्न हो चुका तथा १० और ३० प्रदर्शन दोनों फसलों पर क्रमानुसार निर्धारित लक्ष्य से अधिक किये गये।

३--सुधरे हुए बीज तथा खाद के वितरण के लिये यद्यपि कोई लक्ष्य पूर्व निर्धारित नहीं था तथापि २,८०० मन बीज रबी और १६० मन बीज खरीफ पर वितरित किया गया तथा ९,००० मन एमोसल्फेट, ८७ मन सु० फास्फेट, २५० मन मिश्रित खाद, १०० मन सनई, १० मन ढैंचा इत्यादि खादों का वितरण किया गया जिसके परिणामस्वरूप ९०८ मन बीज अर्थात् ४० प्रतिशत बीज का लाभ हुआ।

निर्माण कार्य--१--यहां १०० मील कच्ची तथा २ मील पक्की सड़कों को निर्माण करने का लक्ष्य निर्धारित था जिसमें से ६९ मील कच्ची और ५ फर्लांग पक्की सड़कें पूर्णतया तैयार हो चुकी हैं।

२--१० पुल तथा पुलियों के निर्माण का कार्य यहां के लिये निर्धारित था, जो पूर्णतया सम्पन्न हो चुका है।

सहकारिता--१--इसके अन्तर्गत यहां ४० नई समितियों के निर्माण करने का लक्ष्य निर्धारित था जिसमें से ३२ समितियों का निर्माण हो चुका है।

२--यहां दो सहकारी भट्टे और एक बीज गोदाम को निर्माण करने का लक्ष्य निर्धारित था जो पूरा हो चुका है।

शिक्षा—१—इसके अन्तर्गत यहां २५ वाचनालयों के स्थापित करने का लक्ष्य था जिसमें से २१ वाचनालय स्थापित हो चुके हैं।

२—५० एकड़ भूमि जूनियर स्कूलों के लिये प्राप्त करने के लिये लक्ष्य में से ३४ एकड़ भूमि प्राप्त कर ली गई है।

३—२५ व्यायामशालाओं को स्थापित करने का लक्ष्य पूरा करने के उपरान्त ६ व्यायामशालाओं को और स्थापित किया गया।

४—एक प्राइमरी स्कूल तथा एक जूनियर हाई स्कूल बनाने के लक्ष्य को पूरा करने के पश्चात् एक अन्य स्कूल के भवन का निर्माण किया गया।

इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार जैसे पंचायत घरों का निर्माण है १० का लक्ष्य था और उसमें से अभी एक पूरा हुआ है तथा अन्य ५ पर कार्य हो रहा है। दो भजनमंडली बनाने के लक्ष्य को पूरा करने के पश्चात् एक और मंडली बनाई गई।

नत्थी 'ठ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४३९ पर)

जिला व तहसील फर्रुखाबाद के परगना अमृतपुर, खाखटमऊ व परमनगर क्षेत्र के लिए निर्धारित कार्यों के लक्ष्य एवं कार्य आदि का विवरण

सिंचाई

१--इसके अन्तर्गत इस क्षेत्र के लिये २० कूपों का निर्माण तथा उनकी मरम्मत का लक्ष्य निर्धारित था जिसमें से १९ कूपों पर यह कार्य सम्पन्न हो चुका तथा १ अभी शेष है।

२--एक मील नालियों को निर्माण करने का लक्ष्य यहाँ के लिए निर्धारित था जिसमें से ५ फर्लांग नालियों का निर्माण हो चुका है।

३--यहां पांच तालाबों को गहरे किये जाने का लक्ष्य निर्धारित था जिसमें से २ पर कार्य सम्पन्न हो चुका है।

कृषि

१--इस क्षेत्र के लिए इसके अन्तर्गत यद्यपि कोई लक्ष्य बीज तथा खाद इत्यादि के वितरण का निर्धारित नहीं था तथापि रबी पर १,६०० मन और खरीफ पर १४० मन बीज वितरित किया गया तथा ४,००० मन एमोसल्फेट, २८ मन सु० फास्फेट, ९० मन मिश्रित खाद, १४० मन सनई और १० मन ढैंचा इत्यादि खादों का वितरण किया गया।

२--कोई लक्ष्य निर्धारित न होते हुये भी रबी और खरीफ के ७० और ४० प्रदर्शन क्रमानुसार किये गये।

निर्माण कार्य

१--इस कार्य के अन्तर्गत यहां ३० मील कच्ची तथा १ मील पक्की सड़कों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित था जिसमें से १८ मील कच्ची तथा ४८० वर्ग गज पक्की सड़क का निर्माण सम्पन्न हो चुका है।

२--यहां के लिये ५ पुल तथा पुलियों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित था जिसमें से ४ पुल तथा पुलियों का निर्माण हो चुका है।

सहकारिता

१--इसके अन्तर्गत यहां १० समितियों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित था, जो पूर्ण हो चुका तथा २ समितियाँ और अधिक निर्माण की गईं।

२--यहां ५० कृषि यंत्रों का क्रय के रूप में वितरण करने का लक्ष्य निर्धारित था जिसमें से २५ कृषि यंत्रों का वितरण हो चुका है।

३--यद्यपि इस क्षेत्र के लिये सहकारी भट्ठों तथा बीज गोदाम के भवन के निर्माण के लिये कोई लक्ष्य नहीं था तथापि २ सहकारी भट्ठों तथा एक भवन बीज गोदाम का निर्माण किया गया।

शिक्षा

१--इस क्षेत्र में जूनियर हाई स्कूलों के लिये २० एकड़ भूमि प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित था, जिसमें से १५ एकड़ भमि प्राप्त की जा चुकी है।

२—एक प्राइमरी स्कूल का निर्माण करना इस क्षेत्र के लिए निर्धारित था जो सम्पन्न हो चुका है।

३—यहां १० वाचनालयों की स्थापना करने का लक्ष्य निर्धारित था जसमें से ५ स्थापित हो चुके हैं तथा ५ अभी स्थापित होने शेष हैं।

अन्य कार्य

१—इसके अतिरिक्त अन्य बातें जैसे पंचायत घरों का तथा गांधी-चबूतरों का निर्माण है और जिनका क्रमशः ५ और ७ का लक्ष्य था उसमें से ३ पंचायत घरों पर कार्य हो रहा है तथा ४ गांधी चबूतरों का निर्माण हो चुका है।

२—कोई लक्ष्य न होते हुये भी ३ रेडियो सेट लगाये गये हैं।

३—२० लालटेनें लगाने की योजना थी और यह लक्ष्य न केवल पूरा हो चुका है बल्कि २८ और अधिक लालटेनें लग चुकी हैं।

४—५ व्यायामशालायें व अखाड़े खोलने व संगठन करने का लक्ष्य था और उनमें दो खुल चुके हैं।

हरिजन व पिछड़ी जातियों का उत्थान

पानी पीने के कुवों का कोई लक्ष्य निर्धारित न होते हुए भी २ कुवें हरिजन बस्तियों में बनवाये गये।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४४१ पर)

१९५२–५३ में विभाग द्वारा दिये गये ऋण का विवरण

व्यक्ति एवं वर्ग का नाम व पूरा पता

१—चेयरमैन, उत्तर प्रदेशीय, सहकारी कताई बुनाई समिति लि० १४/५, सिविल लाइन्स, कानपुर।
२—श्री र० स० वरोनिया, प्रो० यूनाइटेड इलेक्ट्रिक ट्रेडिंग कं०, लाटूस रोड, कानपुर।
३—डा० स० ब० सिंह, डेन्टल सर्जन, ८/१७५, आर्यनगर, कानपुर।
४—श्री शिवबालक राम शुक्ल, ११३, फैक्टरी एरिया, कानपुर।
५—श्री काशी प्रसाद शुक्ल, १०६/५०, प्रेमनगर, कानपुर।
६—श्री ज्ञान दास हरिजन, ७८/१०१, अनवरगंज, कानपुर।
७—श्री ओमप्रकाश, १०५/५४८, आनन्दबाग, कानपुर।
८—श्री मैकूलाल हरिजन, ९१/१०२, दलेल पुरवा, कानपुर।
९—श्री राजबहादुर श्रीवास्तव, ८४/२५, फैक्टरी एरिया, कानपुर।
१०—श्री लुकई दास, क्वार्टर नं० ७६/२, ब्लाक नं० ८, गोविन्द नगर, कानपुर।
११—श्री ब० र० अवस्थी, प्रो० अवस्थी बुकबाईन्डिग वर्क्स, रामकृष्ण नगर, कानपुर।
१२—श्री हीरालाल कुरील, २५/४, माल रोड, कानपुर।
१३—श्री बजरंगी लाल हरिजन, १०६/२१५, गांधी नगर, कानपुर।
१४—श्री अर्जुन अरोड़ा, ३९/३, मजीद अहमद रोड, कानपुर।
१५—श्री म० न० त्रिपाठी, क० नं० १३२ दर्शन पुरवा, कानपुर।

१९५२–५३ में विभाग द्वारा दिये गये अनुदान का विवरण

व्यक्ति एवं वर्ग का नाम व पूरा पता

१—मंत्री, उत्तर प्रदेशीय औद्योगिक सहकारी समिति लि०, कानपुर।
२—श्री शिवबालक राम शुक्ल, ११३, फैक्टरी एरिया, कानपुर।
३—श्रीमती बुल्लीबाई, ९०/१४१, इफ्तखाराबाद, कानपुर।
४—श्री हीरालाल कुरील, २५/४, माल रोड, कानपुर।
५—श्रीमती चन्द्रावती देवी, हाता नं० ३४, नसीमाबाद, कानपुर।

१९५३–५४ में विभाग द्वारा दिये गये ऋण का विवरण

व्यक्ति अथवा वर्ग का नाम व पूरा पता

१—श्री जगदीश नारायण अरोड़ा, प्रो० अरोड़ा इन्डस्ट्रीज, ८/९८, आर्यनगर, कानपुर।
२—राजेश शिल्पकला मन्दिर, ७/१३६, स्वरूप नगर कानपुर।
३—टिम्बर एण्ड वुड वर्किंग इन्डस्ट्रियल कोआपरेटिव सोसाइटी, चन्द्रिका देवी सड़क के निकट, डिप्टी का पड़ाव, कानपुर।
४—श्री बी० एस० सिंह, प्रो० कान्टिनेन्टल इञ्जीनियरिंग वर्क्स, १४, फैक्टरी एरिया, फजलगंज, कानपुर।
५—श्री प्रीतम सिंह, १०, कुंज बिहार, कौशलपुरी, कानपुर।
६—प्रकाश पेन कम्पनी, चौक, कानपुर।
७—श्रीलक्ष्मीकान्त लहरी, ५५/५३५, प्रेमनगर, कानपुर।
८—श्रीमती चन्द्रावली, ४७/८०, हटिया, कानपुर।

१९५३–५४ में विभाग द्वारा वितरित अनुदान का विवरण

व्यक्ति अथवा वर्ग का नाम व पूरा पता

श्री विष्णु नारायण सिनहा, ८८/५२८, प्रेम नगर, कानपुर।

सत्यमेव जयते

पी० एस० यू० पी० ए० पी० २४४ एल० ए०–१९५५–८००